वार्षिक प्रतिवेदन

Annual Report

2014 -15

केन्द्रीय रेशम बोर्ड Central Silk Board

वस्त्र मंत्रालय-भारत सरकार Ministry of Textiles - Government of India

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2014-15

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार
केरेबो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
बेंगलूरु - 560 068, भारत

CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles - Govt. of India
CSB Complex, B T M Layout, Madiwala
Bengaluru - 560 068, INDIA

नवंबर 2015

द्विभाषी (हिन्दी और अँग्रेजी) : 500 प्रतियाँ

प्रकाशित

डॉ एच. नागेश प्रभु, भा.व.से.

सदस्य-सचिव

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु - 560 068

मुद्रित

क्रियेटिव ग्राफिक्स

#149, सुल्तानपेट

बेंगलूरु - 560 053

दूरभाष : 080-2237 0262

November 2015

Bilingual (Hindi & English) : 500 Copies

Published by

Dr. H. Nagesh Prabhu, I.F.S.

Member Secretary

Central Silk Board

Bengaluru - 560 068

Printed by

Creative Graphics

#149, Sultanpet,

Bengaluru - 560 053

Ph : 080-2237 0262

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

I. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकलापों की विशिष्टताएँ

1.1 प्रस्तावना 05
1.2 रेशम उत्पादन उद्योग का निष्पादन-एक विहंगम दृष्टि 05
1.3 अनुसंधान व विकास 06
1.4 एकस्व तथा वाणिज्यिकरण 07
1.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण 07
1.6 प्रशिक्षण 08
1.7 सूचना प्रौद्योगिकी पहल 08
1.8 बीज संगठन 08
1.9 प्रमुख कार्यक्रम 09
1.10 विशेष विमोचन 09
1.11 पुरस्कार और इनाम 09
1.12 दौरा 10

II. कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

2.1 प्रस्तावना 13
2.2 बोर्ड के कार्य 13
2.3 केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन 14
2.4 केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 15
2.5 सतर्कता 16
2.6 लोक सूचना कक्ष - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन 16
2.7 अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग तथा अन्य देशों / संगठनों के साथ संबंध 16
2.8 केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं इसके संस्थानों द्वारा प्राप्त पुरस्कार 17
2.9 केरेबो प्रतिनिधियों का अन्य देशों का दौरा 17
2.10 संसद से संबंधित मामले 17
2.11 नीति पहल 17

III. योजना कार्यक्रम

3.1 केन्द्रीय क्षेत्र योजना 21
- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु 21
- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर 25
- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर 28
- केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर 31
- रेशमकीट बीज प्रोद्योगिक प्रयोगशाला, बेंगलूरु 32
- रेशम जैव-प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु 33

- केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची 34
- केन्द्रीय मूग एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ 37
- केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु 39

3.2 केन्द्र प्रायोजित योजना 58

IV. अन्य संगठनों से निधि प्राप्त परियोजनाएं

4.1 उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अधीन एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना 73

4.2 अन्य मंत्रालयों से निधि प्राप्त परियोजना 75

4.3 एकीकृत कौशल विकास योजना 80

4.4 भारत में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण 81

V. वित्त व लेखा

5.1 प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान) 85

5.2 व्यय 87

5.3 ऋण 91

5.4 वर्ष 2014-15 के बजट आकलन के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रावधान 91

5.5 आंतरिक लेखा परीक्षा 94

VI. रेशम उत्पादन सांख्यिकी

6.1 कच्चा रेशम उत्पादन 97

6.2 कोसों एवं कच्चे रेशम का मूल्य 98

6.3 रेशम मालों का निर्यात 100

6.4 रेशम मालों का आयात 102

- ग्राफ़

अनुबंध

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संगठनों की सूची - अनुबंध-I (क) 105
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाइयाँ - अनुबंध-I (ख) 106
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों की सूची - अनुबंध-II 107
- अंचल-वार/राज्य-वार अनुमोदित बजट आकलन एवं निर्मोचित निधि - अनुबंध-III 111
- XII वीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 के दौरान उविका के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि - अनुबंध-IV(क) 112
- XII वीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 के दौरान उविका के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि - अनुबंध-IV(ख) 117
- उविका के अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान निर्मोचित राज्य-वार निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण - अनुबंध-IV(ग) 121
- वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राज्यवार रेशम उत्पादन - अनुबंध-V 122

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकलापों की विशिष्टताएं

1.1 प्रस्तावना :

भारत को सभी चारों प्रकार के ज्ञात वाणिज्यिक रेशम प्रजातियों अर्थात् शहतूती, तसर, एरी तथा मूगा का उत्पादन करने वाले विश्व में एक मात्र देश होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें सुनहला पीला एवं चमकदार मूगा भारत का अनुपम एवं विशिष्ट उत्पाद है। वर्ष 2014-15 के दौरान कच्चे रेशम उत्पादन तथा रोज़गार सृजन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष के दौरान उद्योग की उपलब्धियों की विशिष्टताएँ नीचे दी गई हैं :

- आयात एवज द्विप्रज रेशम का रिकार्ड उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51.2% की वृद्धि के साथ 3870 मी ट हुआ।
- वन्य कच्चा रेशम का 7318 मी ट का रिकार्ड उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% की वृद्धि के साथ (तसर-2434, एरी-4726 तथा मूगा-158 मी ट) हुआ।
- कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 2011-12 के प्रति हेक्टेयर 93.0 कि ग्रा से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 97.27 कि ग्रा हो गया है।

तालिका 1 : भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन

#	विवरण	2014-15	2013-14	% वृद्धि
क	शहतूत के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	219819	203023	8.3
ख	शहतूती कच्चा रेशम (मी ट)			
	द्विप्रज	3870	2559	51.2
	संकर नस्ल	17520	16917	3.6
	उप-योग (ख)	21390	19476	9.8
ग	*वन्य रेशम (मी ट)*			
	तसर	2434	2619	-7.1
	एरी स्पन रेशम	4726	4237	11.5
	मूगा	158	148	7.1
	उप-योग (ग)	7318	7004	4.5
	योग (ख+ग)	**28708**	**26480**	**8.4**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त रिपोर्टों से संकलित

1.2 रेशम उत्पादन उद्योग का निष्पादन-एक विहंगम दृष्टि

- देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से 8.4% की वृद्धि दर के साथ 28708 मी ट की नई ऊँचाई में पहुँच गई है।
- शहतूती कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 21,390 मी ट (74.5%) रहा । शेष 7,318 मी ट (25.5%) वन्य रेशम रहा।
- रेशम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत संचयी रोज़गार सृजन वर्ष 2013-14 के 7.85 मिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 में 2.29% बढ़कर 8.03 मिलियन व्यक्ति हो गया।
- भारतीय रेशम माल के निर्यात में 14.0% की वृद्धि हुई है। निर्यात आय पिछले वर्ष के 2480.89 करोड़ रु. की तुलना में 2829.88 करोड़ रु. रही।

1.3 अनुसंधान व विकास

1.3.1 शहतूत क्षेत्र

- तीन नई शहतूत प्रजातियाँ अर्थात् जी4, सी 2038 तथा सुवर्णा 2 क्षेत्र परीक्षण के अधीन हैं। इन प्रजातियों में सिंचित दशा में 50-60 मी ट/हे/वर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता है
- परंपरागत प्रजनन तकनीक द्वारा विकसित की गई नई शहतूत प्रजाति (जी2), दक्षिण क्षेत्र में सिंचित दशा में वर्तमान में लोकप्रिय प्रजाति वी1 तथा वर्षाश्रित दशा में एस13 से बेहतर उपज देती है।
- दक्षिण अंचल में प्राधिकृत रेशमकीट सी एस आर 16 x सी एस आर 17, एम एच 1 x सी एस आर2 तथा ए पी डी आर 15 x एपी डी आर 115, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी अंचल में एस एल डी 4 x एस एल डी 8, जी ईएन3 x जी ई एन 2, एफसी 1 x एफ सी2, एम कॉन 1 x बी. कॉन4, एम. कॉन4 x बी कॉन4, एम. कॉन1 x एम.कॉन4, उत्तरी तथा उत्तर -पश्चिमी अंचल में सी एस आर 46 x सी एस आर 47 तथा एपीएस5 x एपीएस 4 का लोकप्रियकरण क्षेत्र परीक्षणाधीन है।
- बेहतर उपज एवं अनुकूल प्रकृति के दो नए द्विप्रज संकरों अर्थात् जी11 x जी19 तथा बी. कॉन 1xबी. कॉन4 प्राधिकरण परीक्षणाधीन है।
- पूरे वर्ष में कीटपालन के लिए तीन नए द्विप्रज संकर अर्थात् एफसी3 x सी एस आर 15 (तीन प्रकार से संकरण किए गए द्विप्रज) तथा (डी1 x डी2) x (डी13 x डी11) (द्विसंकर), विकसित किए गए तथा अनुकूल ऋतु के लिए डी2 x डी13 (एकल संकर), जिसकी उपज क्षमता 65-70 किग्रा/100 रोमुबीच रही।
- बरपत (एकप्रज) तथा एस के 6 तथा एस के 7 (द्विप्रज) अंडों के परिरक्षण के लिए उपयुक्त शीतनिष्क्रियता की सारणी विकसित की गई।

2014-15 के दौरान अनुमोदित नयी नस्लें/प्रजातियाँ

विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत रेशमकीट नस्लें निम्नानुसार हैं :

#	नयी नस्लें/प्रजातियाँ	क्षेत्र
1	सीएसआर 50xसी एस आर 51	दक्षिणी अंचल
2	एपी 71xएपी 72	
3	पीएम x एफसी 2	
4	(सीएसआर 52 x सीएसआर 50) (सीएसआर 51 x सीएसआर 53)	अखिल भारत
5	एन x (एसके 6 x एसके 7)	पूर्वी अंचल
6	एम 6 डीपी x एसके 4	
7	बीडीआर-10-तसर	सभी क्षेत्र
8	सी 2-एरी	सभी क्षेत्र

1.3.2 वन्य क्षेत्र

- वाणिज्यिक उपयोग के लिए तसर डाबा रेशमकीट-बीडीआर10 तथा एरी रेशमकीट नस्ल-सी2 को प्राधिकृत किया गया; जबकि नयी तसर नस्ल-सी टी आर 14 क्षेत्र परीक्षणाधीन है।
- तसर रेशमकीट पालन के लिए एक वैकल्पिक खाद्य पौध *लेजरस्ट्रमिया स्पीसिओसा* को पहचाना गया, जो जल्दी जड़ पकड़ने वाला तथा शीघ्र बढ़ने वाला है तथा इसका कीटपालन निष्पादन *टर्मिनेलिया अर्जुन* के समान है। इसके अतिरिक्त, *टर्मिनेलिया* के 16 संकर संयोजन विकसित किए गए हैं।
- वन्य लरिया के बीजागार के लिए अनुप्रयोग-पैकेज विकसित कर झारखण्ड राज्य के चयनित प्रा प के में अंगीकृत किया गया।
- पत्ती उपज लाभ के साथ कसेरु के दो उच्च पैदावार जीन प्ररूप, एच आई 008 तथा एच एफ 005 चयन किए गए हैं।
- रेशमकीट खोज एवं लक्षण-वर्णन के अंतर्गत 6 उत्तर-पूर्वी राज्यों से वन्य सेरिसिजीनस कीटों के

200 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए : *सैटर्नाइडो तथा बॉम्बिसिडी* के 41 प्रजातियों का चयन किया गया। इन प्रजातियों को भावी अध्ययन के लिए परिरक्षित किया गया।

- एरी रेशमकीट के दस अभिगमों का मूल्याकंन किया गया और आंध्र प्रदेश के अर्ध-शुष्क दशा के लिए ई-201 तथा ई-206 का चयन किया गया।
- पर्णचित्ति रोग प्रतिरोधी दो सोम अभिगमों (एस 3 व एस 6) को क्षेत्र में लोकप्रिय किया जा रहा है।
- 15 दिनों तक शलभ निर्गमन को देर करने तथा तसर में समकालिक बीजागार रखने के लिए कोसा परिक्षण तकनीक विकसित किया गया। कम तापमान पर कोसा का परिरक्षण प्रभावी पाया गया।
- एक पारि-तथा प्रयोक्ता अनुकूल तसर रेशमकीट अंडों की धुलाई तथा बंध्यकरण सूत्रण (डिप्यूटेराक्स) को विकसित कर वाणिज्यिकृत किया गया।
- आण्विक चिन्हक के माध्यम से 9 विभिन्न पीढ़ी अर्थात् एंथेरिया, एक्टियस, ऐट्टाकस, बोम्बिक्स, सैमिया, क्रिकुला, डेन्ड्रोलिमस, लेबैडा, रेडिनियारे की 20 प्रजातियों को पहचाना गया।

1.3.3 कोसोत्तर क्षेत्र

- एक चौतरफा ऊर्जा क्षमता वाली पुन: धागाकरण मशीन विकसित की गई।
- बिजली की समस्याओं का सामना करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम लागत की सौर ऊर्जा चालित कताई मशीन विकसित की गई। इसमें मैन्युअल प्रचालन के लिए पैडल भी है।
- तसर रेशम के लिए कम लागत की आठ छोरीय बहुछोरीय धागाकरण मशीन का मानकीकरण किया गया।
- देशी धागाकरण इकाइयों के उपयुक्त कन्वेयर गर्म वायु शुष्कन-यंत्र विकसित कर इसकी तकनीकी विशिष्टताएँ तैयार की गईं।
- मोटरचालित धागाकरण मशीन विकसित की गई, जो रेशम अपशिष्ट तथा श्रम शक्ति में कमी के अलावा 52% के रेशम प्रतिलाभ तथा 289 ग्रा / दिन / धागाकार (58 डेनियर) के उत्पादन में सहायक होता है।
- वन्य रेशम कोसोत्तर क्षेत्र में तसर तथा मूगा कोसों के लिए आर्द्र धागाकरण मशीन, तसर रेशम के लिए सरेस मशीन, तसर कोसे के लिए संशोधित शुष्क धागाकरण मशीन, दाबीकृत लच्छी विगोंदन मशीन तथा रेशम धागाकरण पानी के पुन:उपयोग के लिए उपकरण विकसित किए गए ।
- 250-500 कि ग्रा रेशमकीट प्यूपों के लिए गर्म वायु शुष्कन यंत्र विकसित किया गया और यह परीक्षणाधीन है ।
- उपयोग किए गए प्यूपों से पेलेड परत के पृथक्करण के लिए पेलेड निष्कर्षण तथा प्यूपा पृथक्कण मशीन विकसित की गई।

1.4 एकस्व तथा वाणिज्यिकरण

- चार उत्पाद, अर्थात् डिप्युराटेक्स, सेरिसिन, नीमाहरी तथा जीवन सुधा का वाणिज्यिकरण किया गया।
- पोषण, नविन्या, अंकुश, संपूर्णा, डिंभक रेशम कीटपालन के लिए पी वी सी चॉकी स्टैण्ड, चॉकी पर्ण कर्तक तथा प्लास्टिक निपात्य चंद्रिकाओं से कोसा बटोरने की मशीन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए नयी पार्टियों को लाइसेंस भी दिया गया है।
- रेशमकीट प्यूपों को सुखाने का 250-500 कि ग्रा क्षमता वाला गर्म तप्त वायु शुष्कन-यंत्र को एकस्व के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली को भेजा गया।

1.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- समाप्त परियोजनाओं से प्राप्त प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी रूप से क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया।

- 1738 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 54 प्रौद्योगिकियों को प्रयोक्ता स्तर पर प्रभावी रूप से हस्तांतरित किया गया।
- 1269 शहतूत जननद्रव्य अभिगम पर-स्थाने परिरक्षणाधीन हैं (क्षेत्र जीन बैंक)।
- 458 रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक का अनुरक्षण किया गया और 34 नए शहतूत एवं 6 रेशमकीट जननद्रव्य सटॉक को प्रवर्तित किया गया।
- चिन्हक सहायता प्राप्त प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत सी एस आर2 अर्थात् एम ए एस एन 4, 6 तथा 7 के एन पी वी सहनशील द्विप्रज रेशमकीट वंशों का विकास किया गया।
- आर डी आर पी जीन प्राइमर के आधार पर संक्रमित तसर रेशमकीटों से संक्रामक फ्लेचरी विषाणु का पहचान किया गया है और इसे ए एम आई एफ वी के रूप में अभिहित किया गया है।
- प्रस्फुटन तथा कीटपालन निष्पादन में कोई प्रभाव डाले बिना 11-12 दिनों तक एरी रेशम कीट के अंडों को रखने के लिए द्वि-स्तरीय परिरक्षण प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- 1,10,523 कोसे तथा रेशम नमूने,12289 जलरंग राशि तथा अन्य वस्त्र पूरकों तथा 3267 वस्त्र ढेरों का परीक्षण किया गया।

1.6 प्रशिक्षण

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं इसके अधीनस्थ अनुसंधान व विकास इकाइयों ने विभिन्न दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पाठ्यक्रम (रे स्त डि, संक्षिप्त, तदर्थ, प्रौ उ का, रे उ वि का, अ वि का, श वि का आवश्यकता आधारित, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य) के अंतर्गत 11100 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।
- 632 उम्मीदवारों ने इग्नू, नई दिल्ली के सहयोग से 6 महीने के 'रेशम उत्पादन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम' के लिए पंजीकरण किया है।
- वर्ष के दौरान 6689 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 'कौशल बीजारोपण और कौशल विकास पर केन्द्रित एक वृहत परियोजना' एकीकृत कौशल विकास योजना (ए को वि यो), वस्त्र मंत्रालय के एक ध्वजपोत पहल के माध्यम से इसके प्रारंभ से 9792 लाभार्थियों को रोज़गार से जोड़ा गया।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड कोसोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक 'उत्कृष्ट केन्द्र' की स्थापना कर रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.7 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- कृषकों एवं अन्य पणधारियों के लिए कच्चा रेशम तथा कोसों के दैनंदिन बाज़ार दर पर 'एस एम एस' सेवा का प्रवर्तन किया गया है।
- द्विप्रज समूह के कृषकों का एक राष्ट्रीय स्तर का 'सेरी-5 के' का आँकड़ा आधार तैयार कर विकसित किया गया है।
- उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग, शिलाँग (मेघालय) के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से भौगोलिक छायाचित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली (सिल्क्स) पोर्टल का विकास किया गया है तथा इसका उपयोग रेशम उत्पादन के संवर्धन के विश्लेषण तथा संभाव्य क्षेत्र के चयन के लिए किया जाता है।

1.8 बीज संगठन

1.8.1 शहतूती बीज

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड के राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन ने अनुमोदित नस्लों के प्रगुणन की एक तरफा प्रणाली के माध्यम से 404.24 लाख रोमुबीच के लक्ष्य के मुकाबले 370.13 लाख रोमुबीच का उत्पादन किया।
- राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन के 19 बुनियादी बीज फार्म (9 द्विप्रज तथा 10 बहुप्रज) तथा एक रेशम उत्पादन विकास केन्द्र (रे वि के) ने 63.19 लाख द्विप्रज तथा 56.03 लाख बहुप्रज बीज कोसे का उत्पादन किया।

1.8.2 वन्य बीज

- **उष्णकटिबंधीय तसर :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन ने अपने बुबीप्रवके तथा केतरेबीके तंत्र के माध्यम से पुन:पूर्ति के लिए 86145 तसर नाभिकीय बीज का उत्पादन किया और आपूर्ति की है, जिससे बुतरेबीसं ने 34.31 लाख रोमुबीच मूल बीज का उत्पादन किया तथा निजी बीज उत्पादकों के माध्यम से 6.71 लाख रोमुबीच का उत्पादन हुआ।
- **ओक तसर बीज :** ओक तसर संजाल इकाइयों ने 58,000 रोमुबीच का उत्पादन किया है।
- **मूगा बीज :** केरेबो के मूगा रेशमकीट बीज संगठन ने अपने पी4, पी3, पी2 बीज केन्द्रों तथा इसके रेबीउके, कालियाबारी के माध्यम से 6.11 लाख मूगा रोमुबीच का उत्पादन किया।
- **एरी बीज :** केरेबो के एरी रेशमकीट बीज संगठन ने विभिन्न राज्य विभागों को वितरित करने के लिए अपने इकाइयों के माध्यम से 5.69 लाख एरी रोमुबीच का उत्पादन किया।

1.9 प्रमुख कार्यक्रम

- वस्त्र मंत्रालय तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 17 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में रेशम उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशेष कार्यशाला ("सब का साथ - सब का विकास" पहल के भाग के रूप में) का आयोजन किया, जिसमें 27 राज्यों के 54 प्रगतिशील महिला रेशम उत्पादक कृषकों को माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बेंगलूरु में 24-27 नवंबर, 2014 के दौरान 23 वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन आयोजन का समन्वय किया। इस त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय घटना में समावेशी विकास के लिए रेशम उत्पादन विकास के विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुदों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें 17 देशों के 315 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 191 वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रस्तुत किए। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस अवसर के लिए 82 वैज्ञानिक और तकनीकी तंत्रियों को तैनात किया।
- मैसूरु, कर्नाटक में 1.3 करोड़ बीज चकत्ते का भण्डारण करने की क्षमता की एक अत्याधुनिक शीतागार इकाई की स्थापना की गई है। यह सुविधा रेशमकीट के अंडों को कृषकों को प्रेषित करने से पहले सुव्यवस्थित ऊष्मायन का पर्यवेक्षण करती है। इसका उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा 09 फरवरी, 2015 को किया गया।

1.10 विशेष विमोचन

- भारत सरकार के एक वादा के पहल, "सब का साथ-सब का विकास" के भाग के रूप में रेशम उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर दिल्ली में 17.09.2014 को आयोजित कार्यशाला के दौरान माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री ने सफल महिला रेशम उत्पादक-2014 पर एक विशेष पुस्तिका का विमोचन किया।
- कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने बेंगलूरु में 24.11.2014 को आयोजित 23 वां अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण पर इंडियन सिल्क के एक विशेष अंक का विमोचन किया।
- माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री ने 23 वां अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन पर इंडियन सिल्क की एक स्मारिका अंक इस सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान 26.11.2014 को विमोचन किया।

1.11 पुरस्कार और इनाम

- **राष्ट्रीय ई-शासन, पुरस्कार :** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (प्र सु लो शि वि) ने ई-शासन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए "रेशम उत्पादन विकास में दूर संवेदन

और भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग" पर अपनी परियोजना के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को राष्ट्रीय ई-शासन रजत पुरस्कार 2014-15 से सम्मानित किया।

- **इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार :** केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट अनुपालन के लिए वर्ष 2013-14 के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निदेशक प्रभारी, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु ने 15.11.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महामहिम भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।
- **लुई पाश्चर पुरस्कार-2014 :** डॉ. बी.एस. अंगड़ी, निदेशक (तक.), केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 24 नवंबर 2014 को बेंगलूरु में संपन्न रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग पर 23 वां अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन के दौरान देश में रेशम उत्पादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित लुई पाश्चर पुरस्कार-2014 प्राप्त किया। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग, बेंगलूरु, भारत द्वारा संस्थापित किया गया है।
- **सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद् पुरस्कार :** अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व प्रबंधन संस्थान ने डॉ. एस. निर्मल कुमार, निदेशक, केरेअप्रसं, बहरमपुर को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए "सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद् पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परिषद् ने "स्टार एशिया" पुरस्कार से सम्मानित किया है।
- केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल ने पर्यटन और विज्ञान महोत्सव, बरूईपुर, प्रौद्योगिकी सप्ताह-सह-कृषि मेला-2014 तथा 26 वें कृषि शिल्प "ओ" बाणिज्य मेला, चाँदीपुर के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

1.12 दौरा

- माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार दिनांक 26.11.2014 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय, केरेप्रौअसं तथा रेबीउके, बेगलूरु देखने आए।
- डॉ. एस. के. पाण्डा, सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय दिनांक 23.11.2014 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय, केरेप्रौअसं तथा रेबीउके, बेंगलूरु देखने आए।

कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

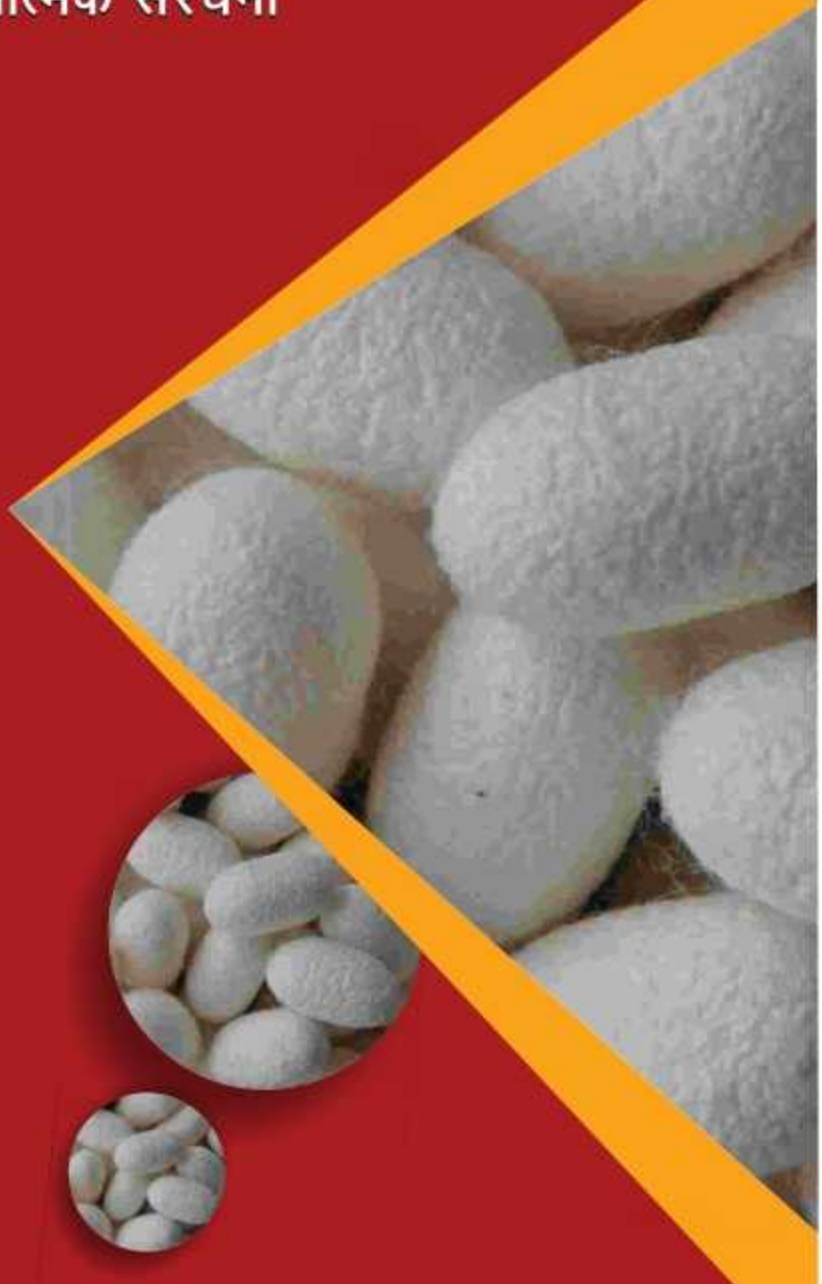

2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो) संसद के एक अधिनियम (1948 की अधिनियम सं. 61) द्वारा अप्रैल, 1949 में देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए स्थापित, वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

भारत रेशम के सभी चार ज्ञात क़िस्मों अर्थात् पालतू शहतूती रेशम (*बॉम्बिक्स मोरी*), अर्ध-पालतू एरी रेशम (*फिलोसामिया रिसिनी*),वन्य तसर रेशम (*एंथेरिया माइलिटा*) तथा सुनहला मूगा रेशम (*एंथेरिया एसमेंसिस*) के उत्पादन में अद्वितीय स्थान रखता है।

रेशम उत्पादन 2013-14 से 2.3% की वृद्धि दर्शाते हुए प्रतिवर्ष लगभग 8 मिलियन लोगों के लिए रोज़गार सृजन के साथ अपने सभी चरणों में एक श्रम प्रधान उद्योग है। रेशम उत्पादन में श्रम शक्ति की भागीदारी दर इस प्रकार के ग्रामीण पेशे की तुलना में बहुत आगे है, इसने ग़रीबी निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे समावेशी विकास की राष्ट्रीय कार्यसूची का स्थान प्राप्त किया है।

केरेबो की गतिविधियों में अनुसंधान व विकास, अग्रणी प्रदर्शनी, चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन तंत्र के रखरखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता प्राचल का मानकीकरण एवं उसके संबंध में शिक्षा प्रदान करना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना शामिल है। ये गतिविधियाँ विभिन्न राज्यों में स्थित 327 इकाइयों द्वारा की जा रही हैं। इकाइयों के ब्यौरे **अनुबंध-I (क व ख)** में दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, केरेबो रेशम के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने अनुसंधान व विकास एककों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों, अभिनव खोजों की सहक्रिया करने एवं विस्तार करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना (उविका) को कार्यान्वित करता है।

2.2 बोर्ड के कार्य

केन्द्रीय रेशम बोर्ड:

- रेशम उद्योग के विकास का संवर्धन ऐसे उपायों द्वारा करने जैसे वह ठीक समझे।
- वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान करने, उसमें सहायता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने।
- शहतूत की खेती, रेशम कीटपालन की समुन्नत पद्धतियों, स्वस्थ रेशमकीट बीजों के विकास एवं वितरण, कोसों और रेशमकीट अपशिष्ट के रेशम धागाकरण और कताई की समुन्नत पद्धतियों, कच्चे रेशम की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय करने और इसके लिए आवश्यक होने पर अच्छी तरह से लैस कच्चा रेशम परीक्षण व अनुकूलन गृहों (करेपअगृ) में सभी कच्चे रेशम के परीक्षण एवं श्रेणीकरण के बाद ही विपणन अनिवार्य करने।
- कच्चे रेशम के विपणन में सुधार लाने।
- केन्द्र सरकार को कच्चे रेशम के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श देने।
- रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रहण करने।
- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए रेशम उद्योग से संबंधित अन्य रिपोर्टें तैयार करने में समन्वय और सहायता करता है।

2.3 केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष की अवधि तक नियुक्त 39 सदस्यों से गठित है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नामित नए सदस्यों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

#	नामित सदस्यों का नाम व पदनाम	नामांकन की अवधि	अधिसूचना ब्यौरा
	धारा 4(3)(ख) के अधीन		
1	सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु, कर्नाटक	03.11.2014 से 02.11.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 03.11.2014
	धारा 4(3)(ग) के अधीन		
2	श्री पी. सी. मोहन, सांसद (लोक सभा), नई दिल्ली	18.07.2014 से 17.07.2017	25012/4/2014-रेशम दिनांक 19.08.2014
3	श्री निम्मला कृस्तप्पा, सांसद (लोक सभा),नई दिल्ली	18.07.2014 से 17.07.2017	25012/4/2014-रेशम दिनांक 19.08.2014
4	श्रीमती पी.के. श्रीमती, टीचर, सांसद (लोक सभा) कण्णूर, केरल	18.07.2014 से 17.07.2017	25012/4/2014-रेशम दिनांक 19.08.2014
	धारा 4(3)(घ) के अधीन		
5	श्री मोहमूद दस्तगिरा,डाक/जिला-रामनगरम,कर्नाटक	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014
6	श्री के. मुद्दे गौड़ा टी.नरसीपुरा, जिला-मैसूरु, कर्नाटक	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014
7	श्री पी. सोमण्णा, नंजनगुड, जिला-मैसूरु, कर्नाटक	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014
8	प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार,बेंगलूरु, कर्नाटक	09.10.2014 से 08.10.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 09.10.2014
9	आयुक्त रेशम उत्पादन विकास व निदेशक रेशम उत्पादन, कर्नाटक सरकार, बेंगलूरु, कर्नाटक	09.10.2014 से 08.10.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 09.10.2014
	धारा 4(3)(ङ) के अधीन		
10	प्रधान सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई, तमिलनाडु	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014
	धारा 4(3)(च) के अधीन		
11	श्रीमती सोमा भट्टाचार्य, भाप्रसे,वस्त्र आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार,कोलकाता, पश्चिम बंगाल	03.11.2014 से 02.11.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 03.11.2014
	धारा 4(3)(छ) के अधीन		
12	निदेशक रेशम उत्पादन, असम सरकार, गुवाहाटी, असम	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014
13	निदेशक रेशम उत्पादन, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	09.10.2014 से 08.10.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 09.10.2014
14	श्रीमती वत्सला वासुदेव, भा प्र से, सचिव व आयुक्त, कुटीर व ग्रामीण उद्योग विभाग. गुजरात सरकार, अहमदाबाद, गुजरात	03.11.2014 से 02.11.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 03.11.2014
15	निदेशक, हथकरघा व रेशम उत्पादन विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार	03.11.2014 से 02.11.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 03.11.2014
16	आयुक्त रेशम उत्पादन, कृषि व सहकारी (ह व रे), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	22.12.2014 से 21.12.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 22.12.2014
	धारा 4(3)(ज) के अधीन		
17	आयुक्त/सचिव, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	22.12.2014 से 21.12.2017	25012/7/2014-रेशम दिनांक 22.12.2014
	धारा 4(3)(ञ) के अधीन		
18	आयुक्त-सह-सचिव, वस्त्र व हथकरघा, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर, ओडिशा	20.08.2014 से 19.08.2017	25012/56/99-रेशम दिनांक 20.08.2014

विभिन्न धाराओं के अधीन दिनांक 31.03.2015 को यथाविद्यमान बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध-II में** संलग्न है।

2.4 केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की दिनांक 31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान समूहवार स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे निर्दिष्ट है :

समूह	स्वीकृत	भरे गए	सामान्य	अ.जाति	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	नि:शक्त	कुल
क	811	690	461	129	51	43	6	690
ख	1483	1409	905	272	137	74	21	1409
ग	1556	1275	633	376	172	73	21	1275
घ	7	7	1	1	4	1	-	7
योग	3857	3381	2000	778	364	191	48	3381
%			59.15	23.01	10.77	5.65	1.42	100

2.4.1 आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के निदेश के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अधीन भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार के समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सभी समूह में सीधी भर्ती के लिए और समूह-ग में पदोन्नति के लिए नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का भी अनुपालन कर रहा है।

2.4.2 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों में परिवर्तन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इसके प्रशासनिक और रेशम उत्पादन विकासात्मक कार्यों को निर्बाध रूप से चलाने/ अनुश्रवण की वित्तीय ज़िम्मेदारी के भाग के रूप में अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के स्तर पर रिक्तियों को भरा है। रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है :

1. डॉ. वी. शिवप्रसाद, निदेशक को केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केरेबो, मैसूरु में तैनात किया गया है और उन्होंने दिनांक 30.06.2014 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
2. डॉ. आलोक सहाय ने दिनांक 30.06.2014 को निदेशक, केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
3. डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने दिनांक 07.07.2014 को निदेशक, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
4. डॉ. सुभाष वी. नायक ने दिनांक 27.02.2015 को केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु में निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
5. डॉ. कनिका त्रिवेदी ने दिनांक 27.02.2015 को रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कोड़ती, बेंगलूरु में निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने केरेजसंके, होसूर का अतिरिक्त कार्यभार भी दिनांक 28.02.2015 को ग्रहण कर लिया है।
6. डॉ. बी. एस. अंगड़ी, निदेशक रारेबीसं, बेंगलूरु को केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु में निदेशक (तक.) के रूप में तैनात किया गया है और उन्होंने दिनांक 02.03.2015 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
7. डॉ. पी. जयप्रकाश ने दिनांक 02.03.2015 को रारेबीसं, केरेबो, बेंगलूरु में निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
8. सुश्री इशिता रॉय, सदस्य-सचिव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के रूप में तैनात किया

गया और उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 09.03.2015 को सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यभार से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

9. सुश्री सुनयना तोमर, भाप्रसे, संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 09.03.2015 को सदस्य-सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2.5 सतर्कता

कार्य प्रणाली को सरल व कारगर बनाकर निवारक सतर्कता के सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय:

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उन सभी संवेदनशील मानी जानी वाली इकाइयों के लिए निवारक सतर्कता, निगरानी व खोज हेतु उपाय किए गए हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी के अलावा, विभिन्न अंचलों में स्थित बोर्ड के निदेशकों/ प्रभारी अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकित करते हुए इकाइयों/संवेदनशील क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। जिनकी अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक नहीं होती उनके आवधिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच की जाती है। आँचलिक लेखा-परीक्षा दलों से समर्थित एक आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध इकाइयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करता रहा है। अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों तथा स्वतंत्र प्रभार रखने वाले वैज्ञानिक-घ स्तर के अधिकारियों को कुछ संवर्ग के अधिकारियों के विषय में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकार दिए गए हैं। 45 शिकायतें/याचिकाएँ प्राप्त हुईं और *प्रत्यक्षत:* मामला स्थापित होने के बाद, दिनांक 31.03.2015 को यथाविद्यमान 44 याचिकाओं का निपटान किया गया।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाना

मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार केरेबो मुख्यालय तथा इसकी सभी अधीनस्थ इकाइयों में दिनांक 27.10.2014 और 01.11.2014 के बीच में समुचित रूप से सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

2.6 लोक सूचना कक्ष (लो सू क) - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्र इकाइयों दोंनो में 09 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और 215 सहायक लोक सूचना अधिकारी को पदनामित किया गया है। वर्ष के दौरान जन सामान्य से लोक सूचना कक्ष में 182 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान 02 आवेदन निपटान हेतु लंबित हैं। 9 अपील भी प्राप्त हुए और उन्हें 31 मार्च, 2015 तक निपटान किए गए। प्राप्त आवेदन और नागरिकों को प्रेषित उत्तर केरेबो के वेबसाइट *www.csb.gov.in* में डाला गया।

2.7 अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग तथा अन्य देशों / संगठनों के साथ संबंध

केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (अंरेआ), बेंगलूरु के साथ समन्वयन जारी रखा है। अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन कार्यालय को लियोन (फ्रांस) से बेंगलूरु, भारत स्थानांतरित करने और स्थापित करने से रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के अनेक अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों एवं प्रख्यात संस्थानों के साथ काम करने से केरेबो को पर्याप्त लाभ मिला है। इसके परिणामस्परूप, बुलगेरिया, ब्राजील, उजबेकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, आस्ट्रेलिया, म्यांमार और रोमानिया जैसे देशों में संस्थानों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई है। सार्क, आई टी सी, यू एन आई डी ओ, ई एस सी ए पी एवं एफएओ, आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों से स्रोत सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने माननीय कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा उद्घाटित 24-27 नवंबर, 2014 के दौरान रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग पर

बेंगलूरु में आयोजित 23वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन के लिए स्थानीय सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 315 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 191 मौखिक तथा पोस्टर वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रस्तुत किए। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में अपने शोध-पत्रों का मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए 82 वैज्ञानिकों तथा तकनीकी तंत्रियों को प्रतिनियुक्त किया।

2.8 केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं इसके संस्थानों द्वारा प्राप्त पुरस्कार

1. डॉ. बी.एस. अंगड़ी, निदेशक (तक.), केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 24 नवंबर, 2014 को रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग पर बेंगलूरु में संपन्न 23वां अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन के दौरान देश में रेशम उत्पादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित लुई पाश्चर पुरस्कार-2014 प्राप्त किया। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग, बेंगलूरु, भारत द्वारा स्थापित किया गया है।
2. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व प्रबंधन संस्थान ने डॉ. एस. निर्मल कुमार, निदेशक, केरेअप्रसं, बहरमपुर को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए "सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद्" पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परिषद् ने "स्टार एशिया" पुरस्कार से सम्मानित किया है।
3. केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल ने पर्यटन और विज्ञान महोत्सव, बरूईपुर, प्रौद्योगिकी सप्ताह-सह-कृषि मेला-2014 तथा छठवें कृषि सिल्क "ओ" बनिया मेला, चाँदीपुर के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

2.9 केरेबो प्रतिनिधियों का अन्य देशों का दौरा

श्रीमती ईशिता रॉय, भा प्र से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने महासचिव, अंतरर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग की हैसियत से अन्तरराष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग की कार्यकारी समिति की बैठक संचालित करने के लिए 24 व 25 जून, 2014 के दौरान कैरो, मिस्र का दौरा किया।

2.10 संसद से संबंधित मामले

2.10.1 संसदीय प्रश्नों के दिए गए उत्तर

वर्ष के दौरान, केरेबो ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 122 (98 लोक सभा तथा 24 राज्य सभा) संसदीय प्रश्नों के लिए उत्तर की सामग्री प्रस्तुत की, जो वस्त्र मंत्रालय से संबंधित थे।

संसद सदन	बजट सत्र	शीतकालीन सत्र	योग
लोक सभा	55	43	98
राज्य सभा	17	07	24
योग	**72**	**50**	**122**

2.10.2 संसदीय समिति की बैठकें

1. राज्य सभा सचिवालय की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय व सूचना का अधिकार से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा करने हेतु दिनांक 1 एवं 2 फरवरी, 2015 को बेंगलूरु (कर्नाटक) आई।
2. माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संसदीय परामर्श समिति रेशम व रेशम उत्पादन से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय एवं केरेबो के अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा बैठक करने हेतु दिनांक 8 व 9 फरवरी, 2015 को मैसूर (कर्नाटक) आई।
3. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने केरेअवप्रसं, मैसूर का दिनांक 10 फरवरी, 2015 को निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर वस्त्र मंत्रालय व केरेबो के अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा बैठक की ।

2.11 नीति पहल

घरेलू रेशम उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पहल की गई कार्रवाई के फलस्वरूप, भारत सरकार ने नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार नीति निर्णय किया था।

2.11.1 कच्चे रेशम तथा रेशम वस्त्र पर पाटन विरोधी शुल्क

भारत सरकार ने चीन गणतंत्र से कच्चे रेशम और रेशम वस्त्र के आयात पर पाटन विरोधी शुल्क लगाया था। 2 ए श्रेणी और नीचे के कच्चे रेशम के आयात के लिए निर्धारित संदर्भ मूल्य अमेरिकी डालर 37.32 प्रति कि ग्रा जनवरी, 2014 तक लागू रहा। पाटन विरोधी शुल्क के समापन के बाद में, घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर, रेशम उद्योग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया मुकदमा 8 मई, 2014 को दायर किया गया। महानिदेशक पाटन विरोधी ने अधिसूचना 9 दिसंबर, 2014 जारी करते हुए जाँच प्रारंभ की। तदनुसार, 20-100 ग्रा/मी तक भार के चीनी रेशम वस्त्र के आयात हेतु लगाया गया अमेरिकी डालर 2.08 से 7.59 प्रति मीटर मूल्य का पाटन विरोधी शुल्क दिसंबर, 2016 तक लागू रहेगा। कच्चे रेशम और रेशम वस्त्र के आयात पर पाटन विरोधी शुल्क लगाने से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।

2.11.2 कच्चे रेशम के आयात पर सीमा-शुल्क

बजट घोषणा 2013-14 के दौरान, कच्चे रेशम के आयात पर मूल सीमा-शुल्क 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया और इसे सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 12/2013-सीमा-शुल्क दिनांक 01.03.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया। कच्चे रेशम के आयात पर शुल्क बढ़ाने से भारतीय रेशम उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। यही शुल्क संरचना 2014-15 में भी रखी गई।

योजना कार्यक्रम

3.1 केन्द्रीय क्षेत्र योजना

3.1.1 अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल

3.1.1.1 अनुसंधान व विकास

3.1.1.1.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा दिए गए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहायता से रेशम उत्पादन (शहतूती तथा वन्य क्षेत्र) की गुणवत्ता बढ़ाने, ग्रामीण निम्न वर्गों की आय में वृद्धि करने, रेशम उद्योग की सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन और संरक्षित करने में सहायता मिली है। गुणवत्तापूर्ण द्विप्रज रेशम उत्पादन में असाधारण वृद्धि समूह संवर्धन के माध्यम से केरेबो के संस्थानों के अनुसंधान व विकास प्रयासों द्वारा किए गए योगदान का प्रमाण है। इससे रेशम के आयात पर हमारी निर्भरता में भी महत्त्वपूर्ण कमी हुई है।

शहतूती क्षेत्र के अनुसंधान व विकास में कार्यरत मुख्य संस्थान मैसूर (कर्नाटक), बहरमपुर (पश्चिम बंगाल) तथा पाम्पोर (जम्मू व कश्मीर) स्थित केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान हैं, जबकि राँची (झारखण्ड) स्थित केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान एवं लाहदोईगढ़ (असम) स्थित केन्द्रीय मूगा, एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान वन्य क्षेत्र के वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, कोड़ती (कर्नाटक) स्थित रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला बीज क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करती है और बेंगलूरु (कर्नाटक) स्थित रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान करती है। केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर, तमिलनाडु शहतूती रेशमकीट तथा इसके खाद्य पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का रखरखाव और आपूर्ति करती है। केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु कोसोत्तर क्षेत्र की अनुसंधान व विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनुसंधान कार्य नीचे प्रस्तुत हैं :

3.1.1.1.2 शहतूत क्षेत्र

- **केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु, कर्नाटक**

शहतूत तथा रेशमकीट प्रजनन, उत्पादन एवं संरक्षण को शामिल करते हुए अनुसंधान व विकास कार्यक्रम के अलावा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों के शहतूती रेशम के फार्म क्षेत्र की समस्याओं को हल करने एवं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्य कलाप प्रारंभ किए गए हैं। मुख्य उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

शहतूत फ़सल उन्नयन, उत्पादन एवं संरक्षण

- अंतिम उपज मूल्यांकन के लिए चार शहतूत संकर (सं. 6,12,4 व 10) को पहचाना गया, जिसने वी1 (चेक) उपजाति से 15% अधिक उपज दी। मूल विगलन ग्रसित नमूनों से पंचानबे कवक पृथक्कतों का डी एन ए प्राचल तथा रोगजनकता परीक्षण के माध्यम से लक्षण निर्धारण किया गया। पहचाने गए सबसे उग्र प्रभेद का उपयोग मूल विगलन के प्रति प्रतिरोध के लिए शहतूत अभिगमों के चयन के लिए किया जा रहा है।
- मूल विगलन तथा मूल गाँठ के प्रतिरोधी के लिए शहतूत उपजातियों को विकसित करने के लिए संतति पंक्ति परीक्षण के अंतर्गत कृत्रिम क़लम के माध्यम से 550 शहतूत संकर नवोदभिद् पौधों (14 संकर की संकर संतति) को सूचीबद्ध किया गया।
- शहतूत में प्रभावी रोग प्रबंधन के लिए 22 शहतूत रोगों के लिए एक तरफा संसाधन आँकाड़ा आधार विकसित किया गया।
- अखिल भारतीय समन्वित प्रयोग (शहतूत) के अधीन उच्च उपज शहतूत उपजातियों को पहचानने के लिए तीन परीक्षण उपजातियों (जी 4, सी-2038 व सुवर्णा-2) तथा दो चेक (विशाला व वी 1) के लिए चार फ़सलों का उपज आंकड़ा अभिलिखित किया गया है।

- शहतूत के लिए डी यू एस दिशा-निर्देशों के विकास के लिए 57 लक्षणों के लिए 16 उपजातियों के दो फ़सल आँकड़े अभिलिखित किए गए।
- उपजातियों को लोकप्रिय बनाने और क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ में पौधारोपण करने के लिए नयी शहतूत उपजाति, चॉकी कीटपालन के लिए जी 2 (16 एकड़) एवं उत्तरावस्था कीटपालन के लिए जी 4 (17 एकड़) के लिए बीज बागान स्थापित किए गए।

रेशमकीट फ़सल उन्नयन, उत्पादन तथा संरक्षण

- दक्षिणी राज्यों के 2,132 कृषकों के माध्यम से 5.17 लाख रोग मुक्त बीज चकत्तों के साथ उच्च कोसा कवच प्रतिशत (23-24%) एवं कच्चा रेशम पुन: प्राप्ति (18.0-19.0%) के साथ उत्पादक द्विप्रज एकल संकर सीएसआर 16 X सीएसआर 17 का मूल्यांकन किया गया। 64.30 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत उपज अभिलिखित की गई।
- 70-80 कि ग्रा प्रति 100 रोमुबीच की उपज क्षमता, उच्च कोसा कवच प्रतिशत (23.24%) तथा कच्चा रेशम पुन:प्राप्ति (19.20%) वाले तीन उत्पादक द्विप्रज संकर अर्थात् एस 8 X सी एस आर 16, एस एस बी एस 5 X एस एस बी एस 6 (एकल संकर) तथा एफ सी 3 X सी एस आर 17 (तीन प्रकार से संकर) विकसित किए गए हैं।
- बी एम एन ओ एक्स प्रोटीन का उपयोग चिन्हक सहायता प्राप्त चयन कार्यक्रम के माध्यम से दो बी एम एन पी वी सहनशील द्विप्रज संकर, 21 X 35 तथा [(21X118) X (62X87)] विकसित किए गए।
- एस एस आर चिन्हक (एल एफ एल 0329 तथा एल एफ एल 1123) के माध्यम से चार ताप सहनशील रेशमकीट वंश विकसित किए गए।
- उच्च तापमान तथा बी एम एन पी वी सहनशील चार बहुप्रज वंशों को सूचीबद्ध किया गया तथा वर्तमान में ये एफ10 प्रजनन में हैं।
- अंतरराष्ट्रीय श्रेणी के रेशम उत्पादित करने के लिए एल14, बहुप्रज रेशमकीट नस्ल को कोसा रंग तथा आकार समानता, उत्तरजीविता (रोग प्रतिरोधी / सहनशीलता), उत्पादकता तथा उपरति कम करने तथा त्रिनिर्मोक व्यवहार के लिए उन्नयन किया गया। उन्नत वंशों वाले संकर के क्षेत्र परीक्षण से 63 कि ग्रा/100 रोमुबीच तक कोसा उपज अभिलिखित किया गया।
- उन्नत एल 14 वंशों तथा नए द्विप्रज नर घटकों का उपयोग करते हुए कावेरी गोल्ड (एल 14 X एस 8), उच्च उत्पादकता व उच्च तंतु गुणवत्ता वाला एक उन्नत संकर विकसित किया गया।
- नोसिमा बोम्बिसिस का मेट ए पी 2 जीन की अभिव्यक्ति फ्युमेगिलिन से निरोधित पाया गया और इसका उपयोग रेशमकीट में पेब्राइन संक्रमण के चिकित्सीय नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।
- बीज तथा वाणिज्यिक फ़सलों के आँकड़ा संग्रहण तथा रेशमकीट रोगों के अनुश्रवण के लिए सेरी-डी आईएस-वेब पृष्ठ विकसित किया गया और यह कार्यक्रम महाराष्ट्र तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में आयोजित किया जा रहा है।
- ऊजी मक्खी के नियंत्रण के लिए जैव-नियंत्रण कारक नेसोलिंक्स थाइमस (411 लाख संख्या) तथा चूर्णी मत्कुण के नियंत्रण के लिए सोनपंखी भृंग (1.25 लाख संख्या) उत्पादित कर आपूर्ति की गई।
- चॉकी कीटपालन केन्द्रों तथा कृषकों के लाभ के लिए कीटपालन ट्रे की प्रभावी धुलाई तथा रोगाणुनाशन के लिए एक मशीन विकसित की गई है।

रेशम उत्पादन विस्तार

- आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के 106 समूहों में 213.6 लाख रोमुबीच के कीटपालन के माध्यम से 68.2 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज के साथ 2241 मी टन द्विप्रज कच्चा रेशम (देश के कुल द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन का लगभग 60%) उत्पादित किया गया। 14505 कृषकों द्वारा 20174 एकड़ शहतूत पौधारोपण किया गया।
- आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के 11 स्थानों में संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम (सं ग्रा सं का-रेशम आदर्श ग्राम) पुन:प्रारंभ

किया गया। द्विप्रज संकर के 3.59 लाख रोमुबीच के कीटपालन से 8.5% तक कोसा उपज में सुधार हुआ।

- उत्तर कर्नाटक तथा तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के आस-पास के राज्यों के 1863 कृषकों को नयी जी2 शहतूत उपजाति तथा जी11 X जी19 एक रेशमकीट द्विसंकर सहित नयी प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों से अवगत किया गया।
- आदर्श चॉकी कीटपालन केन्द्रों के माध्यम से 32 दलों में 83,900 रोगमुक्त बीज चकत्तों का चॉकी कीटपालन कर 65 गाँवों के 194 कृषकों को आपूर्ति की गई। कोसा उपज 67.4-81.5 कि ग्रा/100 रोमुबीच के बीच रहा।
- शहतूत पौधारोपण, रेशमकीट पालन तथा फ़सल संरक्षण संबंधी 830 विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से 41220 रेशम उत्पादकों को नयी प्रौद्योगिकियों से अवगत किया गया।
- संस्थान द्वारा विकसित कोसा संग्रहण-यंत्र के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम किया गया।

एकस्व तथा वाणिज्यिकरण

- छः एकस्व आवेदन-पत्र (प्यूपा चूर्ण की तैयारी, कार्डिसेप्स का संवर्धन, भुक्तशेष रेशमकीट शलभों का उपयोग, मनुष्य के खाने के लिए प्यूपे, प्यूपे तेल की तैयारी तथा रेशमकीट चूर्ण की तैयारी) को राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए पंजीकृत किया गया।
- आठ प्रौद्योगिकी अर्थात् पोषण, नविन्या, अंकुश, संपूर्णा, पी वी सी चॉकी स्टैण्ड, कोसा संग्रहण-यंत्र, चॉकी पत्ती कर्तक तथा हस्त चालित रेशमकीट पृथक्करण-यंत्र को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से आठ फर्मों के साथ वाणिज्यिकृत किया गया।
- समृद्धि, सेरिमोर तथा सनिटेक सूपर के संपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन के बाद निर्माताओं के साथ वाणिज्यिक उपयोगिता हेतु समझौता करार किया गया।
- रेशम-स्वच्छ तथा रेशम फिट के लिए निर्माताओं के साथ उत्पादों/प्रौद्योगिकी के वैधीकरण के लिए परामर्श परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं।

मानव संसाधन विकास

- एकीकृत कौशल विकास योजना (ए कौ वि यो), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कोसा हस्तशिल्प, शहतूत कृषि एवं बीज प्रगुणन, गुणवत्ता द्विप्रज कोसा उत्पादन, वाणिज्यिक चॉकी कीटपालन, शहतूत व रेशमकीट रोग एवं पीड़क प्रबंधन पर 26 दलों में 499 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- संरचित तथा आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत 751 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इसमें चॉकी कीटपालन कार्य-कलापों में 51 उद्यमियों/ चॉकी कीटपालन केन्द्रों के मालिकों के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण एवं 76 उद्यमियों के लिए एक महीने का प्रशिक्षण शामिल है।
- आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में कार्यरत तीन जापानी विदेशी सहकारी स्वयंसेवकों के लिए एक महीने का रेशम उत्पादन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- बांग्लादेश, फिलीपीन्स, युगाण्डा, थाइलैण्ड तथा मिस्र के 14 प्रशिक्षणार्थियों के साथ भारत सरकार के भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहकारिता द्वारा प्रायोजित रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग पर छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियाँ

क्षेरेअके, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश

- नयी उपजातियों के साथ शहतूत पौधारोपण के अंतर्गत 1264 कृषकों सहित 1977.6 एकड़ को शामिल किया गया है।

- 337 नमूनों का मिट्टी परीक्षण/विश्लेषण किया गया और मिट्टी सुधार उपायों की सिफ़ारिश की गई।
- 509 कृषकों के माध्यम से 1.43 लाख रोमुबीच सहित किए गए सीएसआर 16 X सीएसआर 17 के मूल्यांकन परीक्षण से 64.04 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज दर्ज की गई।
- 525 कृषकों के साथ आई एम एन, पोषण,नविन्या, आई पी एम तथा कम्पोष्ट बनाने संबंधी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- जैव नियंत्रण कारक नेसोलिंक्स थाइमस (1119 थैलियाँ/539 कृषक/31ग्राम) की आपूर्ति से ऊजी का ग्रसन 25-40% से < 4% तक कम हुआ।
- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के अधीन 152 कृषकों के साथ 26,650 द्विप्रज संकर चकत्तों के कीटपालन से 8.34% सुधार के साथ 56.8 कि ग्रा/150 रोमुबीच की औसत कोसा उपज दर्ज़ की गई।
- दो कार्यशालाओं तथा 240 विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर 1750 कृषकों को नयी रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी से अवगत किया गया।
- सी पी पी के अधीन 17,117 कृषकों के यहाँ द्विप्रज संकर के 48.89 लाख रोमुबीच के कीटपालन से 65.4 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज दर्ज़ की गई।
- 1230 कृषकों को प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत 82 दलों में तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत 108 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेरेअके, चामराजनगर, कर्नाटक

- शहतूत पौधारोपण में लाह के उत्पादन की संभावना का मूल्यांकन करने हेतु रेशम-लाह संवर्धन आदर्श का संचालन किया गया। प्रथम फ़सल के परिणाम ने 200-250 कि ग्रा लाह / एकड़ / वर्ष की उपज दर्शायी, जिससे 60000-75000 रु. की अतिरिक्त आय हुई।
- वृक्ष शहतूत कृषि (2.4X2.4 मी) में संभव लघु सिंचाई - प्रौद्योगिकी (संलसिंप्रौ) अपनाने से झाड़ी पौधारोपण के 2380 कि ग्रा / एकड़ की तुलना में शहतूत पत्ती उपज 3060 कि ग्रा / एकड़ तक बढ़ गई।
- 68 कृषकों को जैव-नियंत्रण कारक नेसोलिंक्स की आपूर्ति करने से ऊजी ग्रसन 10.06% से 4.14% तक सीमित हुआ।
- एस. कोकिवोरा भृंग के उत्पादन एवं आपूर्ति (77 बॉक्स/54.5 एकड़) से टुकड़ा चूर्णी मत्कुण ग्रसन 20% से 7.42% तक कम हुआ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन 12 दलों में 180 कृषकों तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अधीन 57 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेरेअके, कोड़ती, बेंगलूरु, कर्नाटक

- 6934 कृषकों के यहाँ 10133.6 एकड़ में नयी शहतूत उपजाति का पौधारोपण किया गया।
- 214 नमूनों का मिट्टी परीक्षण / विश्लेषण किया गया और मिट्टी सुधार उपायों की सिफ़ारिश की गई।
- मूल्यांकन परीक्षण के अधीन, 145 कृषकों के यहाँ सी एस आर 16 X सी एस आर 17 के 36750 रोग मुक्त बीज चकत्तों के कीटपालन से 61.53 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज अभिलिखित की गई ।
- सी पी पी के अधीन 36 समूहों में 77.29 लाख द्विप्रज संकर रोमुबीच के कीटपालन से 66.41 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज अभिलिखित की गई ।
- आई एन एम पोषण, टुकड़ा, नविन्या, आईपीएम एवं कम्पोस्ट बनाने पर 344 कृषकों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के अधीन, 38800 द्विप्रज संकर रोमुबीच के कीटपालन से 12.79% के सुधार के साथ 61.23 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत उपज अभिलिखित की गई।

- 244 विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से 9590 कृषकों को विभिन्न प्रौद्योगिकियों से अवगत किया गया।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन, 48 दलों में 765 कृषकों तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अधीन 81 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेरेअके, सेलम, तमिलनाडु

- सबसे प्रभावी जैव नियंत्रण कारक को पहचानने तथा उसकी सिफ़ारिश करने के लिए कर्नाटक एवं तमिलनाडु के कृषकों के बागान से रसाद के प्राकृतिक शत्रुओं को संग्रहित किए गए ।
- कोसा उपज तथा उन्नत रेशम गुणवत्ता के मामले में केन्द्र में परीक्षण करने से नए आई सी बी (एन डी वी 6 X सी एस आर 51), एकल संकर (डी 2 X डी13) तथा द्वि संकर (डी एच 3) की उत्कृष्टता प्रदर्शित हुई।
- नए उत्पादनकारी द्विप्रज संकर (एस 8 X सी एस आर 6) तथा एन पी वी सहनशील संकर (एम ए एस एन 4 X सी एस आर2) के क्षेत्र में परीक्षण से क्रमश: 82 कि ग्रा तथा 65.2 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज अभिलिखित की गई।
- एसेरोफेगस पपाए के व्यापक प्रगुणन तथा आपूर्ति करके 486 इकाइयों में पपाया चूर्णी मत्कुण का नियंत्रण किया गया।
- जैव नियंत्रण कारकों का व्यापक प्रगुणन : टुकड़ा के नियंत्रण हेतु क्रिप्टालेइमस (48 इकाई) तथा सिमनुस (108 इकाई); पत्ती वेबर के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्राम्मा (157 सी सी) तथा ब्रेकन (245 पॉकेट) तथा रसाद के नियंत्रण के लिए क्राइसोपेर्ला (66000 सं.) उत्पादित कर आपूर्ति की गई।
- कीटपालन गृहों में ऊर्जी मक्खी के नियंत्रण के लिए नेसोलिंक्स थाइमस की 222 थैलियाँ दी गईं।
- 480 नमूनों का मिट्टी परीक्षण किया गया तथा मिट्टी सुधार उपायों की सिफ़ारिश की गई।
- 443 कृषकों के लिए आई एन एम, पोषण, नविन्या, आई पी एम तथा कम्पोस्ट बनाने पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के अधीन, 200 कृषकों के यहाँ द्विप्रज संकर के 1,17,487 रोमुबीच के कीटपालन से 12.9% सुधार सहित 71.1 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज हुई ।
- कार्यशालाओं तथा 240 विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न नयी प्रौद्योगिकियों पर 13066 कृषकों को अवगत किया गया।
- सी पी पी के अधीन तमिलनाडु एवं केरल के 28 समूहों में द्विप्रज संकर के 60.36 लाख रोमुबीच के कीटपालन से देश में उच्चतम कोसा उपज (75.4 कि ग्रा/100 रोमुबीच) अभिलिखित की गई।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के अधीन, 93 दलों में 1394 कृषकों तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अधीन 92 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (केरेअवप्रसं), बहरमपुर, पश्चिम बंगाल

केरेअवप्रसं, बहरमपुर तथा इसकी अधीनस्थ इकाइयों ने अनुसंधान व विकास मध्यस्थता के माध्यम से पूर्वी व उत्तर-पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के उन्नयन के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुसंधान मुख्यत: क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर केन्द्रित रहा। इस अवधि के दौरान रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं की समस्याओं का हल करने के लिए 37 अनुसंधान परियोजनाएँ चलायी गईं। वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्य-कलाप/उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

शहतूत उन्नयन तथा उत्पादकता

- उर्वरक लगाने से बेहत्तर अनुक्रियता शहतूत प्रजाति सी-9 विकसित की गई।
- कम तापमान में नियंत्रण एस-1635 (8.7 मी टन/हे/फ़सल) की तुलना में बेहत्तर पत्ती उपज देने वाली सी-108 (15.4 मी टन/हे/फ़सल), सी-384 (9.7मी टन/हे/फ़सल) तथा सी- 212 (9.2 मी

टन/हे/फ़सल) जैसी शहतूत उपजाति विकसित की गई।

- 7 परीक्षण केन्द्रों में राष्ट्रीय तथा स्थानीय नियंत्रण उपजातियों सहित शहतूत संबंधी अखिल भारतीय समन्वित प्रयोग परीक्षण के अधीन चार नयी शहतूत उपजातियों का परीक्षण किया गया और क्षेरेअके, कालिम्पोंग (पश्चिम बंगाल के पहाड़) को छोड़कर, उपजाति सी-2038 सभी परीक्षण केन्द्रों में बेहत्तर पैदावार देने वाली पायी गई, जहाँ टी आर ने 23 उच्चतम पत्ती उपज दर्ज की।
- विभिन्न मौसमों में विद्यमान प्रणाली की तुलना में घास के आच्छादन के साथ संतुलित जुताई से "कार्बन अभिग्रहण क्षमता" की अधिकतम क्षमता होनी पायी गई।
- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के लिए मिट्टी में उपलब्धता के आधार पर धनायनी सूक्ष्म पोषकों का पर्णीय अनुप्रयोग का ब्यौरा तैयार किया गया है।
- सी-2028, जलाक्रांत दशा के प्रति सहनशील एक शहतूत उपजाति का लोकप्रियकरण पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में किया गया है।
- उत्तर-पूर्वी अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, (उपूअअके), शिलांग के सहयोग से उपग्रह आँकड़ा अधिग्रहण के माध्यम से पश्चिम बंगाल में शहतूत कृषि का विश्लेषण, विकास तथा प्रबंधन प्रारंभ किया गया है।

शहतूत संरक्षण

- पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानों में शहतूत मूल विगलन रोग के रोगकारकों को पृथक कर उसे भारतीय प्रकार की कृषि संग्रहण, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि संग्रहण, पुणे की सहायता से पहचाना गया।
- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत में शहतूत रोगों के नियंत्रण के लिए कवकनाशी के उपयोग के लिए समय-सारणी तैयार कर रोग के पूर्वानुमान सहित संस्थान के वेबसाइट www.csrtiber.res.in में डाला गया।
- शहतूत में जीवाण्विक पर्ण चित्ती सहनशीलता के नियंत्रण के लिए तीन योज्य जीन पहचाने गए।

रेशमकीट उन्नयन तथा उत्पादकता

- वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकृत तीन द्विप्रज, दो बहु x द्विप्रज तथा दो बहुप्रज रेशमकीट संकरों को 10 लाख रोमुबीच के कीटपालन के माध्यम से पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के कृषकों में लोकप्रिय किया गया। नए संकरों ने नियंत्रण संकरों की तुलना में महत्त्वपूर्ण रूप से उच्चतर कोसा उपज दर्शायी।
- अंडाकार तथा डंबलाकार रेशमकीट संकरों का उपयोगकर उन्नत रेशमकीट नस्लों के विकास के लिए शटल प्रजनन तरीका अपनाया गया।
- उच्च कवच प्रतिशत (>17%) तथा उच्च स्वच्छता (>85पी) के आठ प्रजनन वंश विकसित किए गए।
- आई डी निरोधक संवाहक नस्लों के उपयोगकर उच्च कवच भार के बहुप्रज नस्ल विकसित की गई।

रेशमकीट संरक्षण

- विभिन्न रोगों के विरुद्ध बेहत्तर क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य-लाभ अनुपात 1:5.19 सहित एक नया रेशमकीट कक्ष रोगाणुनाशी 'घर शोधन' तैयार किया गया है।

मूल्य में कमी

- एक सक्षम, मितव्ययी तथा पारि-अनुकूल खरपतवार-सह-प्ररोह संग्रह/छँटाई मशीन विकसित की गई है और इसे अधीनस्थ इकाइयों तथा कृषक स्तर पर वैधीकृत किया जा रहा है।
- सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग तथा संरक्षण के लिए क्षेत्र में लघु-सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 50% बचत पर सिंचाई पानी की आवश्यकता को क्षेत्र में लोकप्रियकरण किया गया है। क्षेत्र में "मूल्य प्रभावी ड्रम किट सिंचाई प्रणाली" का लोकप्रियकरण प्रगति पर है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 2083 कृषकों में पाँच प्रौद्योगिकियों का लोकप्रियकरण किया गया।
- मुख्य शहतूत पीड़कों के नियंत्रण के लिए वानस्पतिक पीड़कनाशी का लोकप्रियकरण किया गया।
- उच्च पत्ती उपज प्राप्त करने के लिए वर्षाश्रित दशा में शहतूत में केसीएल (1%) के पर्णीय अनुप्रयोग का लोकप्रियकरण किया गया।
- सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए 0.015% थियामिथोक्ज़ाम का अनुप्रयोग किया गया है।

विस्तार सम्पर्क कार्यक्रम

- विस्तार सम्पर्क कार्यक्रम के अधीन, 73 जागरुकता कार्यक्रम (3599 कृषक), 56 श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम (2599 कृषक), 59 प्रदर्शनी (4307कृषक), 61 क्षेत्र दिवस (2115 कृषक), 68 समूह चर्चा (2382 कृषक), 38 प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी (1291 कृषक) और 7 रेशम कृषि मेला एवं प्रौद्योगिकी कार्यशाला (2603 कृषक) आयोजित किए गए।

द्विप्रज समूह संवर्धन कार्यक्रम

- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी अंचलों के अधीन, 8 राज्य पश्चिम बंगाल (4), ओडिशा (2), बिहार (1), असम (3), मणिपुर (2), मिज़ोरम (1), नागालैण्ड (1) तथा त्रिपुरा (1) में पन्द्रह द्विप्रज समूह सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

मानव संसाधन विकास

रेशम उत्पादन के जारी रखने योग्य विकास के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 958 व्यक्तियों (रे स्न डि-44, कौशल उन्नयन कार्यक्रम-112, एकीकृत कौशल विकास योजना-405, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम-397) प्रशिक्षित किए गए। संस्थान द्वारा विकसित रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलू अर्थात् शहतूत कृषि, रेशमकीट पालन तथा रोग एवं पीड़क प्रबंधन, आदि के संबंध में कृषकों/प्रतिभागियों को नियमित प्रशिक्षण दिया गया।

प्रकाशन

- 46 अनुसंधान लेख, 8 पुस्तकें, 15 विस्तार मैन्युअल तथा 76 तकनीकी बुलेटिन/पत्रक प्रकाशित किए गए।
- सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन में प्रस्तुत राष्ट्रीय जर्नलों में 11 अनुसंधान सार तथा अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में 5 अनुसंधान सार प्रकाशित किए गए।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल ने पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में राजभाषा (हिन्दी) के उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियाँ

क्षेरेअके, कालिम्पोंग, पश्चिम बंगाल

- आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन से प्रत्यायित किया गया।
- अखिल भारतीय समन्वित प्रयोगात्मक परीक्षण के अधीन क्षेरेअके, कालिम्पोंग में शहतूत उपजाति टी आर-23 (10.6 मी टन/हे/वर्ष) तथा अम्बाड़ी फालाकाटा रेशम उत्पादन फार्म में सी-2038 (19.1मी टन/हे/वर्ष) ने बेहत्तर निष्पादन दर्ज किया।
- आगे के प्रगुणन के लिए 690 मूगा बीज रोमुबीच उत्पादित कर वस्त्र निदेशालय (रेशम), पश्चिम बंगाल तथा मूरेबीसं, गुवाहाटी को आपूर्ति की गई।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न मानव संसाधन कार्यक्रम आयोजित किए गए और 64 व्यक्तियों (एकौवियो-28, प्रौहका-06 तथा कृप्रका-30) को प्रशिक्षित किया गया। रेशम उत्पादन के विभिन्न कार्य-कलापों के संबंध में भी कृषकों/प्रतिभागियों को नियमित प्रशिक्षण दिया गया।
- प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम के अधीन, रेशम कृषि मेला, क्षेत्र दिवस, जागरुकता कार्यक्रम तथा समूह चर्चा, प्रौद्योगिकी प्रसार, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम एवं

प्रदर्शनी के माध्यम से उन्नत रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकियों से 156 कृषक/रेशम पणधारी लाभान्वित हुए।

क्षेरेअके, कोरापुट, ओडिशा

- आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन से प्रत्यायित किया गया।
- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन से कृषक स्तर पर नियंत्रण (9.8 मी ट/हे/वर्ष) की तुलना में 8.8% शहतूत पत्ती उपज में वृद्धि हुई।
- एस-1635 तथा सी-1730 शहतूत उपजाति के 19,500 पौधे उगाए गए तथा शहतूत क्षेत्रफल के विस्तार के लिए रेशम निदेशालय, ओडिशा को 5000 एस-1635 तथा 6000 सी-1730 पौधों की आपूर्ति की गई।
- कृषक स्तर पर शहतूत पर्णीय रोगों के सर्वेक्षण तथा निगरानी से यथोचित पूर्वोपाय करने में सुविधा हुई।
- ओडिशा के 75 रेशम उत्पादकों के लिए लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अधीन डेन्किकोटै प्रखंड, क्योंझर, ओडिशा के 15 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेरेअके, जोरहाट, असम

- आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन से प्रात्यायित किया गया।
- शहतूत में सफेद मक्खी के ग्रसन को नियंत्रित करने के लिए उचित कार्यनीति विकसित करने हेतु कॉक्सिनेलिडि परभक्षी, सिमनुस पोस्टिकालिस सिकार्ड की परभक्षी क्षमता की जाँच की गई। आलू अंकुरण तथा कददू पर चूर्णी मत्कुण का व्यापक संवर्धन प्रगति पर है।
- संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी मध्यस्थता से कृषक स्तर पर पत्ती उपज में 12.6% का लाभ तथा कोसा उपज में 18.5% का लाभ प्राप्त हुआ।
- एआईसीईएम कार्यक्रम के अधीन क्षेरेअके, जोरहाट तथा अविके, इम्फाल में पाँच शहतूत उपजातियों के मूल्यांकन किए गए में से सी -2038 उच्चतम पत्ती उपज दर्शायी।
- रेशमकीट संकरों के लोकप्रियकरण के अंतर्गत, शरद् तथा वसंत ऋतुओं के दौरान 2237 कृषकों को एफ सी 1 X एफ सी 2 तथा एस के 6 X एस के 7 रेशमकीट संकरों के 1.7 लाख रोमुबीच की आपूर्ति की गई।
- श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम, प्रदर्शनी, क्षेत्र दिवस, विचार गोष्ठी तथा कृषि मेला के माध्यम से 3997 पणधारियों को अवगत किया गया। इसके अतिरिक्त, 742 कृषकों को शहतूत तथा रेशमकीट प्रौद्योगिकियों एवं रोग व पीड़क प्रबंधन प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। एकीकृत कौशल विकास योजना प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए।
- 6 तकनीकी बुलेटिन तथा 5 पत्रक प्रकाशित करने के अलावा, 805 कृषकों को शामिल कर कृषकों की निर्देशिका प्रकाशित की गई।

क्षेरेअके, राँची, झारखण्ड

- एआईसीईएम के अधीन, शहतूत सी-2038 उपजाति के प्रयोगात्मक परीक्षण ने बेहत्तर निष्पादन किया।

• केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, पाम्पोर, जम्मू व कश्मीर

यह संस्थान अपने 3 क्षेरेअके तथा 18 विस्तार केन्द्रों के तंत्र से भारत के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के रेशम उत्पादन विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। द्विप्रज उत्पादन कार्यक्रम के अधीन, 49 समूह तथा 5 संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम परिचालन में हैं। वर्ष, 2014-15 के दौरान संस्थान की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

शहतूत उन्नयन, उत्पादन तथा संरक्षण

- शीतोष्ण दशा में जननद्रव्य बैंक में उगाए गए शहतूत उपजाति/जीन प्ररूपों के मूल्यांकन ने दर्शाया कि

उष्णकटिबंधीय जीन प्ररूप में शीतोष्ण से एक महीने पहले फूल खिले, लेकिन उनके फल तथा बीज का भार शीतोष्ण जीन प्ररूप की तुलना में कम रहा।

- शहतूत उपजाति एस-140 ने जम्मू व कश्मीर की शीतोष्ण दशा में उपज, पाला क्षति तथा जैव-रासायनिक प्राचलों के मामले में गोशोएरामी से बेहत्तर निष्पादन दिया। एस-140 की पत्ती उपज़ गोशोएरामी (11.2 से 17.7 मी टन/हे/वर्ष) बौने प्रकार के पौधारोपण की तुलना में 21.9 से 29.5 मी टन/हे/वर्ष के बीच रही।
- देशी आब्युस्कुलर कवकमूल (आ क) कवक तथा जीवाण्विक अंत:पादप के पृथक्करण पर मौसमी बीजाणु संख्या अध्ययन ने दर्शाया कि ए एम बीजाणु संख्या शरद् ऋतु में मध्यम (19-28 बीजाणु रहा और जाड़े (10-15 बीजाणु/10 ग्रा मिट्टी) में कम रहा। 10 जीवाण्विक प्रथक्कृत में से सी एस बी पी बी 04 एकमात्र प्रथक्कृत है, जो सिडेरोफोर कार्य-कलाप के लिए सकारात्मक परिणाम दिए, जबकि अन्य प्रथक्कृत सी एस बी पी बी 03 तथा सी एस बी पी बी 05 ने स्टार्च के उपयोग के लिए सकारात्मक परिणाम दिए ।
- एकीकृत पोषक प्रबंधन तरीके ने नियंत्रण (क्रमश: 0.62%, 11.00 पी पी एम,1.06X10^6 सी एफ यू/ग्रा एवं 0.8X10^5 सी एफ यू/ग्रा) की तुलना में मिट्टी में जैव कार्बन (0.76%), (एफ ई) (28.45 पी पी एम), जीवाण्विक (1.58X10^6 सी एफ यू/ग्रा) तथा कवक अंश (2.4X10^5 सी एफ यू/ग्रा) बढ़ाया।
- कश्मीर घाटी में आसानी से पहचाने जाने के लिए शहतूत फ़सल पीड़कों के सामान्य प्राकृतिक शत्रुओं की नैदानिक संदर्शिका तैयार की गई है।
- "शहतूत कीट पीड़क व रोग नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रुओं की खोज" परियोजना के अधीन 3 परजीव्याभ अर्थात् पेरिलैम्पस प्रजाति, कैम्पोलेटिस प्रजाति तथा ब्रांचिमेरिया लेसस (वाल्कर) के कार्यकलाप तथा ऋतु निष्ठता पहली बार कश्मीर में दर्ज़ की गई।
- तीन चूर्णिल आसिता अशन कॉक्सिनेलिडी अर्थात् हैलिज़िया सैन्क्रिटा मुल्सेन्ट, प्रॉपिलिया लूटियोपुस्टुलाटा (मुल्सेन्ट) तथा स्टेथोरस एप्टस कपूर भी कश्मीर में पहली बार दर्ज़ की गई।
- कश्मीर क्षेत्र में एकीकृत पीड़क तथा रोग नियंत्रण मोड्यूल (ए पी रो नि मो) के फार्म-में प्रदर्शन ने दर्शाया कि नियंत्रण की तुलना में मुख्य कीट पीड़क तथा रोगों में 23 से 40% गिरावट आई।
- 'महिला सशक्तिकरण' परियोजना के अधीन, रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से औसत कोसा उपज से 12 कि ग्रा की वृद्धि दर्ज़ की गई, जिससे 5257 रु. तक आय में वृद्धि हुई।
- कश्मीर की शीतोष्ण दशा में बिखरे शहतूत वृक्षों में उर्वरक लगाने संबंधी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ने क्षेत्र में 14.46% पत्ती उपज में सुधार दर्शायी।

विस्तार

- 49 समूहों के माध्यम से 84.69 मी टन द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादित किया गया।
- अधिकृत संकर अर्थात् उत्तर-पश्चिम भारत में सी एस आर द्विसंकर (एफ सी 1 x एफ सी 2) की तुलना में जेन 3 x जेन 2, ए पी एस 45 x ए पी एस 12, ए पी एस 5 x ए पी एस 4, एस के 6 x एस के 7, दून 17 x दून 18, सी एस आर 46 x सी एस आर 47 तथा सी एस आर (डी एच) ने बेहत्तर निष्पादन दर्शाया ।
- दो कृषि मेला, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश प्रत्येक में एक-एक आयोजित किया गया है, जिसमें 2000 से अधिक कृषकों ने भाग लिया और जिसमें रेशम उत्पादन संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रसार किया गया और तत्संबंधी चर्चा की गई।
- उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, रेशम उत्पादन विकास विभाग, पुलबामा के सहयोग से 200 रेशम उत्पादन कृषकों का एक समुदाय आधारित संगठन (स आ सं) त्राल तहसील में विकसित किया गया। प्रत्येक 20 कृषकों के 10 रेशम उत्पादन समूहों का एक समूह स्तर का संघ गठित किया गया।

प्रशिक्षण

➢ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन उत्तर-पश्चिम भारत के रेशम निदेशालय के 2645 कर्मचारियों तथा कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन भी 761 बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेरेअके, मीरांसाहिब, जम्मू व कश्मीर

➢ जननद्रव्य बैंक में अनुरक्षित 10 शहतूत जननद्रव्य अभिगमों में से जम्मू प्रभाग के उप-शीतोष्ण दशा में कोकसू-20 तथा कोकसू-21 के जैव-रासायनिक प्राचल ने उच्चतर कुल प्रोटीन अंश; बी सी-259 ने उच्चतर कार्बोहाइड्रेट अंश दर्शाया।

➢ जम्मू की उप-शीतोष्ण दशा में, वसंत में कीटपालन करने के लिए पाँच उच्च श्रेणी के शहतूत जीन प्ररूप एस-1635, एस-146, सी 4, ए आर 12 तथा सुजानपुर स्थानीय पहचाने गए है। केन्द्र को अनुसंधान, विस्तार, परामर्श तथा मानव संसाधन विकास के लिए आई एस ओ 9001:2008 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

➢ क्षेरेअके, जम्मू में वसंत 2014 के दौरान, शहतूत जननद्रव्य अभिगमों के मूल्यांकन तथा लक्षण-निर्धारण के अंतर्गत उच्च पाँच शहतूत उपजातियों की पत्ती उपज का मूल्यांकन तथा लक्षण निर्धारित किया गया, जिनमें एस-1635 (0.789 कि ग्रा/पौधा), एस-146 (0.585 कि ग्रा/पौधा), सी-4 (0.564 कि ग्रा/पौधा),ए आर-12 (0.509 कि ग्रा/पौधा) तथा सुजानपुर स्थानीय (0.496 कि ग्रा/पौधा) रहे।

➢ जल प्रतिबल दशा में ट्रयाज़ोल यौगिक पैक्लोबुट्राज़ोल (10-25 मि ग्रा एल-1) पौधशाला के पौधों की उत्तरजीविता में सुधार लाने हेतु प्रभावी पाया गया।

➢ जम्मू के विभिन्न भागों में फार्म में आयोजित परीक्षण के अधीन विशाला ने 71-96% उत्तरजीविता दर्शायी।

➢ रेशमकीट पालन की उन्नत तकनीकी तथा रोग प्रबंधन अपनाने से वसंत तथा शरद् फ़सल 2013 तथा 2014 के दौरान अपनाए गए कृषकों के साथ कोसा उत्पादकता में 60-65% सुधार प्राप्त हुआ।

क्षेरेअके, सहसपुर, उत्तराखण्ड

➢ शहतूत उपजाति एस-140 (पी पी आर-140 के रूप में पुन:नामित) में 90% से अधिक उत्तरजीविता दर्ज़ की गई तथा क़लमों की आपूर्ति रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड को की गई।

➢ 'शरद् विशिष्ट रेशमकीट नस्ल संकर' के अधीन, उत्तरावस्था वसंत में नियंत्रण (एस एच-6 x एन बी 4 डी 2) के 69.10% की तुलना में 81.50% का उच्चतम कोशितीकरण दर ए पी एस-9 x ए पी-5 में अभिलिखित किया गया, जिसके बाद 78.05% के साथ ए पी एस एच टी - 05 x सी एस आर-51 का स्थान रहा । उत्तरावस्था शरद् कीटपालन में, नियंत्रण में (एस एच-6 x एन बी 4 डी 2) के 77.27% की तुलना में 82.35% की उच्चतम कोशितीकरण दर बी आर ओ-2 x ए पी एस एच टी-05 में अभिलिखित की गई, जिसके बाद 80.13% के साथ सी एस आर-46 x ए पी एस-9 का स्थान रहा।

➢ नाईट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु स्टेनोट्रोफोमोनास माल्टोफिलिया के स्थानीय विभेदों का उपयोग कर जैव उर्वरकों का उत्पादन तथा आपूर्ति के कारण कृषक स्तर पर पत्ती उपज में सुधार हुई।

➢ एआईसीई एम परीक्षण के अधीन, वसंत के दौरान एस-146 (3.34 मी टन/हे/वर्ष) तथा सी -2038 (3.33 मी टन/हे/वर्ष) अधिकतम पत्ती उपज तथा शरद् ऋतु में टी आर-23 (8.62 मी टन/हे/वर्ष) दर्ज की गई।

➢ शहतूत छँटाई प्रौद्योगिकी के पुन:वैधीकरण परीक्षण ने शहतूत फ़सल में पत्ती गुणवत्ता में सुधार दर्शायी तथा रोग आपतन कम हुआ और इसके फलस्वरूप, शरद् ऋतु में सफल रेशमकीट पालन हुआ।

क्षेरेअके, घुमारवीं, हिमाचल प्रदेश

➢ भाद्रोग फार्म में एस-146, एस-1635, टी आर-10, एस-34, ए-36 तथा विशाला शहतूत उपजातियों का पौधारोपण प्रारंभ किया गया है।

- वसंत के दौरान, सी पी पी के अधीन 25000 रोग मुक्त बीज चकत्तों का चॉकी कीटपालन कर 300 कृषकों को आपूर्ति की गई तथा 51.97 कि ग्रा/100 रोमुबीच अभिलिखित किया गया, जबकि शरद् के दौरान, 7350 रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 246 कृषकों को वितरित किया गया। 36.50 कि ग्रा/100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज अभिलिखित की गई।
- विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से 898 कृषकों को शहतूत कृषि तथा रेशमकीट पालन की अद्यतन प्रौद्योगिकियों के संबंध में अवगत किया गया।

• केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र, होसूर, तमिलनाडु

यह संस्थान भारत के रेशम-जैव विविधता के संरक्षण तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अधिदेश के साथ शहतूत तथा रेशमकीट के लिए राष्ट्रीय सक्रिय जननद्रव्य स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। केरेजसंके आवश्यक संसाधन सामग्रियों की आपूर्ति कर रेशमकीट तथा शहतूत में अनुसंधान करने हेतु अन्य अनुसंधान संगठनों तथा संस्थानों को प्रेरित करता है। वर्ष के दौरान केरेजसंके की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :-

- पर-स्थाने क्षेत्र जीन बैंक में 1269 शहतूत जननद्रव्य अभिगम संरक्षणाधीन हैं। वर्ष के दौरान 34 नए शहतूत तथा छः रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक को प्रवर्तित किया गया।
- अनुसूचित कीटपालन के माध्यम से 458 रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक (77 बहुप्रज, 361 द्विप्रज तथा 20 उत्परिवर्ती) का अनुरक्षण किया गया।
- उच्चतर जल उपयोग क्षमता (उ ज उ क्ष) के लिए 17 शहतूत अभिगम (एम आई-0214, एम आई-0768, एम ई-0016, एम आई-0025, एम आई -0332, एम ई-0244, एम ई-0107, एम आई-0699, एम आई-0026, एम आई-0256, एम आई-0477, एम ई - 0125, एम आई-0298, एम आई-0762, एम आई-0437, एम आई-0763, एम आई-0314) पहचाने गए
- उच्चतर नाइट्रोजन उपयोग क्षमता के लिए 25 शहतूत अभिगम (एम आई-0139, एम आई-0178, एम आई-0573,एम आई-0416, एम आई-0193, एम आई-0533, एम आई 0256, एम आई-0332, एम आई-0768, एम आई-0762, एम आई-0477, एम आई-0622, एम आई-0226, एम आई-0657, एम आई-0763, एम आई-0346, एम आई-0025, एम आई-0699, एम आई- 0314,एम आई-0214, एम आई-0670, एम आई-0827, एम आई-0161) पहचाने गए।
- लवणीय सहनशीलता के लिए 20 शहतूत अभिगम (एम आई-0437, एम आई-0376, एम आई-0327, एम आई-0670, एम आई-0657, एम आई-0012, एम आई-0476, एम आई-0242, एम आई-0129, एम आई-0245, एम आई-0161, एम आई-0763, एम आई-0716, एम आई -0310, एम आई-0145, एम आई-0497, एम आई-0499, एम आई-0027, एम आई-0139 तथा एम आई-0764) एवं क्षारीय सहनशीलता के लिए 18 अभिगम (एम आई-0226, एम आई-0670, एम आई-0836, एम आई-0652, एम आई-0762, एम आई-0449, एम आई-0764, एम आई-0437, एम आई-0716, एम आई-0822, एम आई-0310, एम आई-0248, एम आई-0702, एम आई-0190, एम आई-00643, एम आई-0499, एम आई-0788 तथा एम आई-0466) पहचाने गए।
- प्रतिबल सहनशीलता मूल्यांकन के लिए शहतूत में लघु भूखंड तकनीक प्रारंभ किया गया। लवणीयता सहनशीलता से युक्त कम पत्ती ऊतकक्षय तथा एन+के+अनुपात पाए गए, जबकि क्षारीय सहनशीलता पर्णहरित स्थायित्व संबद्ध पाए गए।
- आण्विक मूल्यांकन तथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक विशेषकों के साथ परस्पर संबंध के आधार पर 150 क्रोड़ शहतूत अभिगमों को पहचाना गया। अनोखे शहतूत अभिगमों के लिए ई-वनस्पति संग्रहालय तैयार किया गया।
- आकारिकी, प्रजनक, शरीर रचना विज्ञान निरुपक के लिए 22 नए शहतूत जननद्रव्य अभिगमों का लक्षण निर्धारण किया गया।

- 125 शहतूत अभिगमों को शीत-जीन बैंक में संरक्षित किया गया।
- कोसोत्तर प्राचलों के लिए आठ बहुप्रज तथा दो रेशमकीट बहुप्रज अभिगमों का मूल्यांकन किया गया तथा फाइब्रोइन/सेरिसिन अंश के लिए 37 अभिगमों का मूल्यांकन किया गया।
- देशभर के आठ चयनित केन्द्रों में वसंत तथा शरद् ऋतुओं के दौरान महत्त्वपूर्ण आर्थिक लक्षणों के लिए उच्च-10 द्विप्रज रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक पहचाने गए और उनके मूल्यांकन किए गए।
- विभिन्न अनुसंधान व विकास संस्थानों को 71 शहतूत अभिगमों तथा 196 रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक की आपूर्ति की गई।
- 150 अभिगमों की आकारिकी, प्रजनक, पत्ती शरीर रचना विज्ञान, विकास तथा उपज, प्रवर्धन, जैव-रासायनिक, रोग आपतन तथा पासपोर्ट सूचना पर आँकड़ों के साथ शहतूत जननद्रव्य सूची-पत्र (जिल्द-V) प्रकाशित की गई।

• रेशमकीट बीज प्रौद्योगिक प्रयोगशाला, कोड़ती, बेंगलूरु, कर्नाटक

रेशमकीट बीज क्षेत्र के उन्नयन के प्रौद्योगिकी के विकास, रेशमकीट रोगों के अनुश्रवण, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पणधारियों को प्रशिक्षण देना रेबीप्रौप्र, कोड़ती का अधिदेश है। वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

- मूल्यांकन परीक्षण से द्विप्रज रेशमकीट संकर एस के 6 तथा एस के 7 एवं उष्णकटिबंधीय एकप्रज प्रजाति, बारापत के संरक्षण के लिए 4,6,8 तथा 10 महीने की शीत निष्क्रियता अनूसूची सुरक्षित नियोजन की पुष्टि हुई।
- द्वि-तल्ला संरक्षण विधि अपनाते हुए प्रस्फुटन तथा कीटपालन निष्पादन को प्रभावित किए बिना 11-12 दिन तक एरी रेशमकीट अंडों के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- दीप्तिकालिता परिचालन अध्ययन ने तसर त्रिप्रज (97.55%) तथा द्विप्रज कोसों (89.68%) में पूर्वाह्न 5.00 से 8.00 बजे के बीच में अधिकतम शलभ निर्गमन दर्शाया।
- निस्तरी (चालसा, बालापुर तथा डेबरा) के नाभिकीय बीज (पी4) तथा नए बहुप्रज संकर अर्थात् एम 12 डब्ल्यू, एम 6 डीपीसी तथा एम. कॉन 1 का असली लक्षणों के साथ अनुरक्षण किया गया और 2680 बुनियादी बीज रोमुबीच की आपूर्ति की गई।
- रेशम निदेशालय तथा केरेबो के विभिन्न एककों से प्राप्त द्विप्रज विशुद्ध तथा संकर बीज (241 ढेर के 28 घान) का भ्रूण परीक्षण किया गया और ऊष्मायन हेतु अंडों के निर्मोचन की संभाव्य तारीख दी गई।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रेशमकीट बीज फ़सल के कीटपालन करने की उपयुक्तता के लिए सौर सहनशील ऊर्जा मॉडल (सौ स उ मॉ) कीटपालन गृह की परीक्षण जाँच की गई है। सौर सहनशील ऊर्जा मॉडल कीटपालन गृह में रेशमकीट के लिए आवश्यक अनुकूलतम तापमान (21-29^{o} सें) व आर्द्रता (47-89%) का रख-रखाव आसानी से किया जा सकता है।
- कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से रेशमकीट रोग अनुश्रवण सर्वेक्षण किए गए और 398 द्विप्रज तथा 1457 बहुप्रज नमूनों का परीक्षण किया गया।
- कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा रारेबीसं के 605 अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों, बीज कृषकों तथा पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए बीज फ़सल कीटपालन, रेशमकीट रोग प्रबंधन, अंडा उत्पादन तथा उसकी देख-रेख संकर नस्ल के अंडों की लंबी अवधि तक संरक्षण संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत बीज प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर रेशम निदेशालय / केरेबो के 424 रेशम उत्पादक कार्मिकों तथा कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

• रेशम जैव- प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, कोड़ती, बेंगलूरु, कर्नाटक

अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रेशम जैव-प्रौद्योगिकअनुसंधान प्रयोगशाला, कोड़ती बहु-अनुशासनिक तरीके से रेशमकीटों तथा उनके परपोषी पौधों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान करता है। संस्थान ने पारजीनी रेशमकीट के विकास उत्पादकता तथा रोग सहनशीलता से जुड़े आण्विक चिन्हक की पहचान तथा उपयोग, जीन कार्यों का स्पष्टीकरण, रोगजनकों का सरल तथा सही पहचान तथा पर्याप्त आर्थिक तथा स्वास्थ्य देख-रेख लाभ के साथ रेशम प्रोटीन के उपयोग की विविधता को नए मार्ग तक ले जाने में अपनी पहचान पहले ही बनाई है। वर्ष के दौरान की गई मुख्य उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

- शहतूत रेशमकीट, बोम्बिक्स मोरी के मुख्य रोगजनकों के विश्वसनीय तथा शीघ्र पता लगाने के लिए पी सी आर-आधारित तकनीक विकसित किए गए। क्षेत्र में उपयोग हेतु विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों को इन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया
- चिन्हक सहायता प्राप्त प्रजनन कार्यक्रम के अधीन विकसित एन पी वी सहनशील द्विप्रज बोम्बिक्स मोरी वंश (उन्नत सी एस आर 2), अर्थात् एम ए एस एन 4,6 तथा 7 का परीक्षण सीमित क्षेत्र परीक्षण के अंतर्गत किया गया। सी एस आर 2 संकर के 60 कि ग्रा के मुकाबले 65 कि ग्रा /100 रोमुबीच की औसत कोसा उपज के साथ एम एस एन 4 X सी एस आर 4 तथा सी एस आर 4 X एम ए एस एन 4 के संकरों ने अच्छा निष्पादन किया।
- उच्च बहुप्रजता वाणिज्यिक संकर विकसित करने के लिए रेशमकीट पैतृक स्टॉक के चयन के लिए क्षमतावान चिन्हक के रूप में उपयोग करने के लिए बोम्बिक्स मोरी तथा सामिया रिसिनी के विटेलोजेनिन रिसेप्टर (वि रे) जीन का लक्षण-निर्धारण किया गया।
- बी सी4 एफ 10 पीढ़ी तक कीटपालन करने पर सी एस आर 4 तथा सी एस आर 27 के एन पी वी सहनशील पारजीनी वंशों में एन पी वी सहनशीलता में 30% वृद्धि पायी गई।
- *बी.मोरी* डेनसोवायरस-2 के भारतीय पृथक्कृत के डी एन ए पोलीमरेस जीन की पूरी लंबाई क्लोनिंग तथा क्रमबद्ध किया गया।
- रेशमकीट संकर ए पी एच टी पी -5, ए पी एस-9 तथा बी बी ई-198 को बी एम डी एन वी-2 प्रतिबल रेशमकीट संकर विकसित करने के लिए क्षमतावान मूल जनक के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि उनमें बी एम डी एन वी-2 प्रतिबल (एन एस डी-2) जीन हैं।
- *बी.मोरी* में ऊजी मक्खी संक्रमण के बाद हीमोसाइट्स के सूक्ष्म-सारणी विश्लेषण ने कार्बोक्सिल एस्टरेस, हाइड्रोलेसिस, ग्लुटाथियोन ट्रान्सफरेस, अल्कोहॉल डीहाइड्रोजिनेस तथा पेपटिडेस इन्हिबिटर जैसे डीटोक्सिफिन्केशन जीन का अच्छी तरह से विनियमन दर्शाया, जो हीमोसाइट्स में डीटोक्सिफि-न्केशन प्रक्रिया का उत्प्रेरण दर्शाया।
- *बोम्बिक्स मोरी* में ऊजी मक्खी मैगट के विरूद्ध तरल रोधक्षमता में हीमोसाइट्स की भूमिका तथा संपुटीकरण घटना का कोशिकीय उत्प्रेरण ने ऊज़ी मक्खी के उत्पीड़न के बाद हीमोसाइट में रोधक्षम-उत्प्रेरक प्रोटीन, कोशिका आसंजक प्रोटीन तथा हीमोसाइट-विशिष्ट इंटेग्रिन आल्फा उप-इकाई 1 द्वारा दर्शायी।
- लघुबीजाणु ग्रस्त बोम्बिक्स डिम्भक के प्रोटियोमिक अध्ययन ने हीमोसाइटिन, काइमोट्राइपिसिन रोधी, काइमोट्राइपिसिन निरोधी, प्रोफीनॉल ऑक्सीडेज उप-इकाई 2, एस ई आर पी आई एन 9 तथा सेरीलफोरिन परपोषी जैसी अनुक्रिया प्रोटीन की उपस्थिति दर्शायी, जो हीमोसाइट में तरल रोधक्षमता प्रणाली का उत्प्रेरण दर्शाया।
- आर डी आर पी जीन प्राइमरों के आधार पर फ्लेचरी-ग्रस्त तसर रेशमकीटों से संक्रामक फ्लेचरी विषाणु पहचाना गया है और इसे ए एम एल एफ वी के रूप में पदनामित किया गया है।

➢ नोसिमा बोम्बिक्स के एम ई टी ए पी II जीन के क्लोनिंग, क्रमबद्धता तथा जातिवृत्तिक विशलेषण नोसिमा ने सेरिनेइ के एम ई टी ए पी II जीन के साथ समानता दर्शाया।

3.1.1.1.3 वन्य क्षेत्र

- **केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची, झारखण्ड**

केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची, झारखण्ड उष्णकटिबंधीय तथा ओक तसर क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ सृजित करने तथा क्षेत्र में उनके प्रभावी हस्तांतरण की जिम्मेदारी से सम्पन्न प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह अपने 08 क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों, 10 अनुसंधान विस्तार केन्द्रों तथा 03 पी 4 केन्द्रों के तंत्र के माध्यम से पणधारियों, मुख्यत: जनजातियों को प्रौद्योगिकी-आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ देश के सभी तसर उत्पादक राज्यों को समर्थन प्रदान कर रहा है। तसर संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के अलावा, यह संस्थान उच्चतर उत्पादकता तथा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए तसर रेशमकीट की जटिलताओं का पता लगाने हेतु आण्विक स्तर पर अनुसंधान भी करता है। इस वर्ष के दौरान इस संस्थान तथा इसकी अधीनस्थ इकाइयों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

परपोषी पौधा उन्नयन, उत्पादन तथा संरक्षण

➢ टर्मिनेलिया प्रजाति के 16 संकर संयोजन विकसित किए गए तथा 29 एफ$_1$ नवोद्भिद पौधे पृथक किए गए, जो आगे के विश्लेषण के लिए क्लोनीय संवर्धन के माध्यम से प्रगुणन के अधीन हैं।

➢ नया परपोषी पौधा, लेजरस्ट्रोमिआ स्पीसिओसा के संवर्धन तथा कृषि के उपयुक्त पैकेज का मानकीकरण किया गया है।

➢ जैव-अमापन अध्ययन ने दर्शाया कि टर्मिनेलिया अर्जुन तथा टी. टोमेनटोसा की तुलना में लेजरस्ट्रोमिआ स्पीसिओसा में डिम्भकीय अवधि थोड़ी अधिक थी, जबकि प्रभावी कीटपालन दर सभी खाद्य पौधों में लगभग समान था।

रेशमकीट उन्नयन, उत्पादन तथा संरक्षण

➢ उच्च बहुप्रजता (>250 अंडे/रोमुबीच) के लिए सी टी आर-14 विकसित किया गया। विकसित रेशमकीट का बहुस्थानीय परीक्षण विभिन्न कृषि-जलवायु दशा में पाँच क्षेतअके/अविके में किया गया।

➢ लरिया X रैली पारि-प्रजातियों के एफ1 ने कोसा उपज तथा गुणात्मक विशेषक के मामले में साल पर बेहत्तर निष्पादन दर्शाया।

➢ उष्णकटिबंधीय तसर रेशमकीट - डाबा, सुकिन्दा, सरिहान, मोदल, मोदिया, रैली, कोरबी, धुर्की, बरहरवा, नेतरहाट, बाराफ तथा लरिया की 12 पारि-प्रजातियों के जननद्रव्य का अनुरक्षण किया जा रहा है।

➢ एन्थीरिया माइलिट्टा के ए एम सी पी वी सहनशील डाबा द्विप्रज तथा डाबा त्रिप्रज विकसित किया गया है तथा ये क्षेत्र मूल्यांकन के अधीन हैं।

➢ अप्रैल तथा मई महीने के दौरान, 15 दिनों तक उपरति प्यूपे के शीत तापमान उपचार (20-22^o सें) से 10-15 दिन तक शलभ निर्गमन में विलंब हुआ।

➢ तसर कोसे से सेरिसिन को पृथक करने तथा उसके लक्षण-निर्धारण संबंधी प्राथमिक कार्य प्रारंभ किया गया है। सेरिसिन के टाइरोसिनेसरोधी कार्य-कलाप कान्तिबर्द्धक उद्देश्य के लिए उसके संभावित उपयोग को दर्शाता है।

कोसोत्तर प्रौद्योगिकी

संस्थान द्वारा विकसित सुवाह्य मोटरचालित धागाकरण चरखा तथा धागाकरण-व कताई मशीनों का बहु-स्थानीय परीक्षण किया गया। मोटरचालित धागाकरण चरखा का अधिकतम निष्पादन 296 ग्रा/4 घंटा था और उत्पादित सूत 60/70 डेनियर है, जो बाना के उपयुक्त है। धागाकरण व कताई मशीन का अधिकतम निष्पादन 60-70 डेनियर सूत के लिए दोनों छोरों पर 85 ग्रा/4 घंटा

है और इस तरह उत्पादित सूत की सिफ़ारिश ताना-बाना के लिए की गई है।

एकस्व

"तसर रेशमकीट में पेब्राइन रोग के नियंत्रण के लिए औषध तैयार" करने के लिए संस्थान को एकस्व (सं. 264864 दिनांक 27.01.2015) प्रदान किया गया है।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियाँ

क्षेरेअके, जगदलपुर, छत्तीसगढ़

स्थानीय पारि-प्रजाति रैली के संरक्षण, प्रगुणन तथा लोकिप्रियकरण के लिए रेशम निदेशालय, छत्तीसगढ़ को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। रैली के कोसों तथा शलभ के आर्थिक तथा आकारमिति लक्षणों, प्रजनन क्षमता, जीवन वृत्त, जीवन चक्र, प्राकृतिक प्रगुणन, पीड़क तथा परभक्षियों के संबंध में अध्ययन किया गया। 100 कृषकों से संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

क्षेतअके, बारीपदा, ओडिशा

सिमिलिपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मोदल पारि-प्रजाति सहित उष्णकटिबंधीय तसर रेशमकीट प्रजातियों के संरक्षण तथा मूल्यांकन के लिए रेशम निदेशालय, ओडिशा को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। क्षीयमान स्थानीय पारि-प्रजाति सुकिन्दा को पर-स्थाने दशा में संरक्षित करने के लिए, इसके प्रगुणन तथा आनुवांशिक आधार को विस्तृत करने के लिए 1200 अच्छे कोसों को बीजागार में रखा गया है। डाबा त्रिप्रज की द्वितीय फ़सल के मानकीकरण के लिए अध्ययन किया गया। 100 कृषकों के साथ संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

क्षेतअके, दुमका, झारखण्ड

स्थानीय पारि-प्रजाति सरिहान के संरक्षण का कार्य किया गया और 492 रोमुबीच के कीटपालन से 29 कोसे/रोमुबीच की दर पर 14235 कोसा फ़सल अभिलिखित की गई। इन कोसों को बीजागार उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया। इसके अलावा, केन्द्र ने रेशम निदेशालय, झारखण्ड को भी तकनीकी सहायता प्रदान की।

क्षेतअके, भंडारा, महाराष्ट्र

भंडारा में पारि-प्रजाति का संरक्षण तथा प्रगुणन सबंधी कार्य जारी रखा गया। इस पारि-प्रजाति के लिए कोसों का ग्रीष्म संरक्षण I, II व III फ़सल के दौरान I, II व III बीजागार तथा कीटपालन किया गया। भंडारा में पारि-प्रजाति के संरक्षण के लिए विकसित कार्य-नीति के आधार पर रेशम निदेशालय के साथ संयुक्त परियोजना तैयार की गई। क्षेतअके ने रेशम निदेशालय, महाराष्ट्र तथा बी ए आई एफ को तकनीकी सहायता प्रदान की तथा महाराष्ट्र में तसर रेशम उत्पादन के विकास हेतु परियोजना तैयार करने में रेशम निदेशालय के साथ जुड़ा रहा। समूह विकास कार्यक्रम के अधीन, निस्ति में एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया और कृषकों को तकनीकी दिशा-निर्देश दिया गया। तसर कीटपालन प्रौद्यागिकी में 25 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। बीज अधिनियम संबंधी जागरुकता कार्यक्रम में 350 कृषकों ने भाग लिया और 99 बीज कृषकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

क्षेतअके, वारंगल, तेलंगाना

प्राकृतिक पुनरुज्जीवन तरीकों के माध्यम से पारि-प्रजाति, एन्थीरिया माइलिट्टा ड्रूरी के आंध्र स्थानीय के संरक्षण के लिए क्रोड अंचल में एक सर्वेक्षण किया गया। आन्ध्र स्थानीय के 841 वन्य कोसे संग्रहित कर संरक्षित किए गए। समूह संवर्धन कार्यक्रम के अधीन, प्रथम फ़सल के दौरान 99 कृषकों ने 8620 रोमुबीच का कीटपालन किया और 157850 कोसे एकत्रित किए गए। उत्पादित 32980 रोमुबीच में से द्वितीय फ़सल में 9470 रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 237500 कोसे एकत्रित किए गए।

क्षेतअके, भीमताल (ओक तसर), उत्तराखण्ड

पूर्व-नियत फ़सल के दौरान, ओक तसर रेशमकीट के 736 रोमुबीच का कीटपालन कर 37,700 कोसे एकत्रित किए गए। शरद् फ़सल के दौरान, 250 रोमुबीच

का कीटपालन कर 6558 कोसे एकत्रित किए गए। 4415 कोसों का बीजागार किया गया और 4.90 के कोसा : रोमुबीच के अनुपात में 900 रोमुबीच उत्पादित किए गए। अंतराल को भरने के उददेश्य से 2000 नवोद्भिद पौधे भी उगाए गए। अधिक ऊँचाई के कीटपालन के लिए मुनस्यारी क्षेत्र में क्वेर्कस सेमिकार्पिफोलिया खण्डों का चयन किया गया।

क्षेतअके, इम्फाल (ओक तसर), मणिपुर

7 पीढ़ि के 12 प्रजातियों के वन्य वयस्क रेशम शलभों के आकारमिति लक्षण-निर्धारण ने रंग, आकार, आकृति तथा श्रृंगिका लक्षण में बहुत अंतर दर्शाया। नर में 215.16 मि मी तथा मादा में 221.61 मि मी के पंख चौड़ाई आकार वाला अट्टाकस ऐटलस (एल) सबसे बड़ा शलभ है, जबकि नर में 35.47 मि मी तथा मादा में 53.22 मि मी के साथ बोम्बिक्स हुट्टोनी सबसे छोटा है। लिथोकार्पेस डीलबेटा पर एन्थीरिया फ्रिथी की उपस्थिति के लिए सर्वेक्षण भी किया गया और 51,860 बीज कोसे संग्रहीत किए गए। संरक्षण कार्यक्रम में उपयोग के लिए इन कोसों को पर-स्थाने दशा में संरक्षित किया गया है।

मानव संसाधन विकास, विस्तार सम्पर्क तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- बहु-स्थानीय परीक्षण के अधीन, विभिन्न स्थानों में दो फ़सल प्रणाली के लिए टर्मिनेलिया अर्जुन के चॉकी बागान की स्थापना आशाप्रद परिणाम दर्शायी।
- टी. अर्जुन के दो उन्नत अभिगम सं. 102 तथा 123 का बहु-स्थानीय परीक्षण विभिन्न प्राचलों के आंकड़ों के अभिलेखीकरण के साथ जारी रखा गया।
- एस एम-5, एक द्वितीयक पोषक सूत्रीकरण के प्रयोग की प्रौद्योगिकी का वैधीकरण 80 कृषकों के साथ किया गया। सूत्रीकरण के उपयोग के फलस्वरूप पत्ती उपज में 32% तक तथा कोसा उपज में 24% तक की वृद्धि हुई। सूत्रीकरण को अंगीकरण हेतु अंत में क्षेत्र में निर्मोचित किया गया है।
- क्षेतअके, वारंगल, अविके, कपिष्ठा, हाटगम्हारिया, बांगरीपोसी, कटघोरा तथा नासिक में नव विकसित डाबा द्विप्रज प्रजाति बी डी आर-10 का बहु-स्थानीय परीक्षण किया गया। आंकड़े ने दर्शाया कि बी डी आर-10 के परिपक्व डिम्भक के प्रस्फुटन प्रतिशत, डिम्भकीय अवधि तथा भार प्रचलित क़िस्म अर्थात् डाबा द्विप्रज से बेहत्तर रहा। बी डी आर-10 की औसत कोसा उत्पादकता डाबा द्विप्रज के 43.43/ रोमुबीच के मुकाबले 48.91/रोमुबीच रहा।
- क्षेतअके, बारीपदा, अविके, कटघोरा, हाटगम्हारिया, कपिस्ठा तथा झाँसी में किए गए रेशमकीट सी टी आर-14 के उन्नत वंश का बहुस्थानीय परीक्षण में मिश्रित सफलता मिली। इसमें आगे परीक्षण की आवश्यकता है।
- 1549 कृषकों के साथ 84 स्वयं सहाय समूह विकसित किए गए। बीज फ़सल के दौरान, स्वयं सहाय समूहों के 94 कृषकों द्वारा 28515 रोमुबीच का कीटपालन किया गया, जिससे 1126343 कोसे उत्पादित किए गए। स्वयं सहाय समूहों के रेशम दूत तथा बीज फ़सल उत्पादकों ने वाणिज्यिक फ़सल के लिए 147335 रोमुबीच उत्पादित किए। वाणिज्यिक फ़सल के दौरान, स्वयं सहाय समूहों के कृषकों द्वारा 186200 रोमुबीच का कीटपालन किया गया, जिससे 6814920 कोसे उत्पादित किए गए।
- ओक तसर में सहकारिता संस्कृति को प्रेरित करने हेतु 191 कृषकों के साथ 12 स्वयं सहाय समूह विकसित किए गए। 27 कृषकों द्वारा 4350 रोमुबीच का बीज फ़सल कीटपालन किया गया, जिससे 132680 कोसे एकत्रित किए गए। 96 कृषकों द्वारा 14196 रोमुबीच का वाणिज्यिक कीटपालन किया गया, जिससे 37.29 कोसे/रोमुबीच की दर से 529442 कोसे एकत्रित किए गए। पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीतोष्ण इकाइयों ने भी 58045 ओक तसर रोमुबीच उत्पादित किए।
- 117 प्रेरणात्मक कार्य-कलाप आयोजित किए गए, जिसमें 6510 कृषकों ने भाग लिया।
- मुख्य संस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों में 84 दलों में 1891 व्यक्तियों : (संरचित पाठ्यक्रम : 2 दलों में

34, एकीकृत कौशल विकास योजना : 44 दलों में 1048, प्रशिक्षण पहल: 20 दलों में 471, तदर्थ कार्यक्रम: 18 दलों में 338) को प्रशिक्षण दिया गया। अधीनस्थ इकाइयों में तसर संवर्धन के विभिन्न पहलुओं में 45 दलों में 1111 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

➢ कृषकों तथा फार्म कीटपालन में विभिन्न प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए 9756 रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 405245 कोसे एकत्रित किए गए। 65814 रोमुबीच का उत्पादन किया गया और रेशम निदेशालयों को आपूर्ति की गई।

➢ संरक्षण तथा प्रगुणन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पारि-प्रजाति के 850 रोमुबीच का उत्पादन किया गया।

• केन्द्रीय मूगा, एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, असम

केन्द्रीय मूगा, एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़, जोरहाट अपने क्षेत्रीय मूगा/एरी अनुसंधान केन्द्रों तथा अनुसंधान विस्तार केन्द्रों के तंत्र से मूगा तथा एरी संवर्धन के विकास के लिए अनुसंधान व विकास समर्थन प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, पर्यावरणीय चुनौतियाँ तथा भूमण्डलीय तापन, कठिन श्रम कम करना तथा महिला अनुकूल प्रौद्योगिकी, निवेश मूल्य कम करना, पारि-अनुकूल तथा जैव कृषि जैसे विभिन्न विषय के अंतर्गत 9 केरेबो निधि प्राप्त, 4 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग निधि प्राप्त तथा 5 विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग निधि प्राप्त अनुसंधान परियोजनाएँ ली गईं। वर्ष के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों की विशिष्टताएँ निम्नानुसार हैं :

➢ तीन जैव उर्वरक क्षमता जीवाणु वियुक्त अर्थात् स्यूडोमोनस ईरुजिनोसा विभेद एम एजे पी आई ए 03, बैसिलस फर्मस विभेद एम ए जे पी एस बी 12 तथा ऐक्रोमोबैक्टर प्रजाति एस एस के 4 विभेद केएज़ेड एज़ेडबी 05 को एरंडी मूल परिवेषी मिट्टी नमूनों से पहचाना गया है।

➢ एलेन्थस बृहत्काय को कायम रखने योग्य एरी रेशमकीट पालन के लिए उपयुक्त पाया गया।

➢ मूगा रेशमकीट की उच्च फ़सल देने वाली नस्ल विकसित करने के लिए परवर्ती पीढ़ियों (ए14 - एफ18) में चयनित वंशों में सगोत्र-युग्मन तथा अन्त: प्रजनन किया गया, उसके बाद लक्ष्यित के लक्षणों अर्थात् उच्च उत्तरजीविता (50% प्रभावी कीटपालन दर से अधिक) तथा उच्च कवच भार (0.50 ग्रा) का निर्देशात्मक चयन किया गया।

➢ भ्रूण पृथक्करण तकनीक का मानकीकरण किया गया तथा मूगा रेशमकीट अंडों के विभिन्न विकासात्मक चरणों के लिए भ्रूण सारणी तैयार की गई। यह भी पाया गया कि मूगा रेशमकीट अंडों का संरक्षण 15 दिनों तक 7^{o} सें पर >85% प्रस्फुटन के साथ किया जा सकता है।

➢ मूगा रेशमकीट आहार नली सूक्ष्म वनस्पति-जात का अकारिकीय तथा जैव-रासायनिक लक्षण निर्धारण किया गया। दो सबसे संभाव्य आहार नली जीवाणु एम जी बी-05 तथा एम जी बी-11 को बैसिलस स्ट्रैटोस्फिरिकस तथा बी.सीरियस के रूप में पहचाना गया।

➢ नैदानिक कुंजी विकसित करने हेतु मूगा पारि-प्रणाली से 400 से अधिक कीट नमूने संग्रहीत कर कीट भंडार में संरक्षित किया गया है। 120 प्रजातियों के लिए सचित्र निदान तैयार किए गए।

➢ मूगा रेशमकीट के रोगग्रस्त शव से जीवाण्विक रोगजनक पृथक किए गए और चार जीवाणु को मूगा रेशमकीट रोगजनक के रूप में पहचाना गया है।

➢ एरी सी 2 संकर के प्राधिकरणोत्तर परीक्षण 79% के औसत प्रभावी कीटपालन दर के साथ 320 अंडे/रोमुबीच की औसत बहुप्रजता तथा 238 सं./रोमुबीच की कोसा उपज अभिलिखित की गई। बोड़ोलैण्ड राज्य क्षेत्रीय परिषद्, असम के मामले में 81% की औसत प्रभावी कीटपालन दर के साथ

औसत बहुप्रज 355 अंडे/रोमुबीच, कोसा उपज 252 सं. / रोमुबीच रही। एस एम डब्ल्यू के अधीन, एरी सी 2 नस्ल के 20000 से अधिक रोमुबीच कृषकों को वितरित किए गए।

- केसेरू के दो उच्च उपज देने वाले जीनप्ररूप, एच एफ 008 तथा एच एफ 005 को क्रमश: 27.57 तथा 26.72 मी टन/हे/वर्ष पत्ती उपज क्षमता के रूप में पहचान गया। जीन प्ररूप एच एफ 008 और एच एफ 005 ने नियंत्रण से क्रमश: 10.28% एवं 6.68% तक लाभ दर्शाया।
- "कायम रखने योग्य ग्रामीण आजीविका" पर विज्ञान व प्रोद्योगिकी निधि प्राप्त परियोजना के अधीन, एरी कताई, उत्पाद विन्यास, एरी रेशम रँगाई तथा उत्पाद विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाभार्थियों को एरी रेशम आधारित उद्यम स्थापित करने हेतु एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड तथा भारतीय स्टेट बैंक के साथ ऋण से जोड़ा गया।
- रेशमकीट अन्वेषण तथा लक्षण-निर्धारण कार्यक्रम के अधीन, उत्तर-पूर्वी भारत के छ: राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर तथा मिज़ोरम) से वन्य सेरिसिजीनी कीटों के 200 से अधिक नमूने इकट्ठे किए गए। सैटर्नाइडी तथा बॉम्बिसिडी की 41 प्रजाति पहचानी गईं। सभी नमूनों को भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित किया गया है।
- मूगा रेशमकीट को आंतरिक परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए, उसी स्टॉक का कीटपालन निरंतर 14 पीढ़ियों तक किया गया और विभिन्न ऋतुओं में 15-45% प्रभावी कीटपालन दर दर्ज़ की गई।
- छोटुआ (मार्च-अप्रैल, 2014), अहेरुआ (जुलाई-अगस्त, 2014) तथा कोटिया फ़सल (अक्टूबर-नवंबर, 2014) के दौरान, कृषकों के क्षेत्रों में चयनित सोम पौधों की पत्तियों पर टर्मिनेलिया चेबुला (हर्रा) आधारित सूत्रीकरण "मूगा हील" का छिड़काव किया गया। आँकड़े प्रभावी कीटपालन दर में 15-30% की वृद्धि निर्दिष्ट की तथा फ्लेचरी रोग आपतन में 15-20% की कमी निर्दिष्ट की।
- मूगा परपोषी पौधे तथा रेशमकीट के पीड़कों तथा रोगों की पूर्वानुमान व पूर्वचेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। वर्ष के दौरान 44,160 से अधिक कृषकों को पीड़कों तथा रोग आपतन के पूर्वानुमान के लिए मोबाइल एस एम एस से शामिल किया गया है। पूर्वानुमान व पूर्वचेतावनी पत्रा को नियमित आधार पर संस्थान के वेबसाइट में भी डाला गया है।
- अहेरुआ तथा कोटिया फ़सल 2014 में मूगा रेशमकीट पालन के दौरान, "पात पृष्ठ रोगाणु" का परीक्षण किया गया। अहेरुआ फ़सल के दौरान, उपचार तथा नियंत्रण के बीच में कीटपालन निष्पादन में कोई अंतर नहीं पाया गया। कोटिया फ़सल के दौरान, नियंत्रण में 43.3% प्रभावी कीटपालन दर पर उपचार के अंतर्गत 47.5% प्रभावी कीटपालन दर प्राप्त की गई।

विस्तार, मानव संसाधन विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- कृषक क्षेत्र विद्यालय, मूगा तथा एरी प्रत्येक में तीन-तीन स्थापित किए गए। प्रत्येक कृषक क्षेत्र विद्यालय की वर्गीकरण सूचना इकट्ठी की गई तथा सभी कृषक क्षेत्र विद्यालयों में अग्रगामी कृषकों का चयन किया गया। अग्रगामी कृषकों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी जागरुकता, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन, विभिन्न रेशम-प्रौद्योगिकियों पर 5330 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- असम तथा मेघालय के 200 कृषकों को शामिलकर मूगा क्षेत्रों में रोगाणुनाशन तथा रोग प्रबंधन प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिक्रिया ने नियंत्रण की तुलना में 11से 22 कोसे प्रति ग्राम रोमुबीच का कोसा उपज लाभ दर्शाया।
- मूगा में जैव-गहन कृषि तकनीकों के लोकप्रियकरण के लिए 90 कृषकों का चयन किया गया। हरी

खाद फ़सलों की बुआई (ढाइंचा), हरी खाद फ़सल का समावेशन, अंतरा फ़सल (उड़द/तिल), केंचुआ खाद के अनुप्रयोग, आदि के संबंध में कृषकों के क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी आयोजित किए गए। केंचुआ खाद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 181 कृषकों के लिए आयोजित किया गया।

- मूगा तथा एरी संवर्धन की प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए, रेशम आदर्श ग्राम के अंतर्गत कृषकों के क्षेत्र में विभिन्न ऋतुओं में रेशमकीट पालन किया गया। रेशम आदर्श ग्राम के अंतर्गत, प्रौद्योगिकियों को अपनाने के फलस्वरूप वर्गीकृत किए गए की तुलना में बीज फ़सल में 33 से 38 कोसे/रोमुबीच तक तथा वाणिज्यिक फ़सल में 49 से 63 कोसे/रोमुबीच तक गुणवत्ता कोसा उत्पादन में वृद्धि हुई। रेशम आदर्श ग्राम के कार्यान्वयन के पहले 250 रु. प्रति किलो ग्राम के मुकाबले अच्छी कोसा गुणवत्ता से 550 रु. प्रति कि ग्रा तक उच्च कोसा मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई।
- संस्थान ने एन ए ए आर एम, हैदराबाद के सहयोग से कर्मचारियों के लाभ के लिए "विस्तार प्रणाली प्रबंधन" तथा "योजना, अनुश्रवण व मूल्यांकन तथा प्रौद्येगिकी प्रबंधन" पर प्रशिक्षण आयोजित किया।
- संस्थागत जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र परियोजना के अंतर्गत, 16-18 मार्च, 2015 के बीच में "मूगा पारि-प्रणाली के रोगाणुओं व कीटों के बुनियादी नैदानिक तकनीक" पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- इसके अलावा, 8 कृषि मेला, 45 प्रौद्योगिकी जागरुकता कार्यक्रम, 13 प्रदर्शनी तथा 43 क्षेत्र दिवस आयोजित किए गए तथा तदनुसार कृषकों से प्रतिक्रिया ली गई।
- संस्थान ने केवीके के सहयोग से मूगा तथा एरी उत्पादन के एकीकृत प्रौद्योगिकी पैकेज, बानी मशीन, मूगा रेशम प्लास, मूगा कोसा शुष्कन-यंत्र तथा रोग पूर्वानुमान के संबंध में 46 अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी आयोजित की।

क्षेमूअके, बोको, असम

- जी सी सी, दमालग्रे, पश्चिम गारो पहाड़, मेघालय में पर-स्थाने दशा में मूगा रेशमकीट के आठ वन्य आनुवंशिक संसाधन का रख-रखाव किया जा रहा है।
- सोम के एस 3 तथा एस 6 चित्रप्ररूपों को रोग सहनशील के रूप में पहचाना गया तथा 21000 पौधे उगाए गए और क्षेत्र में उनकी आपूर्ति की गई।

क्षेएअके, शादनगर, आन्ध्र प्रदेश

- आठ अरंडी जीनप्ररूपों का मूल्यांकन वर्षाश्रित अर्ध-शुष्क दशा में किया गया। अरंडी जीन-प्ररूप सी एस पी-106, सी एस पी-105 तथा सी एस पी-103 ने रेशम अनुपात तथा अन्य वाणिज्यिक लक्षणों में उच्च मूल्य दर्शाए।
- विभिन्न ऋतुओं में आन्ध्र प्रदेश के अर्ध-शुष्क के अनुकूल पारि-प्रजातियों को पहचानने के लिए एरी रेशमकीट के दस अभिगमों का मूल्यांकन किया गया। ई-201 तथा ई-206 अभिगमों ने क्रमश: बहु-कीटपालन तथा प्रजनक विशेषकों के मामले में उच्चता दर्शायी।

• केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु, कर्नाटक

केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान पूरे भारत में फैले अपने 11 प्रदर्शन व तकनीकी सेवा केन्द्रों, 6 रेशम अनुकूलन व परीक्षण केन्द्रों, 4 वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं, एक आँचलिक कार्यालय, 2 कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्रों, 2 कोसा परीक्षण केन्द्रों तथा एक क्षेत्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान केन्द्र से कोसोत्तर क्षेत्र के रेशम उद्योग के अनुसंधान व विकास तथा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्थान तथा इसकी अधीनस्थ इकाइयों द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :

अनुसंधान

- ऊर्जा की बचत के लिए एक 4-तरफा ऊर्जा कार्यक्षम बंद प्रकार की पुन:धागाकरण मशीन विकसित की गई है।

- बहु-द्विप्रज तथा द्विप्रज कोसों दोनों के लिए प्रतिकूल मौसम के लिए कोसा गुणवत्ता सूचक को ठीक करने के लिए ब्योरा तैयार किया गया।
- भारतीय धागाकरण इकाइयों के उपयुक्त कन्वेयर गर्म वायु शुष्कन-यंत्र का विन्यास बनाया गया और उसका तकनीकी विनिर्देश तैयार किया गया है।
- दो अलग बुनावट तथा भिन्न संरचाात्मक प्राचलों के साथ रेशम बुने वस्त्र के दो प्रकार विकसित किए गए और यह पाया गया कि संरचनात्मक प्राचलों में परिवर्तन इन वस्त्रों के आरामदायक गुणों में सुधार ला सकता है और कुछ प्रकार जाड़े तथा गर्मी में उपयोग के लिए उचित हो सकता है और यह पुरुषों की कमीज़ के कपड़े तथा महिलाओं के कुरते के कपड़े की आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है।
- एरी/ऊन सूत के तीन भिन्न सम्मिश्रण उत्पादित करने के लिए कताई के समय ऊन तंतु के साथ एरी रेशम तंतु को सम्मिश्रित किए गए। एरी, ऊन और एरी/ऊन सम्मिश्रिण सूत का उपयोगकर वस्त्र नमूनों के 16 सेट तैयार किए गए। यह पाया गया कि एरी रेशम के बढ़े अनुपात से सम्मिश्रित सूत की मजबूती बढ़ गई।
- मशीनों के विकास/परिवर्तन संबंधी तसर अनुसंधान परियोजनाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, तसर धागाकरण पर बहु-स्थानीय व्यापक परीक्षण किए गए और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पणधारियों के उपयुक्त धागाकरण मशीन पता लगाए गए हैं।
- चार अनुसंधान परियोजनाएँ की गईं तथा आठ नयी अनुसंधान परियोजनाएँ अभी-अभी प्रारंभ की गई हैं।

अन्वेषणात्मक कार्य

मूगा कोसों के बाहरी, मध्य तथा आंतरिक परत के धागाकरण, एरी कोसा खोलने हेतु उन्नत युक्ति का विकास, कठिन परिश्रम को कम करने हेतु उन्नत हथकरघों का विन्यास व विकास, धागाकरण प्रक्रिया में द्विप्रज सेरिसिन परत का उपयोगकर बहु-द्विप्रज/तसर/मूगा कच्चा रेशम के संसंजन लक्षणों के उन्नयन, एरी कोसा विगोंदन मशीन के विन्यास व विकास, कठिन परिश्रम कम करने तथा गुणवत्ता एवं उत्पादकता के उन्नयन में किए गए प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए वायवीय उत्थापक यंत्र-रचना के माध्यम से करघा उन्नयन, अच्छे तथा ख़राब तसर कोसों के धागाकरण निष्पादन एवं उत्पादित सूत के गुणवत्ता लक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल रेशम रँगाई प्रौद्योगिकी के विकास कार्य किए गए।

उत्पाद विकास

पन्द्रह उत्पाद अर्थात् चंदेरी कुशन कवर, डेनिम लेज़र कटिंग डिज़ाइन (प्रिन्ट), डेनिम परिष्कृत उत्पाद, शहतूती (ताना) तथा एरी (बाना) संयोजन सम्मिश्रित वस्त्र-साड़ी के लिए छापे हुए, कमीज़ के कपड़े एवं पहनने की सामग्री के लिए उपयोग, शहतूती (ताना) तथा तसर (बाना) संयोजन सम्मिश्रित वस्त्र-साड़ी के लिए छापे हुए, एरी नॉइल सूत (4 सूती-ताना) तथा एरी नॉइल सूत से लपेटे हुए कॉयर सूत (बाना) के संयोजन सम्मिश्रित वस्त्र, रेशम में परंपरागत लम्बानी वस्त्र, परंपरागत सिलाई के साथ क्वीन ड्रेस, रेशम के सभी चारों प्रकार के साथ पहनने के वस्त्र, लम्बानी सिलाई के साथ पुरुषों का जुब्बा, डेनिम बैग, परंपरागत कला के साथ हस्तकला, लम्बानी कला के साथ रेशम का दीवार पर टाँगने की सामग्रियाँ रेशम का शॉल/स्टॉल-प्राकृतिक रंगो से रंगे गए शॉल (शहतूती, तसर, एरी) तथा सुगन्ध (एरोमा) उपचारित-रेशम पुस्तक विकसित किए गए।

एकस्व

(i) रेशमकीट प्यूपे सुखाने के लिए 250-500 कि ग्रा क्षमता प्रति घान के जेनेरेटर के साथ गर्म वायु शुष्कन-यंत्र का विकास तथा (ii) गीला धागाकरण मशीन के एकस्व के लिए पंजीकृत किया गया।

प्रशिक्षण

संस्थान ने वर्ष के दौरान संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम/गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रम/बैंक उद्यमी कार्यक्रम संक्षिप्त पाठ्यक्रम/तदर्थ पाठ्यक्रम के अंतर्गत 835 व्यक्तियों को तथा एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1545 व्यक्तियों को शामिल कर 2380 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

परीक्षण

वर्ष के दौरान, 110523 ढेरों का परीक्षण किया गया, जिनमें 94967 कोसा तथा कच्चा रेशम के ढेर, 12289 जल, रंगों तथा अन्य वस्त्र पूरक के ढेर तथा 3267 वस्त्र ढेर शामिल हैं।

विस्तार कार्य-कलाप

मुख्य संस्थान तथा इसकी उप-इकाइयों ने 549 प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियाँ तथा क्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 720 लाभार्थियों को शामिल कर 48 धागाकरण/ऐंठन/बुनाई गैर-शहतूती धागाकरण इकाइयों को अपनाया है। क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का हल करने तथा विभिन्न क्षेत्र मामलों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने 1370 क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

कर्नाटक के कोल्लेगाल व इल्कल तथा तमिलनाडु के कुमारपाल्यम में तीन संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। असम के जजोरी व अभयपुरी, झारखण्ड के बेड़ो, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तथा ओडिशा के हरिचन्दनपुर में वन्य क्षेत्र में पाँच समूह संवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। कर्नाटक के वाई.एन. होसकोटे, आन्ध्र प्रदेश के धर्मावरम्, तमिलनाडु के सेलम, जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर तथा असम के सुआलकुची में पाँच एम एस एम ई परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं। स्पन रेशम मिल के सहयोग से एरी सम्मिश्रित स्पन सूत उत्पादित कर उसका लोकप्रियकरण किया गया, जिससे एरी कवच की माँग बढ़ गई।

सहयोगात्मक परियोजना

केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित सहयोगात्मक परियोजनाएँ वर्ष 2014-15 के दौरान जारी हैं :

- सोलापुर व औरंगाबाद बुनाई समूह में रेशम का उपयोगकर उत्पादों का विकास।
- पहनने के कपड़े (सूटिंग) तथा बिनाई (निट) में रूपांतरण हेतु एरी सूत की उच्च गुणवत्ता का उत्पादन।
- तसर कोसा डंठल स्पन सूत का उत्पादन तथा साज-सज्जा वस्त्र तथा शॉल का उत्पादन।
- जी आई उत्पादों का प्रेलेखीकरण ।
- उत्पादित उत्पादों का प्रलेखीकरण।

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

क्षेत्र में नौ स्वचालित धागाकरण मशीन तथा 162 रेशम धागाकरण मशीन (बहु-छोरीय धागाकरण मशीन, उन्नत कुटीर थाला, मोटरचालित चरखा व ऐंठन मशीन) चालू किए गए । क्षेत्र में 85 धागाकरण गृह, 116 गर्म वायु शुष्कन-यंत्र, 958 रेशम बुनाई मशीन/उपकरण (करघा उन्नयन,पी एल एम एवं सी ए टी डी) तथा 3 रेशम रँगाई मशीन संस्थापित किए गए।

केरेप्रौअसं उप-इकाइयाँ

केरेप्रौअसं की उप-इकाइयाँ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी तथा क्षेत्र कार्यक्रम आयोजित करने, XII वीं योजना के विभिन्न उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम योजनाओं के क्षेत्रोन्मुख अनुसंधान, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करने

में शामिल रहीं। उप-इकाइयाँ समग्र उन्नयन के निरंतर अनुश्रवण हेतु धागाकरण, बुनाई, ऐंठन तथा रँगाई इकाइयों को अपनाने में भी शामिल रहीं। उप-इकाइयों के अन्य प्रमुख कार्य-कलाप परीक्षण सेवा है।

3.1.1.2 प्रशिक्षण

केरेबो शैक्षणिक कार्य

केरेबो विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अधीन अपने अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थानों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण ब्योरा दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक संख्या में पणधारियों को शामिल किया गया:

क्र. सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों का संवर्ग
1	संरचित पाठ्यक्रम (रे स्न डि शहतूती व गैर-शहतूती पाठ्यक्रम)	33	रेशम निदेशालय प्रायोजित
2	संक्षिप्त पाठ्यक्रम	4071	केरेबो/ रेनि/गैससं
3	तदर्थ पाठ्यक्रम (प्रौउका+कौ वि का+एम डी पी+आरडी पी आवश्यकता आधारित+कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम)	4872	कृषक/लाभार्थी/ उद्यमी
4	अन्य कार्यक्रम	2124	कृषक / कर्मचारी
	योग	**11100**	

इसके अतिरिक्त, केरेबो इग्नू के सहयोग से अँगरेजी में छः महीने का 'रेशम उत्पादन प्रमाण-पत्र' पाठ्यक्रम भी चलाता है, जिसमें वर्ष के दौरान 133 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है और केरेबो के समन्वय से इग्नू द्वारा प्रारंभ किए गए छः महीने के रेशम उत्पादन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए देश भर में फैले 10 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से इस तारीख तक 633 व्यक्ति तक संचयी पंजीकरण हो गया है। प्रतिभागियों के लाभ के लिए इस पाठ्यक्रम सामग्री का अनुवाद 9 भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है।

एकीकृत कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यम विकास कार्यक्रम

उपर्युक्त के अलावा, केरेबो का प्रशिक्षण प्रभाग 'कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यम विकास' घटक के अंतर्गत प्रबंधन आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसमें लगभग 484 व्यक्तियों को शामिल किया गया। आयोजित कार्यक्रमों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत है :

#	कार्यक्रम का नाम	स्थान	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागी
1	संसाधन विकास कार्यक्रम	बहरमपुर (एम एस पी के अधीन रे नि मणिपुर के लिए)	3	90
		दीमापुर	1	20
		आइज़ोल	1	20
		अगरतला	1	20
		गुवाहाटी	1	14
		उप-योग	7	164
2	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	देहरादून	1	22
		बिलासपुर	1	22
		बहरमपुर	1	25
		राँची	1	22
		लाहदोईगढ़	1	22
		इम्फाल	1	35
		उप-योग	6	148
3	प्रौद्यागिकी उन्नयन कार्यक्रम	रामदिया, हाजो (असम)	1	172
		उप-योग	1	172
	योग	**कुल योग**	**14**	**484**

3.1.1.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- समाप्त परियोजनाओं से उत्पन्न प्रौद्योगिकी को विभिन्न विस्तार सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में प्रभावी हस्तांतरण किया गया है।
- 1738 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और उपयोगकर्ता के स्तर पर 54 प्रौद्योगिकियों का प्रभावी हस्तांतरण किया गया।

- पर-स्थाने (क्षेत्र जीन बैंक) में 1269 शहतूत जननद्रव्य अभिगमों का संरक्षण किया गया।
- 458 रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक का रख-रखाव किया गया और 34 नए शहतूत तथा 6 रेशमकीट जननद्रव्य स्टॉक को प्रवर्तित किया गया।
- उन्नत सी एस आर 2 के एन पी वी सहनशील द्विप्रज रेशमकीट वंशों अर्थात् एम ए एस एन 4, 6 तथा 7 का विकास चिन्हक सहायता प्राप्त प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है।
- आर डी आर पी जीन प्राइमरों के आधार पर संक्रमित तसर रेशमकीटों से संक्रामक फ्लेचरी विषाणु पहचाना गया है और उसे ए एम आई एफ वी के रूप में पदनामित किया गया है।
- प्रस्फुटन तथा कीटपालन निष्पादन को प्रभावित किए बिना 11-12 दिन तक एरी रेशमकीट के अंडों के लिए दो चरणों की संरक्षण प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- 110523 कोसे तथा रेशम नमूने, जल रंगों तथा अन्य वस्त्र पूरकों के 12289 ढेर तथा 3267 वस्त्र ढेरों का परीक्षण किया गया।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अलग-अलग अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थानों के प्रौद्योगिकी कार्य-कलापों के हस्तांतरण के ब्योरों की चर्चा अनुसंधान व विकास योजना के अंतर्गत की गई हैं।

संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम (सं ग्रा सं का)

प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण तथा आदर्श रेशम उत्पादन ग्रामों की स्थापना के लिए, केरेबो ने अपने मुख्य अनुसंधान व विकास संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है :

- बृहत् तथा लघु स्तर पर नयी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के लिए क्षेत्रों को पहचानना।
- लघु फार्म उत्पादन प्रणाली की उत्पादकता सहित स्थिरता तथा कायम रखने योग्य पर बल देते हुए प्रौद्योगिक मध्यस्थता का प्रवर्तन।
- प्रौद्योगिक मध्यस्थता को बनाए रखने हेतु समुचित प्रौद्योगिकियों का प्रवर्तन तथा समाकलन तथा पर्यावरणीय मामलों पर विचार करते हुए उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए उनका समाकलन ।
- उच्च आर्थिक लाभांश के लिए कृषि उत्पाद, उपोत्पाद तथा अपशिष्ट का फार्म पर उपयुक्त मूल्य वर्धन को अपनाने को सरल बनाना।
- फार्म की महिलाओं के कठिन श्रम को कम करने, वर्धित क्षमता तथा उच्च आय के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने को सरल बनाना।
- प्रौद्योगिकी मध्यस्थता के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अनुश्रवण।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम के अधीन, 100% प्रौद्योगिकी अंगीकरण कार्यक्रम के माध्यम से 5000 कृषकों को शामिल कर 48 समूहों को अंगीकृत किया है। द्विप्रज कार्यक्रम के अंतर्गत 3573 कृषकों के साथ 27 समूहों को शामिल किया गया है। क्रमश: 3778 तथा 1462 कृषकों को शामिल कर 27 द्विप्रज तथा 19 वन्य समूहों को भी आयोजित किया गया है। इसके अलावा, कोसोत्तर क्षेत्र के अधीन, 3 समूह आयोजित किए गए हैं। केरेबो के अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा द्विप्रज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल करने हेतु समूह की प्रगति का सीधा अनुश्रवण किया जाएगा।

3.1.1.4 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कम्प्यूटरीकरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्य का उन्नयन करने के अलावा, वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान कार्य-कलापों में सहायता करने के लिए पिछले 25 वर्षों से करता आ रहा है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु में अनुरक्षित आँकड़ा आधार के सेट के माध्यम से विभिन्न आंकड़े तथा रिपोर्ट

उपलब्ध कर समय पर तथा सही सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ पणधारियों द्वारा प्राप्त करने हेतु कई पहल किए गए हैं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में वर्तमान में निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लगी हुई हैं :

- केरेबो की इकाइयों तथा केन्द्रीय कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के लिए उच्च गति के इंटरनेट (10 एम बी पी एस आई बी डब्ल्यू) सहित दो अत्याधुनिक सर्वरों के साथ वेबसाइट www.csb.gov.in तथा इन्टरनेट सेवा प्रवर्तित की गई है।
- सर्वरों में लिनुक्स तथा विन्डोज़ सर्वर 2003 प्रचालन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कम्प्यूटरों पर विन्डोज़-7, विस्ता, विन्डोज़-एक्स पी तथा लिनुक्स का उपयोग किया जाता है।
- सामान्य कार्यालय पत्राचार, अनुसंधान, तकनीकी तथा सांख्यिकी आंकड़ों के रख-रखाव के लिए एम एस-ऑफिस 2000/2007/2010 तथा ओपन ऑफिस का उपयोग किया जाता है। लान पर मुख्य पृष्ठ तथा वेब इंटरफेस विकसित करने के लिए पावर बिल्डर, वीबी.नेट, एएसपी.नेट, पीएचपी, जावा का उपयोग किया जाता है। आँकड़ा प्रबंधन के लिए अनुप्रयोग के माध्यम से संचालित ओरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस-एक्सेस व फॉक्सप्रो का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान सांख्यिकी आँकड़ा के विश्लेषण के लिए एपीएसएस तथा विन्डोस्टाट का उपयोग किया जाता है।
- केरेबो में सर्वर, कोर आई 7, कोर आई 5,कोर आई 3 व डुअल कोर कम्प्यूटर तथा नोट बुक को शामिल कर लगभग 950 कम्प्यूटर हैं, जिनका व्यापक पैमाने पर उपयोग केरेबो एवं इसकी अधीनस्थ इकाइयों में अनुसंधान आँकड़ा समेकन, आँकड़ा विश्लेषण, रेशम उत्पादन सांख्यिकी, कार्यालय की उत्पादकता तथा दैनंदिन पत्राचार के लिए किया जाता है।
- केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो में स्थापित वीडियो वार्ता सुविधा का उपयोग पूरे राष्ट्र को शामिलकर केवल बैठकें, समीक्षा, आदि आयोजित करने के लिए किया जाता है। और अनुसंधान संस्थान प्रभावी सम्पर्क के लिए वीडियो वार्ता स्टूडियो स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।
- उपस्थिति रिकार्ड करने के लिए जीवमितीय अँगुली छाप लगाने की प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन अन्य केरेबो इकाइयों में भी समयनिष्ठा तथा अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह कर्मचारियों के उचित समय के प्रबंधन तथा बेहत्तर कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।
- वर्ष के दौरान विकसित एवं तैनात किए गए प्रमुख अनुप्रयोग :

  i. **एसएमएस सेवा :** रेशम उत्पादों की दर एसएमएस द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। मूल्य की गतिविधि में कृषकों को अद्यतन करने में एसएमएस सुविधा काफ़ी दूर तक पहुँची है।

  ii. **सेरि-5के आँकड़ा आधार :** सारे भारत के द्विप्रज समूह कृषकों के रखरखाव तथा प्रबंधन के लिए सेरि-5के आँकड़ा आधार का विन्यास कर विकसित किया गया है।

  iii. **सिल्क्स पोर्टल :** उत्तर-पूर्वी अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार, उमियां, मेघालय के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से भौगोलिक छायाचित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना, सम्पर्क एवं ज्ञान प्रणाली (सिल्क्स) पोर्टल का विकास किया गया है तथा रेशम कृषि के संवर्धन हेतु क्षमतावान उप्रयुक्त भूमि के चयन एवं विश्लेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सिल्क पोर्टल का प्रवर्तन एवं रखरखाव किया जाता है।

  iv. **Mkisan.gov.in :** mkisan पोर्टल का उपयोग कर कृषकों को स्थानीय भाषा में समय पर तथा संगत सलाहकार एसएमएस संदेश भेजे जाते हैं ।

  v. **MyGov :** केरेबो ने MYGOV पोर्टल में "देश के अलावा विदेश में भारतीय रेशम उत्पादों की माँग कैसे बढ़ायी जा सकती है" विषय पर खुली वार्ता का मंच प्रारंभ किया है।

3.1.2 बीज संगठन

3.1.2.1 शहतूती बीज (राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन - रारेबीसं)

राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रा रे बी सं) ने अपने बुनियादी बीज फार्मों (बुबीफा) तथा अं मा सं 9001:2008 प्रमाणित रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों (रेबीउके) के माध्यम से न केवल गुणवत्ता बुनियादी बीज उत्पादन, बल्कि गुणवत्ता वाणिज्यिक द्विप्रज तथा संकर नस्ल रेशमकीट संकर बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति कर बुनियादी रेशमकीट के उत्पादन से देश में रेशम उद्योग में एक से अधिक तरीके से स्वयं के लिए अपनी ज़गह बनायी है । यह संगठन बुनियादी तथा वाणिज्यिक बीज की सबसे उच्चतम मात्रा में रिकार्ड उत्पादन कर अब तक की सबसे नयी ऊँचाइयों और सर्वोत्तम सोपान को प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, हालाँकि द्विप्रज संकर के उत्पादन के अपने इतिहास में उच्चतम उत्पादन को प्राप्त कर लिया है, रारेबीसं ने अपने महत्त्वपूर्ण हिस्से के साथ संकर नस्ल के रेशमकीट बीज के ग्राहकों को बनाए रखा है। इस प्रकार, रारेबीसं गुणवत्ता शहतूती बीज उत्पादन में अग्रगण्य है और इसने देश के शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभायी है।

बुनियादी बीज फार्मों में बीज कोसा उत्पादन एवं बुनियादी रेशमकीट बीज उत्पादन

बुनियादी बीज फार्म (बुबीफा) गुणवत्ता बीज कोसों एवं बुनियादी बीजों के रिकार्ड उत्पादन के माध्यम से रारेबीसं के क्रियाओं की रीढ़ बन गई। अपने सभी 19 बुनियादी बीज फार्मों (9 द्विप्रज तथा 10 बहुप्रज) और एक रेशम उत्पादन विकास केन्द्र (रेविके) में बीज के रखरखाव तथा प्रगुणन (पी3, पी2 तथा पी1) की गतिविधियों की कुशल योजना, वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध निष्पादन से अनुमोदित नस्ल के प्रगुणन की एक ही प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता बीज कोसा एवं बुनियादी बीज का उत्पादन हुआ है । इन फार्मों ने अच्छा निष्पादन किया है और क्रमश: 58.30 तथा 70.03 लाख लक्ष्य के मुकाबले 63.19 लाख द्विप्रज तथा 56.03 लाख बहुप्रज बीज कोसों का उत्पादन कर द्विप्रज बीज कोसों के उत्पादन के लक्ष्यों को पार कर लिया है।

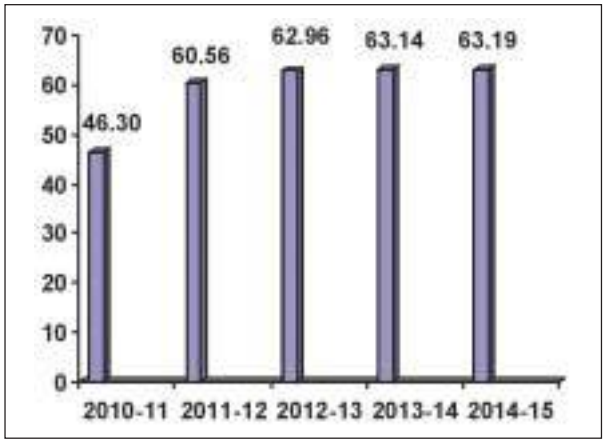

चित्र 1 : द्विप्रज बीज कोसा उत्पादन

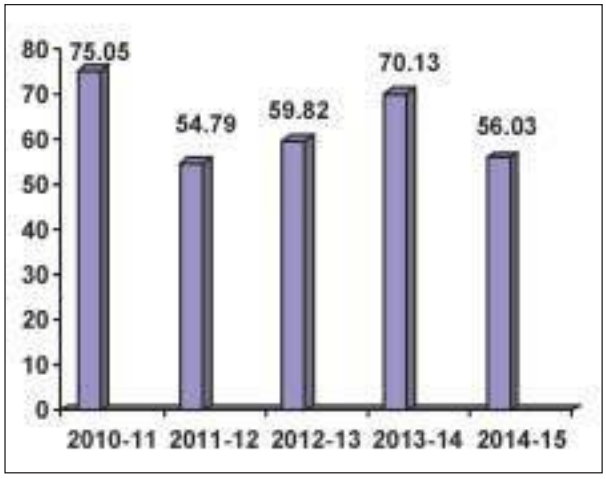

चित्र 2 : बहुप्रज बीज कोसा उत्पादन

वर्ष के दौरान उत्पादित 15.24 लाख बुनियादी बीज (13.31 लाख द्विप्रज और 1.92 लाख बहुप्रज) में से 13.20 लाख द्विप्रज और 1.67 लाख बहुप्रज बुनियादी बीजों का वितरण नीचे दिए ब्योरे के अनुसार किया गया:

बुनियादी बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति

	नस्ल	पी3	पी2	पी1
उत्पादन	द्विप्रज	2157	39027	129031
	बहुप्रज	1209	17745	173257
	योग	**3366**	**56772**	**1463572**
आपूर्ति	द्विप्रज	1118	22665	1296413
	बहुप्रज	1209	15870	150198
	योग	**2327**	**38535**	**1446611**

रारेबीसं द्वारा राज्य-वार पी1 द्विप्रज तथा बहुप्रज बुनियादी बीज वितरण का ब्योरा क्रमश: चित्र 3 व 4 में प्रस्तुत है।

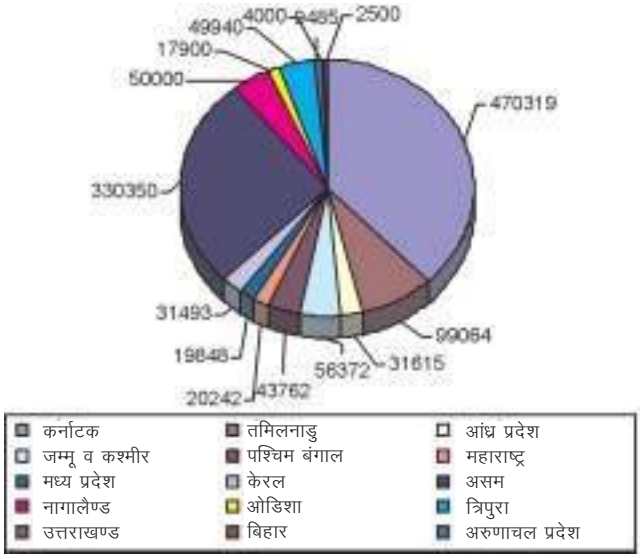

चित्र 3 : रारेबीसं द्वारा राज्य-वार द्विप्रज बुनियादी बीज वितरण

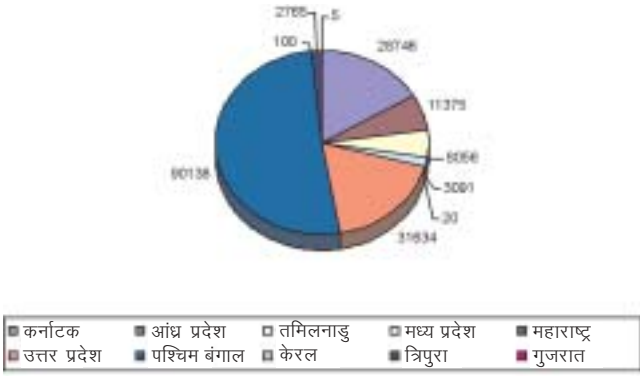

चित्र 4 : रारेबीसं द्वारा राज्य-वार बहुप्रज बुनियादी बीज वितरण

अंगीकृत बीज कीटपालकों (अंबीकी) के माध्यम से गुणवत्ता बीज कोसा का उत्पादन

अंगीकृत बीज कीटपालकों को कीटपालन ट्रे, चॉकी कीटपालन स्टैण्ड, रूम हीटर, आर्द्रकर, अनार्द्रकर, विद्युत फुहारक, रोगाणुनाशन मास्क, उन्नत चंद्रिकाएँ, आदि जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इन सुविधाओं से, द्विप्रज संकर एवं संकर नस्ल रोमुबीच के उत्पादन के लिए 1105.98 लाख द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया गया। रेबीउके के अलावा, रोरेबीसं ने भी दक्षिण भारत में 55.56 लाख (38.25 लाख-पश्चिम बंगाल, 15.74 लाख-उत्तर प्रदेश व 1.57 लाख-उत्तर-पूर्वी राज्यों) द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन कर उन्हें 47.32 लाख बीज कोसे (32.88 लाख-पश्चिम बंगाल, 12.87 लाख-उत्तर प्रदेश तथा 1.57 लाख-उत्तर-पूर्वी राज्य) की माँग के प्रति आपूर्ति कर, रेशम उत्पादन निदेशालय, पंजीकृत बीज उत्पादकों (पंबीउ) और पश्चिम बंगाल में स्थित रेबीउके और रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों की सहायता की, इससे 117.41% उपलब्धि दर्ज की गई।

बीज कोसा क्रय केन्द्र (बीकोक्रके), कुणिगल ने संकर नस्ल बीज चकत्ते तैयार करने के लिए 97.81 लाख बहुप्रज बीज कोसों का क्रय कर रेबीउके की सहायता की। रेबीक्रके, डेंकनिकोट्टै, कुणिगल तथा पुंगानुर ने रेबीउके में संकर नस्ल के उत्पादन के लिए अंगीकृत बीज कीटपालकों के माध्यम से क्रमश: 24.80, 38.01 तथा 21.42 लाख बहु-द्विप्रज बीज कोसों का उत्पादन किया।

रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक बीज उत्पादन

अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाणित रेबीउके का संचयी निष्पादन ने 104.2% उपलब्धि के साथ 370.16 लाख रोमुबीच का रिकार्ड उत्पादन किया है। इस उत्पादन में 251.57 लाख द्विप्रज संकर रोमुबीच (67.96%) (चित्र 5 व 6 तथा 118.59 लाख संकर नस्ल रोमुबीच (32.04%) शामिल है। 210.00 लाख लक्ष्य के मुकाबले 119.80% उपलब्धि के साथ 251.57 लाख द्विप्रज संकर रोमुबीच का उत्पादन किया गया। इसमें 12.60 लाख सी एस आर संकर, 227.45 लाख द्विसंकर, 6.60 लाख पंरपरागत संकर तथा 4.93 लाख नयी संकर नस्ल शामिल है। बहुप्रज x द्विसंकर उत्पादन का प्रमुख उत्पादन पीएम x सीएसआर2 (39.67 लाख) रहा, इसके बाद निस्तरी x द्विप्रज (40.09 लाख) का उत्पादन रहा।

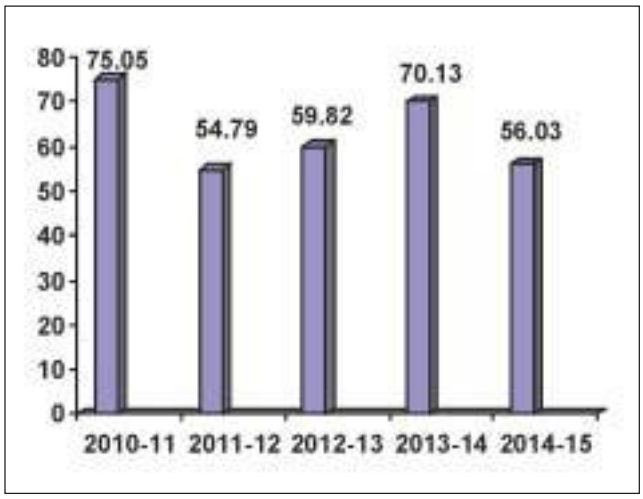

चित्र 5 : द्विप्रज संकर रोमुबीच का उत्पादन

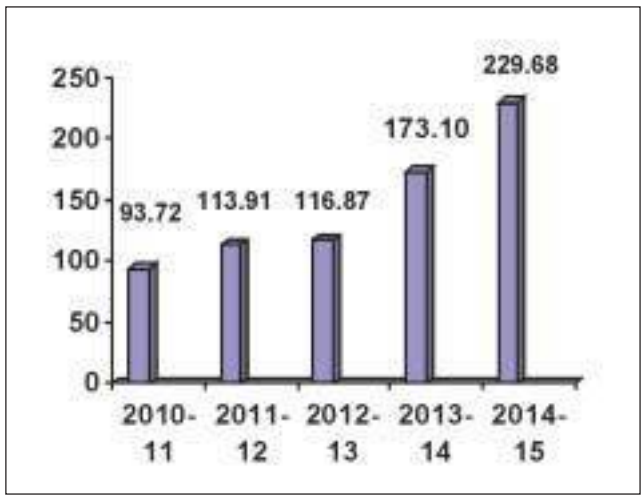

चित्र 6 : द्विप्रज संकर रोमुबीच का वितरण

रोमुबीच का संयोजन-वार लक्ष्य एवं उत्पादन (लाख में)

संयोजन		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
द्विप्रज संकर	सीएसआर2 x सीएसआर4	36.00	12.60	35.00
	एफसी1 x एफसी2	161.00	227.45	141.27
	एसएच6 x एनबी4डी2	13.00	6.60	50.77
	अन्य		4.93	
योग		**210.00**	**251.57**	**119.80**
बहु x द्विप्रज संकर	पीएम x सीएसआर2	64.00	39.67	61.98
	पीएम x एफसी2		14.27	
	एन x द्वि	50.00	40.09	80.18
	एन x एम12 (डब्ल्यू)	31.00	17.96	57.94
	अन्य		6.61	
योग		**145.00**	**118.59**	**81.79**
कुल योग		**355.00**	**370.16**	**104.27**

गुणवत्ता एफ1 रोमुबीच का उत्पादन

बीज उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर अं मा सं की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन कर अपने सभी रेबीउके में बीज गुणवत्ता का रखरखाव किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में उत्पादित बहु x द्विप्रज संकर नस्ल की प्रतिप्राप्ति 28% के मानक के मुकाबले 29.13% रही। द्विप्रज संकरों में, सीएसआर संकर नस्ल में औसत अंडे उत्पादकता 60 ग्रा/किग्रा कोसा के मानक के मुकाबले 60.06 ग्रा/किग्रा कोसा रही और द्विसंकर नस्ल में 65 ग्रा/किग्रा कोसा के मानक के मुकाबले 63.82 ग्रा/किग्रा कोसा रही। विभिन्न राज्य विभागों और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों को 229.68 लाख द्विप्रज तथा 114.9 लाख बहु x द्विसंकर नस्ल रोमुबीच की आपूर्ति की गई।

विस्तार गतिविधियाँ

समूहों के लिए समूह विकास मददकर्त्ता के रूप में पहचाने गए रेबीउके के वैज्ञानिकों के साथ रेशम उत्पादन सेवा केन्द्रों (रेसेके) तथा रेशम उत्पादन सेवा इकाइयों (रेसेइ) सहित विस्तार इकाइयों ने रेबीउके में उत्पादित वाणिज्यिक बीज

के वितरण और क्षेत्र में फ़सल अनुश्रवण तथा प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण के माध्यम से विस्तार समर्थन देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। वर्ष के दौरान, 32 रेशम उत्पादन सेवा केन्द्रों एवं 29 रेशम उत्पादन सेवा इकाइयों ने 170.10 लाख रोमुबीच वितरित किए, जिसमें 81.39 लाख द्विप्रज संकर नस्ल रोमुबीच शामिल हैं। पिछले 5 सालों में वितरित किए गए द्विप्रज वाणिज्यिक बीजों का तुलनात्मक विवरण **चित्र 3** में प्रस्तुत है। चॉकी कीटपालन केन्द्र को छूट योजना के द्वारा 89.80 लाख रोमुबीच (80.41 लाख द्विप्रज संकर एवं 9.39 लाख संकर नस्ल रोमुबीच) के वितरण से असीम लोकप्रियता प्राप्त हुई।

नयी रेशमकीट संकर नस्लों के प्राधिकरणोपरांत परीक्षण

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्राधिकरणोपरांत परीक्षण कार्यक्रम को विभिन्न पहचाने गए द्विप्रज, बहुप्रज x द्विप्रज एवं बहुप्रज x बहुप्रज संयोजनों से रोमुबीच के उत्पादन और आपूर्ति से जारी रखा गया। कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित अनुसंधान संस्थानों से पी1 रोमुबीच की आपूर्ति और संकर नस्ल के रोमुबीच का उत्पादन किया गया और इन्हें क्षेत्र परीक्षण हेतु किसानों में वितरित करने के लिए समन्वय करने वाले संस्थानों को आपूर्ति की गई। समर्पित बीज कीटपालकों के संबंधित पैतृक संकरों के बीज कोसों का उपयोग कर रेकोक्रके की सहायता से पहचाने गए नए संयोजनों के रोमुबीच के उत्पादन एवं आपूर्ति करने के पूर्ण प्रयास किए गए। द्विप्रज x द्विप्रज संयोजनों के 4.93 लाख तथा बहुप्रज x द्विप्रज संयोजनों के 6.61 लाख रोमुबीच को शामिल कर 11.54 लाख रोमुबीच का उत्पादन कर मूल्यांकन हेतु आपूर्ति की गई। समन्वयकर्त्ता संस्थानों के माध्यम से रेशमकीट संकरों का आबंटन दक्षिण, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व भारत के किसानों में किया गया।

प्रशिक्षण

रारेबीसं ने बीज फ़सल कीटपालन और बीज उत्पादन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान 264 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रकाशन

वर्ष के दौरान, रारेबीसं ने वैज्ञानिक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए प्रस्तुत/स्वीकृत 15 शोध-पत्रों/लोकप्रिय लेखों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तिकाओं को प्रकाशित किया गया है :-

- रारेबीसं न्यूजलेटर
- रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र-अं मा सं प्रमाणीकरण मैन्युअल
- "उत्तर भारत के कृषकों के लिए द्विप्रज रेशम कीटपालन की तकनीक" तथा "सफल द्विप्रज रेशम कीटपालन के लिए विशुद्धिकरण की तकनीक" पर हिन्दी विवरणिका

द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन पर रारेबीसं का प्रभाव

रारेबीसं 229.68 लाख द्विप्रज संकर नस्ल के रोमुबीच का प्रत्यक्ष रूप से वितरण और उसका उपयोग वाणिज्यिक द्विप्रज रेशमकीट बीज उत्पादन हेतु विभिन्न राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को द्विप्रज मूल बीज की 40% आपूर्ति कर देश के लगभग 60% द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन का योगदान करने में अग्रणी है।

3.1.2.2 वन्य बीज (बुतरेबीसं, मूरेबीसं तथा एरेबीसं) उष्णकटिबंधीय तसर बीज : बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं)

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत बुतरेबीसं विभिन्न राज्यों में कार्यरत अपने 21 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों (बुबीप्रवप्रके) के तंत्रों और छत्तीसगढ़ के कोटा स्थित केन्द्रीय तसर

रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) से उष्णकटिबंधीय तसर के क्रमबद्ध बीज उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करने के उत्तरदायी है। केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) विभिन्न रेशमकीट प्रजातियों के जननद्रव्य के रखरखाव करने के अलावा, प्रगुणन हेतु तसर नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं इनके वितरण बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र को करने के जिम्मेदार है। इस केन्द्र ने विद्यमान स्टॉक की पुन:पूर्ति के लिए सभी बुबीप्रवप्रके को वर्ष के दौरान 86145 नाभिकीय रोमुबीच उत्पादन कर आपूर्ति की है। इन बुबीप्रवप्रके के संचयी निष्पादन से निजी बीज उत्पादकों के माध्यम से बुतरेबीसं द्वारा 6.71 लाख रोमुबीच के उत्पादन के अलावा, वर्ष के दौरान उत्पादन 34.31 लाख रोमुबीच रहा। उत्पादन कार्यनीति में एक परिवर्तन को अपनाया गया है, जिसमें बुतरेबीसं मात्र अपेक्षित संपूर्ण नाभिकीय बीज के उत्पादन एवं आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करेगा। राज्य बीज उत्पादन इकाइयाँ निजी प्रतिभागिता के साथ अपनी माँग को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण मूल बीज का उत्पादन करेंगी।

ओक तसर बीज : 6 राज्यों में स्थित दो क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्रों, एक ओक तसर बीजागार, तीन अनुसंधान विस्तार केन्द्रों और दो अनुसंधान विस्तार केन्द्रों व बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान का संचयी उत्पादन 0.58 लाख रोमुबीच रहा।

मूगा बीज : मूगा बीज विकास परियोजना के अधीन मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं), गुवाहाटी, असम में दो पी4 एवं पाँच पी3 मूगा बीज केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र) तथा 10 पी2 बीज केन्द्रों तथा छ: धागाकरण इकाइयाँ (राज्य क्षेत्र) शामिल हैं। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सृजित अवसंरचना को परियोजना अवधि पूरी होने के पश्चात् आगे के रखरखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन सृजित इकाइयों के साथ वर्तमान पुन:गठित मूगा रेशमकीट बीज संगठन के बुनियादी बीज के उत्पादन की दो पी4 इकाइयाँ, छ: पी3 इकाइयाँ और वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन के लिए एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र (मूरेबीउके) है। प्रतिकूल मौसम में मूगा बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कालिम्पोंग (पश्चिम बंगाल) में एक मूगा बीज अंचल भी स्थापित किया गया है। वर्ष के दौरान मूगा बुनियादी बीज केन्द्रों का संचयी निष्पादन 4.53 लाख रोमुबीच रहा। इसके अलावा, असम के कलियाबारी (बोको) स्थित एक मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र ने 1.58 लाख रोमुबीच उत्पादित किया है।

एरी बीज : गुवाहाटी, असम स्थित एरी रेशमकीट बीज संगठन ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अपने एकल एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र और गैर-परम्परागत राज्यों के चार एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों सहित विभिन्न राज्य विभागों को वितरित करने के लिए 2014-15 के दौरान 5.69 लाख एरी रोमुबीच का उत्पादन कर अच्छा निष्पादन किया।

3.1.2.3 बीज अधिनियम

रारेबीसं ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने का अपना प्रयास जारी रखा और वर्ष के दौरान, 3362 नए आवेदन-पत्रों की जाँच कर कार्रवाई की। विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग कर 3148 बहु-रंगी, द्विभाषी (हिन्दी-अँगरेजी) पंजीकरण प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। 104 पंजीकृत बीज उत्पादकों, 71 पंजीकृत चाँकी कीटपालकों और 2973 पंजीकृत बीज कोसा उत्पादकों से संबंधित प्रमाण-पत्र जारी किए गए। विभिन्न राज्यों के सभी पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं पंजीकृत चॉकी कीटपालकों को संबंधित बीज अधिकारियों और बीज विश्लेषकों से संबद्ध किया गया। पंजीकृत पणधारियों के आँकड़ा आधार को समय-समय पर अद्यतन कर राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को भेजा गया और इसे केरेबो के वेबसाइट में डाला गया। बीज विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं पंजीकृत चॉकी कीटपालकों के कार्यालय परिसरों का क्रमश:

सुव्यवस्था एवं उत्पाद के प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए जगह का निरीक्षण किया गया। केरेअवप्रसं, मैसूरु में चॉकी कीटपालन एवं रेबीप्रौप्र, कोड़ती में बीज उत्पादन के लिए तीन महीने की अवधि का प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। चॉकी कीटपालन में 3 दलों में 52 व्यक्तियों ने और बीज उत्पादन तकनीकों में एक दल में 21 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। बीज अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए प्रवेशिका (मैट्रिक) उत्तीर्ण व्यक्ति प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य होंगे।

3.1.3 समन्वय तथा विपणन विकास

3.1.3.1 समन्वय

3.1.3.1.1 बोर्ड सचिवालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड को देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास करने के अलावा, रेशम उद्योग से संबंधित मामलों में भारत सरकार को आवश्यक सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न विकासात्मक और परस्पर संबद्ध समर्थन कार्यक्रम के साथ-साथ अनुसंधान व विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

बेंगलूरु स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने मुख्यालय से अनुसंधान व विकास संगठनों, अग्रणी प्रदर्शनी, चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन तंत्र का रखरखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया में मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्राचलों के संबंध में शिक्षा देना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम के संवर्धन संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करता है। इन सभी गतिविधियों को देश भर स्थित अनुसंधान व विकास संस्थानों, बीज संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, कमाबैं/मूकमाबैं के द्वारा किया जा रहा है।

बोर्ड एवं स्थायी समिति की बैठक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, स्थायी समिति की तीन बैठकें दिनांक 03.07.2014 - 07.11.2014 तथा 03.02.2015 को और बोर्ड की एक बैठक दिनांक 07.11.2014 को आयोजित की गई।

प्रचार एवं माध्यम कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय के प्रचार अनुभाग ने रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग पर विभिन्न प्रचार और माध्यम (मीडिया) कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसका ब्योरा निम्नानुसार है :-

I. पत्रिकाएँ

इंडियन सिल्क : केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारतवर्ष के रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के प्रति समर्पित मासिक द्विभाषी औद्योगिक पत्रिका-**इंडियन सिल्क** का प्रकाशन जारी रखा। वर्तमान में, इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन **53 वें** वर्ष में है। वर्ष के दौरान, इंडियन सिल्क ने नीचे निर्दिष्टानुसार, नियमित स्तंभ के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को छपा है :

- "रेशम उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला" - भारत सरकार की पहल की प्रतिबद्धता सबका साथ-सबका विकास पर इंडियन सिल्क का एक विशेष अंक और कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल द्वारा इस अंक का विमोचन बेंगलूरु में 24.11.2014 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग की 23वाँ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान किया गया।
- उन्मुक्त लेख तथा विशेष लेख और विशेष रूप लेख पर प्रकाश डालते हुए बेंगलूरु में आयोजित रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग पर 23 वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर एक स्मारिका छपी गई। माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा इस अंक का विमोचन बेंगलूरु में 26.11.2014 को आयोजित 23वाँ अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन सम्मेलन के समापन-सत्र के दौरान किया गया।

इसके अलावा, इंडियन सिल्क ने निम्नलिखित को प्रकाशित किया है :

- रेशम व रेशम उत्पाद-पोचमपल्ली इकत के भौगोलिक संसूचकों पर समय संगत लेख,
- चयनित राज्यों में रेशम उत्पादन की स्थिति पर विशेष रूप लेख,
- रेशम उत्पादकों, धागाकारों, बुनकरों तथा विन्यासकारों पर सफल कहानियाँ,
- चयनित राज्यों में रेशम उत्पादन की स्थिति पर विशेष लेख,
- केरेबो की विभिन्न इकाइयों के विभिन्न रेशम उत्पादन कार्यक्रमों में आए केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री, मंत्री तथा सांसद/विधायक, प्रधान सचिव, सचिव (वस्त्र), वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय तथा वरिष्ठ अधिकारी वर्ग जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विवरण को छापा गया।
- इंडियन सिल्क ने पत्रिका में 'यह अंक उस वर्ष', 'क्या आप जानते हैं', 'अनुसंधान सारांश', 'अनुसंधान समाचार', राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, केरेबो समाचार, भारेमासं समाचार, आदि जैसे सुरुचिपूर्ण स्तंभ का नियमित प्रकाशन कर चयनित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सार सेवाओं में सूचीबद्ध करने और इसे सूचनाप्रद बनाने का प्रयास जारी रखा है।

II. प्रकाशन

- ***"हैण्डबुक ऑफ़ सेरीकल्चर टेकनोलॉजी"*** का केरेबो प्रकाशन का पाँचवाँ संशोधित संस्करण अँगरेजी में छापा गया। यह पौधारोपण तथा रेशमकीट पालन, रोग तथा पीड़क प्रबंधन तथा यंत्रीकरण पर सभी सुसंगत जानकारी सहित भारत में रेशम उत्पादन उद्योग का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।
- इसी प्रकार, ***'हैण्डबुक ऑफ सेरीकल्चर टेकनोलॉजी'*** का संशोधित चौथा संस्करण भी कन्नड़ में प्रकाशित किया गया। किताब का संशोधित संस्करण तेलुगु में मुद्रणाधीन है।
- 27 राज्यों के 54 महिला रेशम उत्पादक जिन्होंने रेशम उत्पादन उद्यमी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा दूसरों के लिए आदर्श भूमिका बन गईं, की सफल कहानियों पर प्रकाश डालते हुए ***आउअर विम्इन ॲचीवर इन सेरीकल्चर-2014*** पर एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान दिनांक 17.09.2014 को किया गया। इसके अलावा, डायस का सृजनात्मक डिज़ाइनिंग, बैकड्रॉप्स तथा स्टैण्डीज़, बैनर्स तथा निमंत्रण-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा कार्यशालाओं के लिए बिल्ले (बैज) तैयार किए गए।
- समावेशी विकास के लिए प्रभावी साधन के रूप में भारतीय रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग के महत्त्व एवं उद्योग के चौमुखी विकास तथा सामाजिक कारणों के लिए इसकी सहायता और रेशम उत्पादन के प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु केरेबो की पहल पर प्रकाश डालते हुए ***इंडियन सिल्क-उन्मुक्त माया*** पर एक विशेष निगमित विवरणिका भी प्रकाशित की गई।
- अपने अनुसंधान व विकास गतिविधियों तथा विकासात्मक परियोजनाओं की सूचना सहित केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा इसकी इकाइयों के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन द्विभाषी में प्रकाशित किया गया।
- केरेबो तथा इसकी इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधी सूचना देनेवाली द्विभाषी प्रशिक्षण पत्रा 2014-15 प्रकाशित किया गया।
- हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय के सहयोग से राजभाषा के लिए समर्पित हिन्दी गृह पत्रिका रेशम भारती का प्रकाशन किया गया।

III. प्रेस व माध्यम संबंध

प्रचार अनुभाग ने केरेबो के विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए छपाई एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को कई प्रेस टिप्पणी जारी की है और रेशम उत्पादन तथा रेशम संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रम का व्यापक विवरण देना सुनिश्चित किया है। ये प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

क. 17 सितंबर, 2014 को रेशम उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला।

ख. बेंगलूरु में 24-27 नवंबर 2014 के दौरान सम्पन्न रेशम उत्पादन व रेशम उद्योग पर 23वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

ग. माननीय केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा मैसूरु में 9 फरवरी, 2015 को शीतागार संयंत्र का उद्घाटन।

घ. कार्यक्रम पर एक पूर्वपीठिका 8 फरवरी, 2015 को आकाशवाणी और दूरदर्शन, बेंगलूरु में प्रसारित की गई। कार्यक्रम सुर्खियों में रहा और इसका विवरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों और माध्यम दोनों में दिया गया।

IV. प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलाओं में सहभागिता

क. गदग, कर्नाटक में 13-15 दिसंबर, 2014 के दौरान संपन्न लोक सूचना अभियान प्रदर्शनी।

ख. केरेअवप्रसं, मैसूरु तथा केरेप्रौअसं, बेंगलूरु के सहयोग से संपन्न चिकमंगलूरु, कर्नाटक में 20-22 दिसंबर, 2014 के दौरान प्रचार अभियान।

ग. मानंदवाडी, वायनाडु, केरल में 19-26 दिसंबर, 2014 के दौरान संपन्न राष्ट्रीय कृषि उत्सव-2014।

घ. चाँदीपुर, मेदनीपुर, पश्चिम बंगल में 6-15 दिसंबर, 2014 के दौरान संपन्न 26 वाँ कृषि ओ वाणिज्य मेला।

ङ. सरगाची, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगल में रामकृष्ण मिशन आश्रम के द्वारा 20-28 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित ग्रामीण आजीविका मेला।

च. केरेबो वेबसाइट पर इंडियन सिल्क पत्रिका, रेशम उत्पादन पर नया प्रकाशन तथा वीडियो फिल्म का अद्यतन करने में सक्रिय रूप से शामिल हुआ।

छ. हिन्दी/द्विभाषी में पत्राचार, टिप्पण तथा मसौदा के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन में 100% निष्पादन।

राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन जारी है। सभी कार्यालयीन उद्देश्य के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में गति लाने के प्रयास जारी हैं । 2014-15 के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाइयों को उनके योगदान के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए निष्पादन पुरस्कार नीचे प्रस्तुत हैं :

1. केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु को इंदिरा गाँधी राजभाषा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

2. केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, राँची को पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा प्रथम पुरस्कार, राजभाषा स्वाभिमान न्यास, नई दिल्ली से राजभाषा श्री पुरस्कार (शील्ड) तथा राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास, नई दिल्ली से गृह पत्रिका रेशम वाणी के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया है।

3. केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर को पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा तृतीय पुरस्कार तथा राजभाषा संस्थान, नई दिल्ली से कार्यालय दीप स्मृति चिह्न पुरस्कार प्रदान किया गया है।

4. मूगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी, असम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुवाहाटी से रिफाइनरी राजभाषा शील्ड योजना का प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

5. क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुवाहाटी को भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), गुवाहाटी से रिफाइनरी राजभाषा शील्ड योजना प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियम 1976 का अनुपालन

राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का शत-प्रतिशत अनुपालन तथा मूल पत्राचार सुनिश्चित किया गया। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय सहित 112 कार्यालयों को अब तक अधिसूचित किया गया है।

अन्य उपलब्धियाँ

प्रशिक्षण : केन्द्रीय कार्यालय के दो कर्मचारियों, एक को हिन्दी प्राज्ञ में तथा एक को आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार, केन्द्रीय कार्यालय के 28 अधिकारियों / कर्मचारियों एवं अन्य इकाइयों के 59 अधिकिारियों / कर्मचारी सदस्यों को कंप्यूटर पर हिन्दी भाषा में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया।

बैठक : तिमाही बैठकें दिनांक 18.06.2014, 19.09.2014, 22.12.2014 और 23.03.2015 को आयोजित की गईं।

हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा : केन्द्रीय रेशम बोर्ड परिसर में 01 सितंबर, 2014 से 15 सितंबर, 2014 तक संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी वाचन, सुलेख, टिप्पण-आलेखन, तस्वीर क्या बोलती है ?, वर्ग पहेली, शब्दावली, स्मृति परीक्षण, मौखिक प्रश्नोत्तरी और हिन्दी गीत जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। बोर्ड की अन्य इकायों में भी हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, केरेबो ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूरु के तत्वावधान में 09.10.2014 को नगर स्तर पर "आशुभाषण" प्रतियोगिता का आयोजन किया।

कार्यशाला : कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाँच एक दिवसीय पूर्ण-कालिक हिन्दी कार्यशालाएँ दिनांक 30.06.2014, 26.09.14, 18.12.14, 11.03.15 तथा 12.03.15 को आयोजित की गईं। केतअवप्रसं, राँची ने हिन्दी माध्यम से तासार संवर्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 19 अगस्त, 2014 को तकनीकी अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की। रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु ने 17 दिसंबर 2014 को हिन्दी में तकनीकी कार्यशाला आयोजित की। बोर्ड के संबद्ध व अधीनस्थ इकाइयों में भी हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

सॉफ्टवेयर एवं उसका उपयोग : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में यूनिकोड तथा लीप ऑफिस-2000 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। केरेप्रौअसं, बेंगलूरु ने केरेबो के लिए द्विभाषी वेतन पर्ची तैयार करने के लिए बैक स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर की निगमित अनुज्ञप्ति ली है।

निरीक्षण : संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु का राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण 10 फरवरी 2015 को किया। इसकी सभी इकाइयों के राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण भी किया गया।

प्रकाशन : हिन्दी अर्द्ध वार्षिक गृह पत्रिका ***'रेशम भारती'*** प्रकाशित की जा रही है।

अनुवाद : बोर्ड सचिवालय के हिन्दी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 तथा वर्ष 2013-14 के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रमाणित लेखा, रेशम उत्पादन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पत्रा 2014-15 तथा रेशम व रेशम उत्पादन पृष्ठभूमि टिप्पणी हिन्दी में अनुवाद किया।

चलशील्ड पुरस्कार : राजभाषा चलशील्ड योजना के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन में उनके निष्पादन के लिए निम्नलिखित इकाइयों को पुरस्कृत किया गया।

- राष्ट्रीय रेशमकीटबीज संगठन, केरेबो, बेंगलूरु,
- मूगा रेशमकीट बीज संगठन, केरेबो, गुवाहाटी,
- बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन, केरेबो, बिलासपुर,
- क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केरेबो, सहसपुर, देहरादून,
- प्रसतसेके, केरेप्रौअसं, केरेबो, भंडारा, महाराष्ट्र,
- आँचलिक कार्यालय, केरेप्रौअसं, केरेबो, बिलासपुर,
- क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी और
- क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, कोलकाता।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के लिए चलशील्ड योजना के नए प्रावधान के अंतर्गत, वर्ष 2012-13 का पुरस्कार योजना व अनुश्रवण अनुभाग ने प्राप्त किया। केतअवप्रसं, केरेबो, राँची ने 15 सितंबर, 2014 को चलशील्ड वितरण समारोह आयोजित किया, केरेअवप्रसं, केरेबो, बहरमपुर ने अपना चलशील्ड वितरण समारोह 25 सितंबर 2014 को आयोजित किया और केरेप्रौअसं, केरेबो, बेंगलूरु ने भी प्रमुख संस्थान और उनकी अपनी अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा चलशील्ड योजना आरंभ की है।

3.1.3.1.2 केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कार्य एवं गतिविधियाँ

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे का) राज्यों एवं उनके रेशम उत्पादन विभागों और उनके कार्यक्षेत्र के अधीनस्थ इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। वे संबंधित राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों से संबंधित इन अभिकरणों से समन्वय करते हैं। वे विभिन्न स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई और पटना में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अन्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :

- केरेबो द्वारा गठित राज्य स्तरीय रेशम उत्पादन समन्वय समिति (रा स्त रे स स) बैठक का सदस्य संयोजक ।
- उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित आँकड़े इकट्ठा करना, विश्लेषण करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली आँकड़ा आधार में अनुरक्षित करने हेतु केन्द्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना।
- रेशम उत्पादकों की उत्पादकता अर्थव्यवस्था का ब्योरा तैयार करने के लिए चयनित क्षेत्रों में आधारभूत सर्वेक्षण करना।
- क्षेत्र परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन के विषय में अपने कार्यक्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के साथ समन्वय करना।
- विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे रेशम उत्पादन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।
- राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की व्यवस्था करना।
- केन्द्रीय कार्यालय के निदेशों के अनुसार प्रशिक्षणों/ कार्यशालाओं और अन्य प्रचार कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- निर्यात के निमित्त रेशम मालों की गुणवत्ता का स्वैच्छिक निरीक्षण करना।
- केन्द्रीय प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करना।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आम जनता को सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के रूप में कार्य करना।
- भारतीय रेशम मार्क संगठन (भा रे मा सं) द्वारा 'रेशम मार्क' प्रभाग का कार्यान्वयन / निष्पादन का समन्वय करना।

उचित समन्वय के साथ प्रभावी संचालन करने के लिए कार्य व्यवस्था ध्यान से अनुश्रवण करने के लिए नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता एवं चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को विकेंद्रित कर उनके संबंधित अंचलों में क्षेत्रीय कार्यालयों का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सँभालने के लिए आँचलिक कार्यालय के रूप में पदनामित किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय व आँचलिक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का अंग-वर्णन नीचे प्रस्तुत है :

निर्यात संवर्धन योजना

लदान पूर्व निरीक्षण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बोर्ड द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार के भुगतान पर निर्यातकों तथा आयातकों को उनके अनुरोध पर स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत निरीक्षण सेवा प्रदान की है। निर्यात के लिए प्रमाणित विशुद्धता एवं प्राकृतिक रेशम / सम्मिश्रित रेशम मालों के आधार पर "100% प्राकृतिक रेशम पाइल क़ालीन" लेबुल लगाकर निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में निर्यात के निमित्त रेशम अपशिष्ट, क़ालीन का निरीक्षण तथा प्रमाणन सेवा प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष के दौरान, 317 करोड़ रु. मूल्य के 30.94 लाख वर्ग मीटर के लिए निरीक्षण तथा प्रमाणन सेवा प्रदान की है और जी एस पी, हथकरघा प्रमाण-पत्र, हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र तथा मूल प्रमाण-पत्र, आदि जैसे विभिन्न सीमा-

क्षेत्रीय व आँचलिक कार्यालय	अंचल	क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य
क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	उत्तरी अंचल	सीधा	पंजाब, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड
		क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू व कश्मीर
		क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पूर्वी अंचल	सीधा	पश्चिम बंगाल
		क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
		क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार, झारखण्ड
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	उत्तर-पूर्वी अंचल	सीधा	8 उत्तर-पूर्वी राज्य
		मूकमाबैं	सभी मूगा उत्पादक राज्य
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	दक्षिणी अंचल	सीधा	तमिलनाडु
		क्षेत्रीय कार्यालय, मुबई	महाराष्ट्र, गुजरात
		के.का., बेंगलूरु (केन्द्रक अधिकारी)	कर्नाटक, केरल
		क्षेत्रीय कार्यालय, हैदाबाद	आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना

शुल्क प्रमाण-पत्र जारी किए गए और राजस्व के रूप में 18.89 लाख रु. अर्जित किया है। स्वैच्छिक गुणवत्ता निरीक्षण योजना के अंतर्गत प्रमाणित केन्द्र-वार रेशम/सम्मिश्रित रेशम माल तथा वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों तथा निर्यातक समुदायों को सेवा प्रदान कर अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

प्रमाणन केन्द्र	मात्रा (लाख वर्ग मी)	मूल्य (रु करोड़ में)	अर्जित राजस्व (रुपए में)
मुम्बई	4.354	40.763	2,07,450
बेंगलूरु	20.704	130.610	11,12,400
नई दिल्ली	3.509	97.687	2,78,525
कोलकाता	1.545	11.362	2,03,500
चेन्नई	0.702	16.111	43,400
वाराणसी	0.045	2.302	7,700
श्रीनगर	0.082	14.991	34,200
हैदराबाद *	0	3.170	2,1
भागलपुर	0	0	0
कुल योग	**30.941**	**316.996**	**18,89,275**

विविध सीमा-शुल्क प्रमाण-पत्र जारी करना

केरेबो द्वारा रेशम माल के निरीक्षण तथा निर्यातकों द्वारा स्वघोषणा पर जीएसपी, हथकरघा प्रमाण-पत्र, मूल प्रमाण-पत्र तथा हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सीमा-शुल्क प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

इग्जिम नीति एवं द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत अपने देश में प्राकृतिक रेशम/सम्मिश्रित रेशम उत्पादों के आयात के लिए नि:शुल्क या रियायती शुल्क पर विदेशी आयातकों को उपलब्ध करने के लिए माल के निरीक्षण करने के बाद बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के भुगतान पर रेशम मालों के निरीक्षण तथा निर्यात हेतु प्रमाणित एवं निर्यातकों की स्व:घोषणा पर विभिन्न शुल्क प्रमाण-पत्र यथा; ई ई सी को हथकरघा प्रमाण-पत्र, ई ई सी, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड को हस्तशिल्प प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, युगोस्लाविया, आदि को मूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य मूल विशेष प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

परीक्षण सुविधाएँ

बोर्ड के प्रमाणन केन्द्रों की प्रयोशालाएँ संघटक सूत और उनकी प्रतिशतता की पहचान के लिए रेशम नमूनों के विश्लेषण के माध्यम से रेशम की गुणवत्ता, भौतिक / रसायनिक गुणों और अन्य प्राचलों की जाँच के लिए परीक्षण सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

सीमा-शुल्क विभाग, विदेश व्यापार महा-निदेशालय, रेशम उत्पादन निदेशालय तथा अन्य वस्त्र संस्थानों तथा संस्थाओं जैसे विभिन्न संगठनों के साथ-साथ निजी फार्मों और व्यक्तियों के लिए आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता भी प्रदान की गई है और उत्पादों में संघटक सूत एवं रेशम अंश की प्रतिशतता का पता लगाया गया है।

3.1.3.2 बाज़ार विकास

तसर और मूगा कच्चा माल बैंक (क मा बैं)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन "न लाभ न हानि" के आधार पर प्राथमिक उत्पादकों को सहायता करने एवं एक समान मूल्य पर कोसे की आपूर्ति करने तथा बिचौलियों के शोषण से कीटपालकों के हित की रक्षा करने के लिए भी कोसों और उपोत्पादों हेतु कच्चा रेशम माल बैंकों (क मा बैं) की स्थापना की है। वे उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन, कोसों और कच्चे रेशम के बाज़ार मूल्य में व्यापक उतार-चढ़ाव से लाभार्थियों को राहत और एक-समान मूल्य पर रेशम माल के वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं एवं निर्माता निर्यातकों को वास्तविक कच्चे रेशम मालों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

चार उप-डिपो सहित चाईबासा (झारखंड) स्थित तसर कच्चा माल बैंक और तीन उप-डिपो सहित

शिवसागर (असम) स्थित मूगा कच्चा माल बैंक प्राथमिक तसर एवं मूगा कोसा उत्पादकों को किफ़ायती तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं। कच्चा माल बैंकों द्वारा किए गए तसर एवं मूगा कोसों के क्रय एवं विक्रय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(मात्रक : मात्रा लाख संख्या में व मूल्य रु लाख में)

क्षेत्र	कोसों का क्रय		कोसों का विक्रय	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तसर	180.35	192.60	237.70	306.11
मूगा	5.42	9.40	5.20	8.27

3.1.4 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों में गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता निर्धारण एवं गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के प्रति उपयुक्त उपाय प्रारंभ करना है। इस योजना के अंतर्गत, दो घटक यथा; "रेशम मार्क का संवर्धन" तथा "कोसा परीक्षण एवं कच्चा रेशम इकाइयाँ" कार्यान्वित की जा रही हैं।

3.1.4.1 भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारतीय रेशम मार्क संगठन (भारेमासं) के माध्यम से "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। भारतीय "रेशम मार्क" रेशम की शुद्धता के लिए एक आश्वासन लेबुल शुद्ध रेशम के नाम पर नकली उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (गु प्र प्र) योजना के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :

विवरण	2014-15	
	लक्ष्य	उपलब्धि
नामांकित अधिकृत प्रयोक्ताओं की कुल संख्या	250	285
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल संख्या (संख्या लाख में)	28	25.50
जागरुकता कार्यक्रम प्रदर्शनी / मेला / कार्यशालाएँ / सड़क प्रदर्शनी (संख्या)	360	430
कोसा परीक्षण केन्द्र (संख्या)	10	2*
कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र (संख्या)	3	*

* निधि की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।

रेशम मार्क में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए, भारेमासं ने लेबुल लगाने की अभिनव पद्धति अर्थात् रेशम मार्क फ्यूज़न लेबुल की शुरूआत की है। लेबुल लगाने की इस नई प्रणाली में, लेबुल उत्पाद में मिल जाते हैं, जो अस्थानांतरणीय है, पैरा बैंगनी प्रकाश से दिखाई देने वाले विषय-वाक्य, खोजने व पता लगाने की सुविधा, आदि यादृच्छिक लेबुल संख्या जैसी विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं से युक्त है। उपभोक्ताओं को उत्पाद तथा इसकी उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी देने तथा अधिकृत प्रयोक्ता स्तर पर उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक लेबुल में क्यू आर कोड की शुरूआत के साथ-साथ आगे सुधार किया जा रहा है।

भारतीय रेशम मार्क संगठन ने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनके व्यापार में सुधार करने के लिए अपने अधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए देश भर में रेशम मार्क प्रदर्शनी की एक श्रृखंला का संचालन करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, देश भर के शहरों और नगरों में 14 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं।

3.1.4.2 कोसा / कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र

कोसों की गुणवत्ता का प्रभाव धागाकरण के दौरान इसके निष्पादन एवं उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता पर पड़ता है। उविका के अंतर्गत इसकी सहायता से विभिन्न कोसा बाज़ारों में स्थापित किए गए कोसा परीक्षण केन्द्र कोसा परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र योजना "गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली" के अंतर्गत कोसा परीक्षण तथा कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र गुणवत्ता कोसा तथा कच्चा रेशम के उत्पादन सुनिश्चित कर उसी स्थान में गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली करेगा। यह योजना बेहतर लाभ हेतु उत्पादकों में गुणवत्ता जागरुकता भी लाएगा । तदनुसार, XII वीं योजना की सहायता से 22 कोसा परीक्षण केन्द्र तथा 4 कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, दो (2) कोसा परीक्षण केन्द्र], तमिलनाडु और त्रिपुरा प्रत्येक में एक-एक स्थापित किया गया है।

3.1.5 निर्यात, मार्का संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

बारहवीं योजना के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रेशम का मार्का संवर्धन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मार्का संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

- सुआलकुची, उप्पडा तथा चंदेरी में भारतीय रेशम संवर्धनात्मक कार्यक्रम संचालित किया गया।
- कोलकाता तथा गुवाहाटी में स्थित भारेमासं प्रभाग को परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण की आपूर्ति की गई।
- गुणवत्ता उन्नयन और बाज़ार पहुँच उपलब्ध करने के लिए बुनकरों की सहायता करने के लिए कुछ बुनकर समूहों को अपनाया गया है। इस प्रयोजन के लिए पाँच रेशम समूहों-वाराणसी, भागलपुर, उप्पडा, पोचमपल्ली तथा सुआलकुची की पहचान की गई है। इन समूहों के बुनकरों, विन्यासकारों तथा अन्य पणधारियों से पारस्परिक चर्चा सत्र के बाद, आरंभिक आधार पर अधिकृत प्रयोक्ताओं/ बुनकर समितियों का चयन उनके उत्पादों का ऑन लाइन संवर्धन के लिए किया गया है। मेसर्स गोकूप के सहयोग से एक ई-वाण्ज्यि मंच www.silkmark.gocoop.com बनाया गया है और इसे चालू किया गया है। उत्पाद संबंधी पूछ-ताछ आनी शुरू हो गई हैं और इसका अनुश्रवण तथा समन्वय गोकूप तथा संबंधित बुनकरों के साथ किया जा रहा है।

3.2 केन्द्रीय प्रायोजित योजना

3.2.1 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

नवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, पहल किया गया उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका) अनुसंधान संस्थानों द्वारा खोज की गई प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण क्षेत्र में करने का अद्वितीय और प्रभावी साधन है। यह उत्पादन, उत्पादकता और रेशम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पणधारियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ संशोधनों के साथ X, XI तथा XII वीं योजना (2014-15) तक के माध्यम से जारी रखा गया।

बारहवीं योजना में उविका रेशम उत्पादन के माध्यम से आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु बेहत्तर गुणवत्ता के द्विप्रज रेशम का उत्पादन, वन्य रेशम की वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोज़गार का सृजन करने पर अधिक जोर दिया जाता है। वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, अनुमोदित अंचल-वार, राज्य-वार बजट आकलन तथा विमोचित निधि विवरण **अनुबंध -III** में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, उविका के अंतर्गत 213.00 करोड़ रु. उपगत किया गया है, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक अपेक्षित 60.00 करोड़ रु. तथा अनुसूचित जाति उप-योजना (अजाउयो) का 25.00 करोड़ रु. तथा जनजातीय उप-योजना (ज उ यो) का 6.59 करोड़ रु. भी शामिल है। भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय का योजना-वार ब्योरा तथा 2014-15 के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ **अनुबंध-IV (क, ख तथा ग)** में दिए गए हैं।

3.2.1.1 2014-15 के दौरान लाभार्थियों को सीधी सहायता

वर्ष के दौरान, नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार उविका के अंतर्गत विभिन्न घटकों के अधीन 21733 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में शामिल किए गए कुल लाभार्थियों में 70% अ ज जा तथा 60% महिलाएँ हैं।

उविका 2014-15 के अंतर्गत शामिल लाभार्थी

(मात्रक: लाभार्थियों की संख्या)

#	घटक	2014-15
I	फार्म क्षेत्र सेक्टर पर	
क)	शहतूती	
1	शहतूत पौधारोपण	12,958
2	बीज परीक्षण सुविधाएँ	3
	शहतूती का उप-योग	**12,961**
ख)	वन्य	
3	तसर बीज उत्पादक	376
4	तसर बीज कीटपालक	2,295
5	मूगा निजी बीज उत्पादक	75
6	एरी बीज उत्पादक/बीज कीटपालक	286

#	घटक	2014-15
7	तसर पौध संवर्धन	1,839
8	एरी खाद्य पौधारोपण / बहुवर्षी एरी पौधारोपण	1,114
9	मूगा खाद्य पौधारोपण	895
	वन्य का उप-योग	**6,880**
	उप-योग (फार्म क्षेत्र सेक्टर पर)	19,841
II	कोसोत्तर क्षेत्र	
10	धागाकरण गृह	75
11	बहुछोरीय धागाकरण	102
12	स्वचालित धागाकरण मशीन	11
13	कुटीर थाला धागाकरण इकाइयाँ	59
14	चरखा धागाकरण	18
15	दुपिया धागाकरण	
16	मास्टर धागाकार	18
17	वन्य धागाकरण व कताई	896
18	शटल रहित करघा	
19	हथकरघा	585
20	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास	106
21	सामान्य सुविधा केन्द्र	22
22	किफ़ायती चूल्हा	
	उप-योग (कोसोत्तर क्षेत्र)	**1,892**
	कुल योग	**21733**

3.2.1.2. 2014-15 के दौरान उविका के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियाँ

क. बीज क्षेत्र

शहतूती एवं वन्य दोनों के रेशमकीट बीज की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के उन्नयन के लिए उविका के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को सहायता दी गई है :

#	योजना/घटक का नाम	उपलब्धि
	शहतूती बीज	
1	रारेबीसं का विशेषाधिकार रोगाणुनाशन कार्यक्रम (संख्या.)	10
2	रारेबीसं के अंगीकृत बीज कीटपालकों (अं बी की) के लिए कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु सहायता (संख्या)	23
3	राज्य बीजागारों एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों को परिक्रामी पूँजी निधि सहायता (संख्या)	16
4	राज्य बीजागारों एवं निजी पंजीकृत बीज उत्पादकों को बीज परीक्षण उपकरणों की खरीदी हेतु सहायता (संख्या)	3
5	राज्य के मूल बीज फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (संख्या)	6
6	राज्य एवं निजी वाणिज्यिक बीज उत्पादन इकाइयों के उन्नयन के लिए सहायता (इकाइयों की संख्या)	15
	वन्य बीज	
	तसर	
1	निजी तसर बीज उत्पादकों को सहायता (बीज उत्पादक)	376
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान तसर बीज उत्पादकों को सहायता (बीज उत्पादक)	1417
2	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (उष्णकटिबंधीय तसर) (आरंभिक परियोजना केन्द्र)	20
क	मूल बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना (स्वयं सहाय समूह, सहकारी/गैर-सरकारी संगठन के द्वारा) (बीज उत्पादक इकाई)	1
3	तसर बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (ओक तसर) (बीजागार)	2
4	उष्णकटिबंधीय तसर कीटपालकों को सहायता (कीटपालक)	2233
क	ओक तसर बीज कीटपालकों को सहायता (कीटपालक)	62
ख	रोग अनुश्रवण तथा बीज कोसा परीक्षण के लिए चल परीक्षण सुविधा हेतु सहायता (संख्या)	7
	एरी	
5	एरी फार्म व बीजागार को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभागों को सहायता (फार्म व बीजागार)	2
क	एरी निजी बीज उत्पादकों को सहायता (बीज उत्पादक)	70
ख	अंगीकृत एरी बीज कीटपालकों को सहायता (कीटपालक)	216
ग	राज्य एरी मूल बीज फार्म व बीजागार का उन्नयन (फार्म व बीजागार)	1
	मूगा	
6	मूगा निजी बीज उत्पादकों को सहायता (बीज उत्पादक)	75
क	बीज उत्पादन क्षमता के उन्नयन के लिए विद्यमान मूगा निजी बीज उत्पादकों को सहायता (बीज उत्पादक)	2
7	मूगा बीज प्रगुणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभागों को सहायता (पी2) (फार्म-व-बीजागार)	
क	अंगीकृत मूगा बीज कीटपालकों को सहायता (कीटपालक)	237

ख. कोसा क्षेत्र

शहतूती एवं वन्य दोनों के कोसों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के उन्नयन के लिए उविका के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को सहायता दी गई।

#	शहतूती कोसा	
1	शहतूत पौधारोपण विकास के लिए सहायता (एकड़)	12958
2	सिंचाई तथा अन्य जल संरक्षण तथा प्रयोग तकनीकी के लिए सहायता	8683
3	कृषकों को कीटपालन उपकरणों (उन्नत चंद्रिका सहित)/फार्म उपकरणों की आपूर्ति (संख्या/एकड़)	10242
4	कृषकों को गुणवत्ता रोगाणुनाशन सामग्री एवं अन्य फ़सल संरक्षण उपायों की आपूर्ति (बीज कृषक)	42185
5	कीटपालन गृहों के निर्माण के लिए सहायता (संख्या)	10724
6	चॉकी बागान का रखरखाव, चॉकी कीटपालन केन्द्र (चॉ की के) भवन का निर्माण तथा चॉकी कीटपालन उपकरण की खरीदी हेतु सहायता	162
7	जैविक निवेश के लिए उत्पादन इकाइयों/रोगाणुनाशन तथा निवेश आपूर्ति के लिए द्वार-द्वार सेवा अभिकरण तथा रेशम उत्पादन पॉली क्लीनिक के लिए सहायता	72
8	किसान पौधशाला विकास के लिए सहायता (एकड़)	182
9	3 वर्ष के लिए X व XI वीं योजना के दौरान किए गए शहतूत पौधारोपण की रखरखाव लागत (एकड़)	828
10	केंचुआ खादशाला के निर्माण हेतु सहायता (संख्या)	815
11	उत्तर-पूर्वी राज्यों में शहतूत उद्यान की घेराबंधी के प्रति सहायता (एकड़)	2296
12	उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोसा बनाने हेतु रखने के हॉल के निर्माण हेतु कीटपालन गृहों के विस्तार के प्रति सहायता (संख्या)	1542
13	जल संरक्षण तकनीक के माध्यम से विद्यमान वर्षाश्रित शहतूत उद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता (एकड़)	1775
	वन्य कोसा	
	तसर	
1	तसर खाद्य पौधारोपण के संवर्धन के लिए कीटपालकों को सहायता (हेक्टेयर)	550
क	तसर नवोदभिद् खाद्य पौध बीजारोपण (किसान पौधशाला) के लिए लाभार्थियों को सहायता (पौधशाला इकाइयाँ)	51
ख	विद्यमान चॉकी पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता (कीटपालक)	854
ग	विद्यमान तसर पौधारोपण के रखरखाव के लिए तसर कीटपालकों को सहायता (हेक्टेयर)	305
2	व्यवस्थित ओक तसर पौधारोपण करने एवं रखरखाव के लिए सहायता (हेक्टेयर)	130
3	तसर क्षेत्र में कोसा भण्डारण गृह के निर्माण के लिए सहायता (संख्या)	55
क	तसर कीटपालकों के लिए कोसा भण्डारण गृहों के निर्माण एवं कोसों के दमघोंटने की सुविधा के लिए सहायता (संख्या)	201
	एरी	
4	प्रारंभिक औज़ार सहित एरण्डी / कसावा उत्पादकों को सहायता (एकड़)	94
5	प्रारंभिक औज़ार की आपूर्ति सहित बहुवर्षी एरी खाद्य पौधों का संवर्धन (एकड़)	1020
क	कस्सेरु खाद्य पौध उगाने के लिए सहायता (पौधशाला इकाइयाँ)	28
6	कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु सहायता (संख्या)	2402
	मूगा	
7	प्रारंभिक औज़ार सहित मूगा खाद्य पौधों का संवर्धन एवं रखरखाव (एकड़)	795
क	मूगा खाद्य पौधा उगाने के लिए सहायता (पौधशाला इकाइयाँ)	28
ख	विद्यमान मूगा खाद्य पौधारोपण के रखरखाव के लिए (एकड़)	100

ग. कोसोत्तर प्रौद्योगिकी (को प्रौ)

रेशम सूत एवं वस्त्रों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के उन्नयन के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड धागाकरण, कताई, बुनाई एवं विपणन क्षेत्रों को शामिल कर उविका के अंतर्गत विभिन्न कोसोत्तर प्रौद्योगिकी घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। उविका के अंतर्गत कार्यान्वित कोसोत्तर प्रौधोगिकी घटकों एवं 2014-15 के दौरान इनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:

#	योजना/घटक का नाम	उपलब्धि
	शहतूती	
1	धागाकरण गृह के निर्माण हेतु सहायता (संख्या)	
क	उन्नत कुटीर थाला इकाइयाँ	
क	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले) (संख्या)	5
ख	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला) (संख्या)	22
ग	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला) (संख्या)	48
2	बाल श्रम निवारण के लिए मोटरचालित चरखा के लिए सहायता (संख्या)	18
3	उन्नत कुटीर थाला धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता (संख्या)	
क	36 छोरीय इकाई (प्रत्येक 6 छोरीय के 6 थाले) (संख्या)	9
ख	48 छोरीय इकाई (प्रत्येक 8 छोरीय के 6 थाले) (संख्या)	50
4	बहुछोरीय धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता	
क	6 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला) (संख्या)	20
ख	10 थाला इकाई (10 छोरीय प्रति थाला) (संख्या)	34
ग	अतिरिक्त उपकरणों की खरीदी/पुनःअनुकूलन के लिए विद्यमान बहुछोरीय इकाइयों को सहायता (संख्या)	48
5	स्वचालित धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता	
क	200 छोरीय इकाई (संख्या)	8
ख	400 छोरीय इकाई (संख्या)	3
6	स्वचालित दुपिया धागाकरण इकाइयों (142 छोरीय) की स्थापना के लिए सहायता (संख्या)	2
7	ऐंठन इकाइयों (480 छोरीय) को सहायता (संख्या)	47
8	धागाकरण इकाइयों को बैंक द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज इमदाद (संख्या)	35
9	द्विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन	
क	बहुछोरीय इकाइयों पर धागाकृत श्रेणीकरण योग्य द्विप्रज रेशम (100/-रु. प्रति कि ग्रा) (कि ग्रा)	73.007/ मी ट
ख	स्वचालित धागाकरण इकाइयों पर धागाकृत 2ए श्रेणी तथा अधिक श्रेणी के द्विप्रज रेशम (150/-रु. प्रति कि ग्रा) (कि ग्रा)	0.49 मी ट
	वन्य	
10	वन्य धागाकरण/कताई क्षेत्र को सहायता	
क	धागाकरण व ऐंठन मशीन (संख्या)	318
ख	गीला धागाकरण मशीन (प्रत्येक 6 छोरीय के 2 थाले) (संख्या)	8
ग	एक में दो धागाकरण व ऐंठन मशीन (संख्या)	70
घ	सहकारी/स्वयं सहाय समूह के लिए तसर कोसा छँटाई मशीन (संख्या)	13
ङ	मोटर/पैर चालित कताई मशीन (संख्या)	437
च	सौर ऊर्जा चालित कताई मशीन (संख्या)	50

	सामान्य (शहतूती - 70% एवं वन्य - 30%)	
11	मास्टर धागाकारों/तकनीशियनों की सेवा प्रदान करना	18
	सूतोत्तर (शहतूती-70% व वन्य-30%)	
12	हथकरघा क्षेत्र को सहायता	
क	केरेप्रौअसं द्वारा विकसित जकार्ड तथा अन्य उपकरणों के माध्यम से करघा उन्नयन	585
ख	केरेप्रौअसं द्वारा विकसित हथकरघा के लिए वायवीय उत्थापक यंत्र-रचना	120
13	सूत रँगाई एवं कपड़े के प्रक्रमण के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता	
क	कंप्यूटर की सहायता से वस्त्र विन्यास (कं स व वि) (संख्या)	106
ख	नाँद रँगाई-25 कि ग्रा क्षमता की इकाइयाँ (संख्या)	1
ग	नाँद रँगाई-50 कि ग्रा क्षमता की इकाइयाँ (संख्या)	3
घ	हत्था रँगाई-50 कि ग्रा क्षमता की इकाइयाँ (संख्या)	10
ङ	वस्त्र प्रक्रमण-250 कि ग्रा क्षमता की इकाइयाँ (संख्या)	2
(i)	शून्य विसर्जन प्रकार (5000 लीटर/दिन) (संख्या)	4
(ii)	भू-प्रकार का विसर्जन (5000 लीटर/दिन) (संख्या)	2
14	मास्टर बुनकरों/विन्यासकारों/तकनीशियनों की सेवा प्रदान करना	
क	मास्टर बुनकर/विन्यासकार (संख्या)	18
	विपणन (शहतूती-70% व वन्य-30%)	
15	कोसा एवं कच्चे रेशम के लिए विपणन अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता (राज्य/अभिकरण)	
16	गर्म वायु शुष्कन-यंत्र की स्थापना के लिए सहायता	
क	50 किग्रा क्षमता की इकाइयाँ (विद्युत) (संख्या)	49
ख	100 किग्रा क्षमता की इकाइयाँ (विद्युत) (संख्या)	26
ग	50 किग्रा क्षमता की इकाइयाँ (बहुइंधनीय) (संख्या)	2
घ	100 किग्रा क्षमता की इकाइयाँ (बहुइंधनीय) (संख्या)	1
ङ	2000 किग्रा क्षमता का कण्वेयर गर्म वायु शुष्कन-यंत्र (आयातित) (संख्या)	1

घ. सहायता सेवा

#	योजना / घटक का नाम	उपलब्धि
1	फ़सल बीमा सहायता (सभी क्षेत्र में)	8536
2	रेशम उत्पादन पर प्रचार	36.70 लाख रु. खर्च किया गया
3	रेशम उत्पादन कृषकों एवं कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (पालिसियाँ)	5000
4	रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण (सभी प्रशिक्षण तथा केरेबो,राज्य एवं अन्य पणधारियों का क्षेत्र दौरा सहित)	
क	लाभार्थी सशक्तिकरण कार्यक्रम (ला स का) (संख्या)	7724
ख	रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र (रे सं के) (संख्या)	27
ग	कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रम (कौप्रउका)-(दलों की संख्या)	17
5	रेशम दूत अवधारणा के अनुसार समुदाय आधारित संगठन (स आ सं) विकसित करना (स्व ससं की संख्या)	138
6	रेशम उत्पादन विकास के लिए अभिमुखी गतिविधियों को सहायता (संख्या) - समूह विकास परियोजनाएँ (समूह परियोजनाएँ)	222
7	विशेष पहल (लचीली निधि)-प्रतीक प्रावधान	240.30 लाख रु. खर्च किया गया

3.2.1.3 अनुसूचित जाति उप-योजना (अ जा उ यो) तथा अनुसूचित जनजातीय उप-योजना (अ ज उ यो) का कार्यान्वयन

इस कार्यक्रम के लक्ष्य में, उत्पादनकारी परिसंपत्ति, मानव संसाधन विकास सृजित कर गरीबी एवं बेरोज़गारी की भारी कमी करना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें में भौतिक एवं वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से शोषण को रोकना शामिल है। 2014-15 के दौरान, वस्त्र मंत्रालय के बजट अनुमोदन के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अंतर्गत राज्यों को क्रमश: 25.00 करोड़ रु. तथा 6.59 करोड़ रु. विमोचित किया गया।

3.2.1.4 भारत में द्विप्रज रेशम उत्पादन

बारहवीं योजना के दौरान, पहला जोर देश में आयात प्रतिस्थापी रेशम को बढ़ावा देना तथा द्विप्रज रेशम का उत्पादन 1685 मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन स्तर से 5000 मीटरी टन तक उत्पादन बढ़ाना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से शेष 1660 मीटरी टन उत्पादित करने के लिए गैर-अधिकार क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित करने के अलावा, बारहवीं योजना के दौरान समूहों के माध्यम से लगभग 3340 मीटरी टन द्विप्रज रेशम के उत्पादन के लिए 172 द्विप्रज समूहों की व्यवस्था करने की योजना बनायी है । द्विप्रज कच्चा रेशम उत्पादन की वर्तमान स्थिति तथा बारहवीं योजना के अंत में इसका अनुमानित उत्पादन नीचे प्रस्तुत है **(चित्र-1)**

बारहवीं योजना के अंत में लक्ष्यित द्विप्रज कच्चे रेशम उत्पादन को प्राप्त करने की क्रियाविधियाँ **चित्र 2** में उल्लिखित हैं।

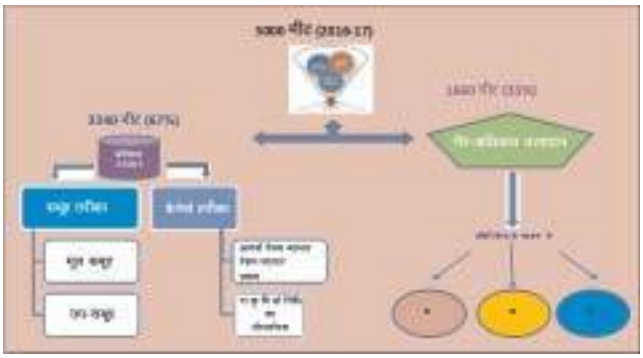

वर्ष के दौरान समूह कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि निम्नानुसार है :

- केरेबो मुख्यालय स्थित द्विप्रज कक्ष केन्द्रक अधिकारी के रूप में तथा निदेशक, केरेप्रौअसं, मैसूरु/बहरमपुर/पाम्पोर/रारेबीस, बेंगलूरु विभिन्न पणधारियों की स्पष्ट भूमिका के साथ संबंधित राज्य रेशम निदेशालयों के निकट समन्वय से 172 समूहों तथा 27 सं ग्रा सं का के कार्यान्वयन का अनुश्रवण कर रहा है।
- चयनित चॉकी कीटपालन केन्द्रों के माध्यम से सभी रोमुबीच का सही उष्मायन किया जाता है और चॉकी कीटपालन किया जाता है और मात्र चॉकी कीटों का वितरण चयनित कृषकों को किया जाता है।
- केरेबो के द्विप्रज कक्ष के द्वारा फ़सल समीक्षा बैठकें, संयुक्त समन्वय समिति बैठकों के माध्यम से समूह संवर्धन कार्यक्रम का अनुश्रवण कर विभिन्न पणाधारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया ।
- संयुक्त संगठित प्रयास से, वर्ष के दौरान द्विप्रज कच्चा रेशम का उत्पादन 108% की वृद्धि निर्दिष्ट कर 3766 मीटरी टन तक पहुँच गया है।
- 172 समूहों के माध्यम से लगभग 2353 मी टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है।

वर्ष 2014-15 के द्विप्रज रेशम उत्पादन की राज्य-वार प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

2014-15 के दौरान अधिकार और गैर-अधिकार क्षेत्र के माध्यम से द्विप्रज कच्चा रेशम का उत्पादन

क्रम सं.	राज्य का नाम	समूह	2014-15 के दौरान कच्चा रेशम उत्पादन (मी ट)		
			अधिकार क्षेत्र	गैर-अधिकार क्षेत्र	योग
दक्षिणी अंचल					
1	कर्नाटक	46	895	309	1204
2	तमिलनाडु	28	692	515	1207
3	आन्ध्र प्रदेश	13	464	31	495
4	तेलंगाना	4	45	6	51
5	महाराष्ट्र	9	113	86	199
6	केरल	2	7	0	7
	योग	**102**	**2216**	**947**	**3163**
उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र					
1	जम्मू व कश्मीर	25	36	111	147
2	उत्तराखण्ड	7	7	22	29
3	हिमाचल प्रदेश	8	10	20	30
4	पंजाब	1	1.3	2.7	4
5	हरियाणा		0	0.3	0.3
	योग	**41**	**54**	**156**	**210.3**
मध्य पश्चिमी क्षेत्र					
1	मध्य प्रदेश	5	18	50	68
2	उत्तर प्रदेश	8	30	57	87
3	छत्तीसगढ़	0	0	0.45	0.45
	योग	**13**	**48**	**107**	**155.45**
पूर्वी क्षेत्र					
1	पश्चिम बंगाल	4	10.4	16.6	27
2	ओडिशा	3	0.3	1.7	2
3	बिहार	1	0	0.35	0.35
	योग	**8**	**10.7**	**18.65**	**29.35**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
1	असम एवं बो रा प	3	8	17	25
2	मिज़ोरम	1	0	32	32
3	नागालैण्ड	1	2.5	3.5	6
4	मणिपुर	2	11.5	85.5	97
5	त्रिपुरा	1	1.7	23.3	25
6	सिक्किम	-	0	5	5
7	अरुणाचल प्रदेश	-	0	2	2
8	मेघालय	-	0	16	16
	योग	**8**	**23.7**	**184.3**	**208**
	कुल योग	**172**	**2353**	**1413**	**3766.1**

3.2.1.5 वन्य समूह कार्यक्रम

XII वीं योजना में 9000 मी ट वन्य रेशम का उत्पादन परिकल्पित है और संकटकालीन क्षेत्र में उचित मध्यस्थता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से XII वीं योजना के दौरान लगभग 400 मी ट वन्य रेशम के उत्पादन करने के लिए 50 वन्य समूह आयोजित करने की योजना बनायी, शेष 8600 मी ट का उत्पादन करने के लिए गैर-अधिकार क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा प्रसार पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है । केतअवप्रसं, राँची, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़, बुतरेबीसं, बिलासपुर तथा मूरेबीसं, गुवाहाटी को रेशम निदेशालयों के निकट समन्वय से समूहों का अनुश्रवण करने का कार्य सौंपा गया है। वन्य रेशम उत्पादक राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, केरेबो द्वारा 50 समूहों तथा संबंधित समूह विकास सुविधा प्रदाता (कोसा पूर्व में 45 समूह तथा कोसोत्तर क्षेत्र में 5 समूह) की पहचान की गई है और रेशम निदेशालय को वर्गीकरण सर्वेक्षण तथा नैदानिक अध्ययन तथा समन्वय से समूह परियोजनाओं की तैयारी को पूरा करना सुनिश्चित करना है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समूह विकास सुविधा प्रदाता एवं राज्य कर्मचारियों में जागरुकता पैदा करने तथा उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए दो अभिविन्यास कार्यशालाएँ राँची में दिनांक 19 अगस्त, 2014 को तथा गुवाहाटी में 25 सितंबर, 2014 को आयोजित की गईं। कार्यान्वयन शुरु करने के लिए राज्य को केन्द्र सहायता विमोचित की गई है। कार्यान्वयन तथा प्रगति की आवधिक समीक्षा के लिए समूह-स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा संस्थान स्तरीय समितियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। कार्यान्वयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए जोरहाट में मूगा और एरी समूहों की प्रगति की समीक्षा 27 नवंबर, 2014 को तथा राँची में तसर समूहों की समीक्षा 26 फरवरी, 2015 को की गई है। लाभार्थियों के लिए विभिन्न मूगा एवं एरी समूहों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

3.2.1.6 वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष (वरेबासंक)

वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष की स्थापना उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाज़ार संवर्धन, उत्पाद विकास एवं विविधता के क्षेत्र में वन्य रेशम को निवेश सहायता देने के उद्देश्य से की गई। नीचे प्रस्तुत सारांश के अनुसार वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष की गतिविधियाँ 2014-15 के दौरान वन्य रेशम के वंशीय, मार्का एवं बाज़ार संवर्धन पर असीम ध्यान केन्द्रित कर जारी रखी गईं :

- **वन्य रेशम प्रदर्शनी का आयोजन :** वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने भारतीय रेशम मार्क संगठन के सहयोग से वन्य रेशम के मार्का तथा बाज़ार संवर्धन पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलूरु तथा चेन्नई में रेशम मार्क-वन्य रेशम प्रदर्शनी आयोजित की है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं में जागरुकता पैदा करने के लिए वन्य रेशम विषय-मण्डप का आयोजन किया और वन्य रेशम उत्पादों का प्रदर्शन भी किया।

- **प्रदर्शनी में प्रतिभागिता :** वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, कोचिन, बेलगावी तथा जम्मू में आयोजित 7 रेशम मार्क प्रदर्शनी में भाग लिया। इन सभी 7 प्रदर्शनियों में वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने केरेप्रौअसं, बेंगलूरु, एरेबीसं, गुवाहाटी, केरेअवप्रसं, मैसूरु तथा केतअवप्रसं, राँची तथा उनकी अधीनस्थ इकाइयों के सहयोग से विशेष वन्य विषय पर मण्डप का आयोजन किया। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से वन्य रेशम का वंशीय एवं मार्का संवर्धन किया जा रहा है। विकसित विशेष वन्य रेशम उत्पादन का प्रदर्शन इन विषय-मण्डप में किया गया।

- **उत्पाद विकास एवं वाणिज्यकरण :** वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने ए आई एफ डी, बेंगलूरु के साथ सहयोगात्मक परियोजना के अंतर्गत एरी रेशम से उष्मीय पहनावा विकसित किया है। इन उत्पादों का प्रदर्शन प्रदर्शनियों, पारस्परिक चर्चा मिलन तथा फ़ैशन प्रदर्शनी में किया गया। वरेबासंक तथा

पी3डी ने संयुक्त रूप से नए उत्पादों अर्थात् छालटी x घीचा, थ्रोव्स्टर x तसर कटिया, शहतूती x मूगा, तसर x मूगा संयोजन विकसित किया और "100 दिवसीय कार्यक्रम" के अंतर्गत 56 उत्पाद विकसित किए गए। रेशम उत्पादों में बाना के रूप में चंदेरी साड़ी में एरी, तसर तथा मूगा स्पन सूत का प्रयोग करते हुए चंदेरी समूह में उत्पाद विकास किया गया। इन उत्पादों का विकास चंदेरी (म.प्र.) समूहों में किया गया। वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष ने संदुर समूह (कर्नाटक का बेल्लारी जिला) में परंपरागत लंबानी कशीदाकारी कार्य से रेशम उत्पादों के विकास में सहयोग किया। वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन ने बेंगलूरु, तिरुपुर, इरोड तथा भागलपुर एवं अन्य स्थानों के विनिर्माता तथा निर्यातकों से परस्पर चर्चा की और उन्हें नए उत्पादों के वाणिज्यिकरण से अवगत किया।

➢ **ई-सूचीकरण एवं विपणन :** वरेबासंक व पी3 डी द्वारा विकसित विविध उत्पादों का ई-सूचीकरण व इन विन्यासों का ई-विपणन किया तथा गोकूप, बेंगलूरु के सहयोग से प्राथमिक उत्पादकों / बुनकरों / सहकारी समितियों के वन्य रेशम उत्पादों के ई-विपणन में मदद किया है। भारेमासं तथा गोकूप, बेंगलूरु के सहयोग से प्राथमिक उत्पादकों / बुनकरों / सहकारी समितियों के वन्य रेशम उत्पादों के ई-सूचीकरण तथा ई-विपणन के लिए एक पहल की गई है। इस संबंध में, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मेसर्स गोकूप के सहयोग से भागलपुर, बिहार क्षेत्र के 5 फर्म तथा असम राज्य के 5 फर्म को पंजीकृत किए गए हैं।

➢ **जैव रेशम का संवर्धन :** वन्य रेशम विनिर्माताओं को वन्य रेशम का उन्नयन जैविक रेशम के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और वन्य रेशम बाज़ार संवर्धन कक्ष जैविक / परि-रेशम को प्रत्यायित करने के लिए सुसंगत सूचना अभिकरणों को प्रदान करती आ रही है। वन्य रेशम लोगो अधिकृत प्रयोक्ताओं को संदर्भ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु सी.डी. के रूप में सूचना अग्रेषित की गई है। वरेबासंव द्वारा प्राप्त सूचना निम्नानुसार हैं :

- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैव-उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशित **भारतीय जैविक वस्त्र मानक** में रेशम मानक को शामिल किया जाता है।
- **जैव वन्य रेशम प्रमाणन** -वन सर्ट एशिया ऐग्रि सार्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान से संपूर्ण प्रमाणन सेवा उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय जैव-उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों की सूची।
  जैव रेशम प्रमाणन मानक, क्रियाविधि तथा औपचारिकताओं संबंधी उपर्युक्त सूचना को रेशम निदेशालयों तथा अन्य अभिकरणों / उद्यमियों को प्रदान किया गया है।

➢ **वन्य रेशम बिक्री केन्द्र :** लाभार्थियों को आबंटित वन्य रेशम बिक्री केन्द्र बेंगलूरु में एक और दो नई दिल्ली में कार्य करना जारी रखा। नयी दिल्ली तथा बेंगलूरु स्थित वन्य रेशम बिक्री केन्द्रों के 24 माह की आबंटन अवधि को बढ़ाकर 34 माह कर तथा 8000 रु. के वर्तमान अनुरक्षण शुल्क को बढ़ाकर नई दिल्ली बिक्री केन्द्र के मामले में 15000 रु. तथा बेंगलूरु ब्रिकी केन्द्र के मामले में 10000 रु. कर संशोधित किराया शर्त के साथ 2014-17 की अवधि तक नए लाभार्थियों को आबंटित किया गया है। विक्रय संवर्धन के लिए छपाई माध्यम, वेबसाइट, आदि के माध्यम से वन्य रेशम बिक्री केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और नियमित रखरखाव किया गया है । उचित विज्ञापन तैयार करने के लिए विन्यासकारों, दुकानों एवं थोक उपभोक्ताओं, आदि को संबद्ध कर सहायता भी प्रदान की गई।

➢ बाह्य अभिकरणों के साथ ली गईं **सहयोगात्मक परियोजनाएँ** निम्नानुसार है :

- सेना फ़ैशन व विन्यास संस्थान, बेंगलूरु द्वारा 8.00 लाख रु. के परिव्यय की **"एरी रेशम का उपयोग कर ऊष्मीय जैकट एवं अन्दर पहनने**

के कपड़े का विन्यास व विकास" परियोजना समाप्त हुई। इस परियोजना के अधीन विकसित **अन्दर पहनने के कपड़े** एवं जैकट का प्रदर्शन पारस्परिक सम्मिलन /फ़ैशन प्रदर्शनी तथा वन्य रेशम प्रदर्शनी में किया गया।

- केरेप्रौअसं, बेंगलूरु द्वारा 3.95 लाख रु. के परिव्यय की **"तसर, एरी एवं मूगा के स्पन सूत से बिने एवं बुने गए विविध उत्पादों का विकास" परियोजना** प्रगति पर है । इस परियोजना के अंतर्गत एरी रेशम से बिने टी-शर्ट एवं महिलाओं का टॉप विकसित किया गया है, जबकि मूगा एवं तसर बिने पहनने के उत्पाद का विकास प्रगति पर है।
- सी सी आर आई, कॉयर बोर्ड, कलवूर तथा केरेअवप्रसं, बेंगलूरु द्वारा संयुक्त रूप से 3.95 लाख रु. के कुल परिव्यय की **एरी रेशम / कॉयर मिलाकर सम्मिश्रित उत्पादों का विकास** परियोजना ली गई। विविध उत्पादों के विनिर्माण के उचित संयोजन को पहचानने के लिए कॉयर के मिश्रित सूत तथा बाना के रूप में एरी नॉइल रेशम और ताना के रूप में कॉयर सूत/ सूती का प्रयोग कर कपड़े उत्पादित किए गए। हस्त कते तथा मशीन कते सूत का प्रयोग कर जैकेट, क़ालीन तथा बैग, आदि उत्पाद उत्पादित किए गए।
- निफ्ट-टी निटवेयर फ़ैशन संस्थान, तिरूपुर के माध्यम से 2.80 लाख रु. की लागत पर **वाणिज्यिकरण एरी रेशम आंतरिक/अंतरंग कपड़े का विकास परियोजना ली गई है और यह परियोजना** पूरी होने के चरण पर है।

3.2.1.7 उत्पाद विन्यास, विकास एवं विविधता (पी3वि)

उत्पाद विन्यास विकास विविधता (पी3वि) के अंतर्गत वस्त्र अभियांत्रिकी, रेशम सम्मिश्रण, नया कपड़ा संरचना विन्यास करना, रेशम तथा रेशम सम्मिश्रण में नए उत्पादों का विन्यास एवं विकास, समूहों में उत्पाद विकास, विकसित उत्पादों का वाणिज्यिकरण, पश्च संबद्ध प्रदान कर वाणिज्यिकरण भागीदारियों को सहायता देना, तकनीकी जानकारी तथा नमूने विकास में सहायता/समन्वय करने पर विशेष ध्यान देने की गतिविधियाँ जारी रखी गईं।

I उत्पाद विकास

➢ निम्नलिखित रेशम तथा रेशम सम्मिश्रित कपड़े विकसित किए गए :

i) रेशम सूती सम्मिश्रण - 60% व 40% तथा 70% व 30%

ii) रेशम आदर्श कपड़ा - 60% व 40%

iii) छालटी तसर एवं चलटी कटिया कपड़ा

iv) रेशम X बाँस कपड़ा,

फ़ैशन विन्यासकारों के सहयोग से उपर्युक्त कपड़े से परिधान तथा जीवन शैली के उत्पाद विकसित किए गए।

➢ (पी3वि) तथा वरेबासंक ने केरेप्रौअसं, बेंगलूरु, संदूर कुशल कला केन्द्र तथा फ्रांसीसी दृश्य कलाकार के सहयोग से जनजातीय लंबानी कारीगरों को शामिल कर भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा प्रायोजित संदूर में उत्पाद विकास पर परियोजना कार्यान्वित किया और निम्नलिखित उत्पादों का विकास किया। माननीव वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्रता प्रभार), भारत सरकार ने लंबानी जनजातीय कारीगरों द्वारा विकसित उत्पादों का विमोचन नवंबर, 2014 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन के दौरान वाणिज्यिकरण हेतु किया।

अन्य उत्पाद

- रेशम कपड़ा तथा रेशम कशीदाकारी सूत में परंपरागत लंबानी सिलाई से युक्त वस्त्र ।
- दर्पण तथा कढ़ाई कार्य सहित रज़ाई, कुशन कवर तथा मेजपोश जैसे जीवन शैली के उत्पाद।
- बैग, दीवार पर लगाने के चित्रित कपड़े, थैलियाँ, आदि जैसे उपसाधन।

➢ पी3 वि ने केरेप्रौअसं, बेंगलूरु तथा भारतीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के सहयोग से कोरा रेशम बाना तथा स्पन रेशम [रेशम के सभी चारों प्रजाति] से चंदेरी साड़ी विकसित की है। इन उत्पादों को वाणिज्यिकरण के लिए मृगनयनी [मध्य प्रदेश परिसंघ] तथा अन्य विनिर्माताओं, व्यापारियों को दर्शाया गया और विनिर्माताओं ने इन उत्पादों की काफ़ी प्रशंसा की।

➢ प्राकृतिक बाग मुद्रण से भी शहतूत क्रेप साड़ी का विकास किया गया और इन उत्पादों का वाणिज्यिकरण प्रगति पर है।

➢ मेसर्स नैचुरल्स, इरोड के सहयोग से प्राकृतिक रूप से रंगे गए उत्पादों के विकास के लिए तसर तथा एरी में प्राकृतिक रूप से रंगे गए कपड़े विकसित किए गए। प्राकृतिक रूप से रंगे गए कपड़े से उत्पादों का विकास प्रगति पर है।

II अन्य संस्थानों के साथ उत्पाद विकास सहयोगात्मक परियोजना

➢ ए आई एफ डी, बेंगलूरु के सहयोग से 2014-15 के दौरान विभिन्न रेशम का इस्तेमाल कर "रेशम संयोजन कपड़ों का विकास तथा उनके गुणों का अध्ययन" तथा "फैशन वस्त्रों का विन्यास एवं विकास" पर दो परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं, वस्त्र विकास, उसका फोटो लेना और दस्तावेजीकरण प्रगति पर है।

➢ राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु के सहयोग से "समकालीन विचार" पर परियोजना ली गई है। यह परियोजना समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु ने वस्त्र, अंतिम रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र पी3वि को सौंप दिया है।

III) **उत्पादों का वाणिज्यिकरण:** रेशम सम्मिश्रित उत्पादों, रेशम तसर क्लच बटुआ तथा लंबानी कला कार्य से युक्त बैग का वाणिज्यिकरण हस्तशिल्प व हथकरघा निर्यात निगम के माध्यम से किया गया है। पी3वि ने विकास एंव उत्पादन में विनिर्माताओं तथा वाणिज्यिक साझेदारियों का सहयोग किया है।

IV) **प्रदर्शनी में प्रतिभागिता:** पी3वि ने तिरुवनंतपुरम, कोचिन, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलूरु, बेलगाम तथा जम्मू व कश्मीर में वन्य-रेशम मार्क प्रदर्शनी के दौरान विषय-मण्डप में सक्रिय रूप से भाग लिया।

V) अन्य गतिविधियाँ

- केरेबो के प्रवेश द्वार में पी3वि / स्वागत कक्ष क्षेत्र के नवीकरण / विस्तार के लिए नक्शा के विन्यास में सहयेाग।
- बेंगलूरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग सम्मेलन में भाग लिया।
- इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति जैसे - श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्री एस. के. पाण्डा, वस्त्र सचिव, श्री बी. पी. पाण्डे, एएस व एफए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डॉ. अनीफ सल्लेह, प्रोफेसर, मलेशिया विश्व विद्यालय, श्री निर्मल सिन्हा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, हस्तशिल्प व हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली ने पी3वि का निरीक्षण कर नए रेशम उत्पादों के विकास एवं उत्पादों के वाणिज्यिकरण में किए गए प्रयासों की सराहना की।

अन्य संगठनों से निधि प्राप्त परियोजनाएं

4.1 उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अधीन एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना 12वीं योजना के दौरान नियमित योजनाओं के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्यान्वित वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक परियोजना अधारित कौशल नीति है। इस योजना के अधीन होने वाले व्यय का खर्च उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए आबंटित किए जा रहे 10 प्रतिशत बजट परिव्यय में से किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा 1038.10 करोड़ रु. के आबंटन सहित इस योजना का अनुमोदन दिया गया है और इसके बाद व्यय वित्त समिति द्वारा 08.04.2013 को एवं सीसीईए द्वारा 07.11.2013 को अनुमोदन दिया गया। इस योजना में वस्त्र के सभी सहायक क्षेत्र, हथकरघा के पारंपरिक वी एस ई क्षेत्र, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, पटसन, संबद्ध तंतु के साथ-साथ विधुत करघा और कपड़ा/परिधान क्षेत्र शामिल है। तदनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, ने उत्तर-पूर्वी राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं के सूत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की सुविधा दी गई है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की व्यय वित्त समिति ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 445.65 रु. के कुल परिव्यय के साथ 10 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिसका ब्योरा निम्नानुसार है।

[रु. लाख में]

#	राज्य	हिस्सा प्रणाली					भारत सरकार द्वारा 2014-15 में विमोचित निधि
		भारत सरकार	मगाँराग्रारोगायो	राज्य	लाभार्थी	योग	
1	**असम**	4741.78	1152.66	431.11	341.78	**6667.33**	**0.0**
2	**बो रा प**	2467.60	611.02	227.70	186.12	**3492.43**	**104.3**
3	**अरुणाचल प्रदेश**	1842.22	0.00	0.00	0.00	**1842.22**	**719.2**
4	**मणिपुर**						
क	**शहतूत**	12660.00	0.00	1294.74	1021.00	**14975.75**	**3008.03**
ख	**शहतूत/एरी**	2467.49	190.24	228.37	153.08	**3039.17**	**0.00**
	योग (क+ख)	*15127.49*	*190.24*	*1523.11*	*1174.08*	***18014.92***	***3008.03***
5	**मेघालय**	2191.30	485.73	197.12	141.68	**3015.82**	**101.37**
6	**मिज़ोरम**	2449.00	436.93	208.93	154.35	**3249.20**	**141.43**
7	**नागालैण्ड**	2266.15	514.72	203.00	162.73	**3146.60**	**127.65**
8	**त्रिपुरा**	3320.12	983.90	281.44	209.13	**4794.58**	**141.46**
8क	**त्रिपुरा (मुद्रण)**	341.00	0.00	0.00	0.00	**341.00**	**0.00**
	योग	**34746.66**	**4375.20**	**3072.41**	**2369.87**	**44564.10**	**4343.56**

4.1.1 मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना (शहतूत)

"उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना" छत्र योजना की अवधारणा से, यह परियोजना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन थी। यह परियोजना भारत सरकार के 126.60 करोड़ रु., राज्य के 12.947 करोड़ रु. और लाभार्थी के 10.210 करोड़ रु. के हिस्से की प्रणाली के साथ वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 3 साल की अवधि हेतु 149.758 करोड़ रु. परिव्यय के साथ मंजूर की गई। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में है और रेशम उत्पादन विभाग, मणिपुर इस परियोजना का कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरण है। पूरी परियोजना अवधि के दौरान 159.38

करोड़ रु. मूल्य के 638 मीटरी टन उपज होने का अनुमान किया गया है । इसके अलावा, पूरी क्षमता प्राप्त होने के बाद, इस परियोजना से प्रति वर्ष 202.5 मीटरी टन शहूतती कच्चा रेशम का उत्पादन होगा, जिसका मूल्य वर्तमान दर पर 50.62 करोड़ रु. होगा। वर्ष 2014-15 के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन पर खर्च करने के लिए 30.08 करोड़ रु. की राशि मणिपुर राज्य को दे दी जा चुकी है। इस परियोजना की प्रगति संक्षिप्त रूप से नीचे प्रस्तुत है :

- प्रत्येक व्यक्ति को 1 एकड़ पौधारोपण के लिए 500 लाभर्थियों, सिंचाई सुविधा के लिए 140 लाभार्थियों, चंद्रिका रखने हेतु कीटपालन गृहों के निर्माण हेतु 500 की पहचान की गई है और प्रथम वर्ष के लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- उन्नत शहतूत क़िस्मों की 4.6 मीटरी टन क़लमों का क्रय किया गया और परियोजना के जिलों में 20 किसान पौधशालाओं में लगाया गया। इन क़लमों को 200 हेक्टेयर में पौधारोपण करने एवं वर्त्तमान पौधारोपण के 640 हेक्टेयर का संरक्षण करने के लिए उपयोग किया गया है।
- 140 हेक्टेयर शहतूत पौधरोपण को सिंचाई सुविधा दी गई है। जिन लाभर्थियों ने शहतूत पौधरोपण किए, उनके 500 प्रौढ़ कीटपालन गृहों को संरक्षण में लिया गया, 425 चंद्रिका हॉल का निर्माण और 800 मौजूदा सुवाह्य कीटपालन गृहों की मरम्मत प्रगति पर है।
- इस परियोजना कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए 90 नयी भर्ती की गई एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को इन परियोजना जिलों में तैनात किया गया है। इस परियोजना क्षेत्र के 200 नए एवं 200 विद्यमान किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, 5 द्वार-द्वार सेवा अभिकरणों की पहचान कर सहायता दी गई है।
- 10 लाख रोमुबीच/वर्ष का वार्धित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपकरण सहायता देने हेतु खोंघमपाट और संगाईपाट में 2 वाणिज्यक बीजागारों की पहचान गई है।
- विष्णुपुर एवं तौबल जिलों में तकनीकी सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए जगह की पहचान की गई है और संगाईपाट में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र बनाया गया है।
- इस परियोजना क्षेत्र में 2500 किसानों के द्वारा 11.69 रोमुबीच कीटपालन कर 52 कि ग्रा कोसा/100 रोमुबीच की उपज के साथ 615.45 मीटरी टन शहतूत कोसों का उत्पादन किया गया । कोसा उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि पायी गई
- वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार का हिस्सा 13.47 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया। यह परियोजना प्रगति पर है ।

4.1.2 अरुणाचल प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2014-15 से 2016-17 तक 3 वर्ष तक की अवधि के लिए 34.72 करोड़ रु. के परिव्यय सहित अरुणाचल प्रदेश के लिए एकीकृत रेशम उत्पादन परियोजना मंजूर की गई है। इस परियोजना के कुल बजट में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उविका घटकों के लिए 16.306 करोड़ रु. और उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र उन्नयन परियोजना योजना के अधीन प्रस्तावित घटकों के लिए 18.42 करोड़ रु., जिसमें उविका व्यय की हिस्सा प्रणाली केन्द्रीय रेशम बोर्ड से 13.19 करोड़, रु. राज्य से 1.67 करोड़ रु. और लाभार्थी के अंशदान से 1.44 करोड़ रु. शामिल है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र परियोजना योजना के लिए आबंटित 18.42 करोड़ रु. की राशि मुख्यत: सभी चारों रेशम क्षेत्रों अर्थात् शहतूती, एरी, मूगा एवं ओक तसर में बीज उत्पादन और कोसोत्तर प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के प्रति लक्ष्यित है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में है और रेशम उत्पादन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना का कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। इस परियोजना अवधि के दौरान 20.62 करोड़ रु. मूल्य के 78.94 मीटरी टन कच्चा रेशम (शहतूती-

26.82 मी ट, एरी-43.30 मी ट, मूगा-2.16 मी ट और ओक तसर - 6.67 मी ट) और एक बार सभी पौधे तैयार होने पर चालू मूल्य पर 11.33 करोड़ रु. के मूल्य के 35.95 मी ट कच्चा रेशम/वर्ष (शहतूती-13.12 मी ट, एरी-17.28 मी ट, मूगा-2.88 मी ट, ओक तसर-2.67 मी ट) उत्पादन होने की आशा है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान अपना हिस्सा 7.19 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकार को दी है। इस परियोजना की प्रगति संक्षिप्त रूप से नीचे प्रस्तुत है :

- 30000 कस्सेरु पौधों, 40000 सोम पौधों और 87000 शहतूत क़लमों के लिए पौधशालाओं की स्थापना की गई।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्त्र परियोजना योजना के अधीन प्रस्तावित अवसंरचना के अनुकूलतम उपयोग हेतु वर्ष 2012-14 के दौरान उविका की सहायता से 650 एकड़ में शहतूत पौधारोपण किया गया।
- आर डब्ल्यू डी को दी गई 1.02 करोड़ रु. की राशि की निधि से ज़िरो, सिल्ले और बालीजान स्थित शहतूत फार्म एवं रेशमकीट बीज उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्रों का अद्यतन किया जा रहा है।
- मूगा रेशमकीट के स्व-स्थाने संरक्षण हेतु लोहित जिले के नोंगखोंग मूगा फार्म के पास वन खण्ड की पहचान की गई है। नोंगखोंग फार्म में 31000 सोम पौधों को उगाया गया है, जो अगले वर्ष मानसून के दौरान पौधारोपण के लिए तैयार हो जाएगा।
- लोहित जिले के नोंगखोंग में मूगा बीज उत्पादन केन्द्र, सिल्ले, लापताप एवं नाहरलगुन स्थित राज्य रेशम उत्पादन फार्म और पश्चिम कामेंग के दरांग स्थित ओक तसर फार्म का उन्नयन करने की पहचान की गई है। यह कार्य प्रगति पर है।
- नारहलगुन, पांगिन एवं नाचो में बुनाई कार्य हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। नारहलगुन की एक इकाई को 0.19 कराड़ रू की राशि दी गई है।
- परार्मशदाताओं द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र और क्षेत्र परीक्षण केन्द्र के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
- केमूएअप्रसं, लाहदोईगढ़ द्वारा प्रशिक्षित 20 मददगारों को क्षेत्र की गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए तीन जिलों के 510 लाभार्थियों की पहचान की गई है।
- 0.82 लाख शहतूती, 3.55 लाख एरी और 1.62 लाख मूगा रोमुबीच के कीटपालन से 26.4 मी ट शहतूती कोसों, 31.9 मी ट एरी कवच और 81 लाख मूगा कोसों का उत्पादन किया गया, जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 28 मी ट कच्चा रेशम का उत्पादन हुआ।
- 2.45 करोड़ रु. की निधि खर्च की गई। यह कार्यकलाप प्रगति पर है।

4.2 अन्य मंत्रालयों से निधि प्राप्त परियोजना

4.2.1 बिहार में तसर एवं एरी उत्पादन के विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वर्ष 2003-04 से बिहार राज्य के बांका जिले में तसर एवं एरी उत्पादन हेतु एक विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना परियोजना कार्यान्वित की गई थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड इसका कार्यान्वयन अभिकरण है, जो कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करता है और कोसा-पूर्व पहलुओं पर केतअवप्रसं, राँची, बीजों की आवश्यकता के लिए बुतरेबीसं, बिलासपुर और कोसोत्तर कार्यकलापों के लिए केरेप्रौअसं, बेंगलूरु की इकाइयों से आवश्यक प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है। केरेबो बुतरेबीसं के बुनियादी रेशमकीट प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से नाभिकीय बीजों की सम्पूर्ण आवश्यकता एवं मूल बीज की आंशिक आवश्यकता को भी पूरी करता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन व्यावसायिक विकास कार्य सहायता प्रदान (पीआरएडीएएन), एक गैर-सरकारी संगठन

द्वारा राज्य में किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान सभी बड़ी परियोजनाओं के कार्यकलाप पूरे किए गए। वर्ष 2014-15 के दौरान, मूल्यांकन एवं प्रलेखीकरण कार्यकलाप किए गए, जिनका ब्योरा नीचे प्रस्तुत है :

- सी ई ओ, बी आर एल पी एस द्वारा गठित एक संयुक्त क्षेत्र मूल्यांकन दल ने इस परियोजना का प्रभाव का मूल्यांकन कार्य किया है।
- तीसरा पक्ष सर्वश्री फ्रेम वर्क्स, भोपाल ने सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्याकंन किया है।
- एक परामर्शदाता द्वारा बिहार एवं झारखंड की विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना/राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)-टी डी एफ परियोजना क्षेत्र में विशेष शिक्षण सहित पूरे तसर रेशम मूल्य श्रृंखला में सवोत्तम तसर उत्पादन के प्रलेखीकरण का गठन किया गया और इसे वर्ष के दौरान पूरा किया गया।
- बिहार और झारखंड में स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना और राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)-टी डी एफ परियोजना के अधीन स्थापित बुनियादी बीज उत्पादन इकाइयों का अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का प्रमाणीकरण कार्य पूरा किया गया।

4.2.2 उत्तराखंड में शहतूती रेशम उत्पादन विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 9.18 करोड़ रु. की कुल लागत पर उत्तराखंड में शहतूती रेशम उत्पादन विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना परियोजना की मंजूरी रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा 5 साल की अवधि (2007-08 से 2011-12) तक कार्यान्वित करने के लिए की गई थी । इस परियोजना को 2014 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है। इस निधि में ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 4.17 करोड़ रु., केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 2.99 करोड़ रु., राज्य का 0.80 करोड़ रु., बैंक ऋण 0.76 करोड़ रु. और लाभार्थियों का 0.45 करोड़ रु. है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यान्वयन एवं समन्वय अभिकरण है और इस परियोजना का कार्यान्वयन रेशम उत्पादन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा नैनीताल जिले में और एक गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण कृषि विकास समिति द्वारा उधम सिंह नगर जिले में किया जा रहा है। इस परियोजना के कार्यकलाप के कार्यान्वयन के लिए रेशम उत्पादन विभाग, उत्तराखंड को दी गई निधि में ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 3.99 करोड़ रु., केरेबो का 2.96 करोड़ रु., राज्य का 0.80 करोड़ रु. एवं बैंक ऋण से प्राप्त 0.72 करोड़ रु., और लाभार्थियों का हिस्सा 0.33 करोड़ रु. शामिल है । मार्च, 2015 तक परियोजना की उपलब्धियाँ निम्नानुसार है:

- आरंभ से 50 केंचुआ खाद शालाओं से 701.5 मी ट केंचुआ खाद उत्पादित किया गया।
- नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले में एस-146 क़िस्म के 487 एकड़ (1/2 एकड़ के 974 यूनिट) के शहतूत पौधारोपण और 26 यूनिट के झाड़ पौधारोपण उगाए गए
- बीचपुरी, नाथुनगर, चनकपुर, मनकांतपुर, रानीकोटा, राजपुरा क्यारी, विजयपुरा और पचावाला में निर्मित सभी 9 चॉकी कीटपालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं
- 1000 स्वरोज़गारियों को कीटपालन गृहों के निर्माण एवं कीटपालन उपकरणों को खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु मदद किया गया है। उनको पौधरोपण के संरक्षण एवं रेशमकीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। स्वयं सहाय समूह के 85 कार्यालय सेवकों के लिए तीन दलों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 500 स्वरोज़गारियों को देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और बेंगलूरु/मैसूरु में किए जा रहे विभिन्न रेशम उत्पादन क्षेत्र का दर्शन कराया गया/अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया। 10 कृषि मेलाओं का भी आयोजन किया गया।
- निवेश सहायता और इस परियोजना के अधीन उनके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का ब्योरा अभिलिखित करने हेतु सभी स्वरोज़गारियों को

पौधारोपण सहित कीटपालकों का पासबुक जारी किया गया।

➢ प्रारंभ से अब तक 3,73,550 रोमुबीच का कीटपालन किया गया और 127.90 मी ट कोसों का उत्पादन किया गया।

4.2.3 बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम

इस परियोजना का कार्यान्वयन जारी रखने योग्य आजीविका विकास के लिए तसर रेशम उत्पादन आधारित अग्र व पश्च संबद्ध सृजित कर जमुई के चकाई प्रखंड के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दुलामपुर, नावाडीह, फरिताज़डीही एवं गाझी पंचायतों में किया जा रहा है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 1274.91 लाख है, जिसमें से राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, पटना का हिस्सा 837.72 लाख रु. (65.71%), केरेबो का हिस्सा 170.91 लाख रु. (13.41%), लाभार्थियों का हिस्सा 217.29 लाख (17.04%) और राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋृण की राशि 49 लाख रु. (3.84%) शामिल है । केवल 11वीं योजना अवधि अर्थात् 2009-10, 10-11 एवं 11-12 के लिए प्रस्तावित उविका निधि प्राप्त सहित 2009-10 से प्रारंभ पाँच वर्ष की अवधि तक क्रमश: 20.675 लाख रु., 86.517 लाख रु. एवं 63.717 लाख रु. व्यय प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 2009-12 के लिए 241.34 लाख रु., केरेबो ने 158.975 लाख रु. उविका के हिस्सा के रुप में प्रदान (पी आर एडी ए एन) को दिया है, जिसमें से 62.79 लाख रु. का उपयोग किया गया।

तसर क्षेत्र के अधीन, 2544 एकड़ में पशु रोधक खाई सहित तसर पौधों को उगाया गया, 2069 एकड़ में मिट्टी संरक्षण कार्य किया गया और 197 जल संचयन अवसंरचना बनायी गई। रेशम उत्पादन एवं बागवानी कार्यकलापों में अंतर कृषि प्रचालन की देख-रेख करने के लिए 49 पम्पसेट, 72 फुहारक (स्प्रेयर) एवं 183 निराईयंत्र उपलब्ध किए गए। वर्ष के अंत तक 89 स्वयं सहाय समूह गठित किए गए, 15 सदस्यता प्रशिक्षण, स्वयं सहाय समूह प्रशिक्षण के लिए 1 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, 7 लेखा-परीक्षक प्रशिक्षण, 29 समूह लेखाकार प्रशिक्षण और 9 समूह सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान 735 कीटपालकों, पी आई ए के 2 कर्मचारियों, 16 कृषक दलों को पौधा उगाने में, सब्जी की खेती में 20 दलों और एस आर आई/उन्नत धान की खेती में 45 दलों को प्रशिक्षित किया गया। 1830 लाभार्थियों को क्षेत्र देखने के लिए ले जाया गया । इस परियोजना के लक्ष्यों के अनुसार, एस आर आई, सब्जी की खेती, मिट्टी आर्द्रता संरक्षण, बागवानी जैसी अन्य मध्यस्थता कार्य किए गए।

4.2.4 तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

बिहार और झारखंड में विशेष स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना एवं राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पहल ने तसर उत्पादन विशेष रुप से जनजातीय समुदायों की आजीविका को प्रमाणित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तसर आधारित आजीविका की बढ़ती हुई माँग अब समझने योग्य है। इस वर्तमान परिस्थिति के आधार पर, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पीआरएडीएएन एवं बीएआईएफ ने पारिवारिक स्तर पर आजीविका सृजन एवं तसर उत्पादन में असीम क्षेत्र विकास दोनों के विषय में बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवारों तक पहुँचने और महत्त्वपूर्ण पैमाने पर प्रभाव सृजित करने के लिए बहु-राज्यीय उद्यम करने का विचार किया। इस मामले पर कई बार चर्चा करने के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्यस्थता के प्रारंभिक चरण के तार्किक विस्तारण के रूप में, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अधीन वित्तीय सहायता पर विचार करने के लिए परियोजना के सूत्रीकरण हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रस्ताव पर सहमति दी।

तदनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने पीआरएडीएएन के सहयोग से झारखंड, ओडिशा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्यों में, बी ए आई एफ पुणे के सहयोग से महाराष्ट्र में और एस ई आर पी एवं कोवेल के सहयोग से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में तसर विकास के लिए सात परियोजनाओं का निर्माण किया है।

इस परियोजना में 8 राज्यों के 33 चयनित जिलों में सीमांत परिवार विशेष रुप से अनुसूचित जनजाति के समुदायों एवं महिलाओं को शामिल कर 36000 जारी रखने योग्य आजीविका सृजित करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

1. 27540 लाभार्थियों को शामिलकर 52.211 करोड़ रु. के परियोजना अनुदान सहित 60.80 करोड़ रु. व्यय सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय से 39.13 करोड़ रु. एवं केरेबो से 13.09 करोड़ रु. के साथ झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तसर आधारित आजीविका के संवर्धन की एक बहु-राज्यीय परियोजना ने वर्ष 2013-14 के दौरान अपने कार्यकलापों को प्रारंभ कर दिया है।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में तसर रेशम उत्पादन संवर्धन के लिए बनायी गई और एस ई आर पी एवं कोवेल द्वारा कार्यान्वित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना प्रायोजित परियोजना 10.64 करोड़ रु. परियोजना अनुदान (ग्रा वि मं : 7.84 करोड़ रु. एवं केरेबो : 2.79 करोड़ रु.) सहित 5972 लाभार्थियों को शामिल कर 5 जिलों में अपने कार्यकलापों को प्रारंभ कर दिया है।

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 8.93 करोड़ रु. परियोजना निधि (ग्रा वि मं : 6.69 करोड़ रु. एवं केरेबो : 2.23 करोड़ रु.) सहित 3170 लाभार्थियों को शामिलकर बिहार के बांका जिले के चार प्रखंडों को शामिल कर बिहार के तसर संवर्धन के लिए बनायी गई महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना पर कार्यवाही बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन-समिति जीविका, पटना द्वारा की जा रही है और प्रदान (पी आर ए डी ए एन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया।

परियोजना की प्रगति : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2012 के दौरान बहु-राज्यीय परियोजना को अनुमोदन दिया और केरेबो को 9.78 करोड़ रु. दो क़िस्तों में दिया है, जिसमें से 2013-15 के दौरान 9.29 करोड़ रु. पी आई ए, पी आर ए डी ए एन एवं बी ए आई एफ को दिया है और 5.11 करोड़ रु. (55%) का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भी वर्ष 2013-14 के दौरान उविका का हिस्सा के रूप में कुल 3.95 करोड़ रु. राशि एस ई आर पी को शामिल कर सभी पी आई ए को दिया, जिसका 100% उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के अधीन दी गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

	ग्रा वि मं का हिस्सा (रु. लाख में)					केरेबो का हिस्सा (रु. लाख में)		
क्रम सं.	**परियोजना राज्य**	**कुल हिस्सा**	**प्राप्त राशि (25%)**	**पी आई ए को दी गई राशि (वर्ष-1)**	**पी आई ए द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र**	**कुल हिस्सा**	**पी आई ए को दी गई राशि**	**पी आई ए द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र**
1	झारखण्ड	1795.460	448.875	435.017	188.678	598.486	189.988	189.988
2	छत्तीसगढ़	598.703	149.675	145.761	67.069	253.211	64.146	64.146
3	ओडिशा	358.586	89.650	86.250	57.660	133.599	42.017	42.017
4	पश्चिम बंगाल	400.399	100.100	97.085	78.638	119.447	29.919	29.919
5	महाराष्ट्र	759.800	189.950	165.273	119.076	204.286	69.230	69.229
6	आं.प्र. एवं तेलंगाना		-	-		278.642	62.498	62.498
	योग	**3912.948**	**978.250**	**929.386**	**511.121**	**1309.029**	**395.299**	**395.299**

जमीन की तैयारी, पौध उगाना, बीज कीटपालन के लिए खाद्य पौधों, पौधरोपण के लिए निवेशों की आपूर्ति और बुनियादी, वाणिज्यिक और नाभिकीय कीटपालन की व्यवस्था एवं रोमुबीच की आपूर्ति, निजी बीजागारों, आदि के निर्माण जैसे सभी तैयारी कार्यों की व्यवस्था की गई।

इस परियोजना के अधीन 13232 अ ज जा (85.72%), 610 अ जा (3.95%) और 1594 अल्पसंख्यकों (10.32%) को मिला कर 15436 किसानों को शामिल किया गया। स्वयं सहाय समूहों एवं महिला किसानों के 11950 वर्तमान सदस्यों को 538 अनौपचारिक उत्पादक समूहों के रूप में गठित किया गया। महिला किसान 578 पल्लियों, 397 राजस्व ग्रामों, 52 प्रखंडों एवं परियोजना राज्यों के 23 जिलों के हैं।

895 पौधारोपण किसानों द्वारा 644 हेक्टेयर ब्लॉक पौधरोपण के लिए 75 किसान पौधशाला के माध्यम से 293 महिला किसानों द्वारा 12.967 लाख तसर पौधों का उत्पादन किया गया।

बुतरेबीसं एवं बु बी क्र इ से 83600 बुनियादी रोग मुक्त बीज चकत्तों का क्रय किया गया और 1223 बीज कीटपालकों द्वारा कीटपालन कर 22.53 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया गया। 312 नाभिकीय बीज कीटपालकों ने नाभिकीय बीजों के 27000 रोमुबीच का बुरुश कर 10.21 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया। 712 निजी बीज उत्पादकों ने 16.269 लाख बीज कोसों को तैयार कर 5.1:1 के कोसा: रेामुबीच अनुपात की दर पर 3.223 लाख वणिज्यिक रोग मुक्त बीज चकत्तों का उत्पादन किया। 8410 वाणिज्यिक कीटपालकों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/विशेष स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना परियोजना/रेशम निदेशालयों से क्रय किए गए 18.532 लाख रोमुबीच का बुरुश कर 80.41 लाख धागाकरण कोसों का उत्पादन किया।

परियोजना के अधीन तकनीकी प्रशिक्षण (9447 सं.), जारी रखने योग्य कृषि एवं सब्जी की खेती जैसे क्षेत्रीय कार्यकलापों पर प्रशिक्षण (6382), समुदाय संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण (615 सं.), चॉकी कीटपालन व्यक्तियों को क्षेत्र पर प्रशिक्षण (6950 सं.), स्वयं सहाय समूह प्रशिक्षण (1963 सं.), आदि जैसे विभिन्न क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 1116 लाभार्थियों को सदस्यता में एवं 109 को नेतृत्व प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया। 23 क्षेत्र दौरा एवं 2 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 6 प्रशिक्षण मापदण्डों को तैयार कर एन आर एल एम को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, रारेबीसं, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गडचीरोली, महाराष्ट्र में 24.06.2014 को बीज अधिनियम जागरुकता कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, इस कार्यक्रम में 94 बीज किसान उपस्थित हुए और उनका पंजीकरण किया गया।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के परियोजना क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रथम वर्ष के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु आधार सर्वेक्षण पूरा किया गया और द्वितीय वर्ष के लिए सर्वेक्षण कार्यवाही प्रांरभ की गई।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक समन्वयक अभिकरण के रूप में वीडियो वार्ता के माध्यम से परियोजना प्रबंध बोर्ड (प प्र बो) बैठक की व्यवस्था की और परियोजना प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राग्राविसं, हैदराबाद में चार तिमाही समीक्षा बैठकों का आयोजन किया और परियोजना प्रगति की समीक्षा की। केन्द्रक (नोडल) अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों ने रेशम निदेशालयों, एस आर एल एम एवं संबंधित पी आई ए को शामिल कर कार्यान्वयन के विभिन्न विषयों का हल करने के लिए परियोजना क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र दौरा किया और निर्धारित समय के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बिहार के महिला किसान सशक्तिकरण परियेाजना ने गामीण विकास मंत्रालय द्वारा विविध कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पी आई ए को 0.66 करोड़ रु. का हिस्सा देने के साथ वर्ष 2014-15 के दौरान अपने कार्यकलापों को अभी-अभी प्रारंभ किया है। 170 अ ज जा (51.35%), 41 अ जा (12.38%) एवं 120 अल्पसंख्यकों (36.25%) को शामिल कर 331 महिला किसानों को चयन किया गया। एक ही प्रखंड के 23 ग्रामों के 32 पल्लियों से लाभार्थियों को शामिल किया

गया। प्रशिक्षित 6 सी आर पी ने 331 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है। 16 उत्पादक समूहों का गठन किया गया। इस अवधि के दौरान 260 हेक्टेयर में खाद्य पौधों को उगाया गया।

4.2.5 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मगाँराग्रारोगाअ)

मगाँराग्रारोगाअ के अंतर्गत निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार, ग्रामीण गरीबों, ग़रीबी रेखा से नीचे एवं औसत ग़रीबी रेखा के लोगों के लाभ के लिए निम्नलिखित रेशम उत्पादन कार्यकलापों को करने के लिए मगाँराग्रारोगाअ के अधीन पंजीकृत श्रमिकों द्वारा ग्रामीण गरीबों को रोज़गार देने के लिए प्रस्तावित किया :

- फार्मों एवं व्यक्तिगत जमीनों का विकास करना एवं पौधारोपण को उन्नत करना।
- शहतूत एंव वन्य खाद्य पौधों के लिए पौधशाला का विकास करना।
- केंचुआ खाद सुविधाओं के साथ जंगल के जमीन में क्रमबद्ध वन्य खाद्य पौधों को उगाना एवं उनका संरक्षण।
- ग्रामीण जमीनों, अनुकूलित जमीन में वन्य खाद्य पौधों हेतु बंजर भूमि को सुधारना।
- जल संरक्षण तकनीकों और आर्द्रता रखरखाव, आदि के माध्यम से जल स्रोतों का सृजन और वर्षाश्रित बागानों का विकास करना।
- पौध रोपण का पीड़क नियंत्रण एवं रोग नियंत्रण।
- रेशम उत्पादन समूहों को जोड़ने के लिए अवसंरचना का विकास करना।
- उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं की रोकथाम के लिए पौधरोपण के चारों ओर खाई खोदना।
- साल वन क्षेत्रों में स्व-स्थाने कीटपालन करने के लिए संरक्षण कार्य करना।

वर्तमान में अभिमुखीकरण के अंतर्गत, भारत सरकार ने 17 राज्यों के लिए 26127.96 लाख रु. की लागत की कुल 49 परियोजनाओं की मंजूरी दी है।

4.3 एकीकृत कौशल विकास योजना (ए कौ वि यो)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत में रेशम उद्योग के विकास का पर्यवेक्षणकर्त्ता, एक शीर्ष अभिकरण भारत सरकार का हिस्सा 34.18 करोड़ रु. और केरेबो का हिस्सा 5.58 करोड़ रु. के हिस्से के 39.77 करोड़ रु. आबंटन से अपने नौ अ व वि संस्थानों के माध्यम से 12 वीं योजना के दौरान 34,553 लाभार्थियों के लिए कौशल बीजारोपण एवं कौशल उन्नयन/कौशल वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित सहित वस्त्र मंत्रालय के व्यापक ध्वज-पोत पहल "एकीकृत कौशल विकास योजना" का कार्यान्वयन करता है। इसके अतिरिक्त, केरेबो ने 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान इस योजना, विशेष रूप से तसर क्षेत्र में कार्यान्वित करने में सहायता के लिए एक गैर-सरकारी संगठन-प्रदान (पी आर ए डी ए एन) के साथ हाथ मिला लिया है।

इस परियोजना के अधीन, सभी चारों क्षेत्रों के रेशम मूल्य श्रृंखला (पौध उगाना, पौधारोपण विकास, गुणवत्ता रेशमकीट बीज उत्पादन से लेकर गुणवत्ता कोसा उत्पादन तक एवं रेशम धागाकरण कताई, बुनाई से लेकर रँगाई, छपाई, विन्यास, परिष्करण, आदि तक) के अंतर्गत आने वाले 66 पाठ्यक्रम कार्यकलापों की पहचान की गई। इन पाठ्यक्रमों की अवधि निवेश की प्रकृति के आधार पर एक हफ्ते से तीन माह तक अलग-अलग होती है और इसका संचालन भारत के सभी प्रमुख रेशम उत्पादन समूहों/स्थानों में किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, सभी अनुसंधान व विकास संस्थानों ने प्रदान (पीआरएडीएएन) के सहयोग से 6689 लाभार्थियों (68.93%) को प्रशिक्षित किया, 17157 लाभार्थियों (85.49%) को इसके प्रारंभ से प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 9792 लाभार्थियों (57%) को रोज़गार से जोड़े गए हैं। इस योजना ने कौशल बीजारोपण एवं कौशल परिष्करण/विकास के माध्यम से किसानों, धागाकारों एवं अन्य पणधारियों को अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान किया है।

एकीकृत कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रम (ए कौ प्र व उ वि का)

वर्ष 2014-15 के दौरान "कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रमों (कौ प्र व उ वि का)" घटक के अधीन प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा 484 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर कुल 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रमों का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है :

#	कार्यक्रम का नाम	स्थान	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी
1	संसाधन विकास कार्यक्रम	बहरमपुर (म स प के अधीन रेशम निदेशालय, मणिपुर)	3	90
		दीमापुर	1	20
		आइज़ोल	1	20
		अगरतला	1	20
		गुवाहाटी	1	14
		उप-योग	**7**	**164**
2	प्रबंध विकास कार्यक्रम	देहरादून	1	22
		बिलासपुर	1	22
		बहरमपुर	1	25
		राँची	1	22
		लाहदोईगढ	1	22
		इम्फाल	1	35
		उप-योग	**6**	**148**
3	प्रौद्योगिकी उन्नयन	रामदिया, हजो (असम)	1	172
		उप-योग	**1**	**172**
	योग	**कुल-योग**	**14**	**484**

4.4 भारत में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अभिकरण

4.4.1 जा अं स अ परियोजना पर अनुवर्ती सहयोग कार्यक्रम (2012-15)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जा अं स अ के सहयोग से 2012 से निम्नलिखित उद्देश्यों से अनुवर्ती सहयोग का कार्यान्वयन किया जा रहा है :

- प्रजनक के स्टॉक से लेकर किसान स्तर तक उत्पादन कम होने के कारण, यदि कोई हो, तो पता लगाने के लिए द्विप्रज रेशमकीट प्रजाति के कार्य निष्पादन की वर्तमान स्थिति का आगे सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करने के लिए मदद करना।
- देशी लघु पैमाने पर (120-200 छोरीय) स्वचालित धागाकरण इकाइयाँ विकसित करने के लिए अनुसंधान करने के लिए मदद करना।
- घूर्णन चंद्रिकाएँ विकसित करने के लिए अनुसंधान करने के लिए मदद करना।

इस कार्यक्रम के परिणाम निम्नानुसार हैं :

- जा अं स अ द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार गुणवत्ता के रखरखाव के लिए रेशमकीट बीज के रखरखाव हेतु एकतरफा प्रगुणन प्रणाली को अतिसावधानी से पालन करना।
- देशी तकनीकी से 10 छोरीय स्वचालित धागाकरण मशीन विकसित की गई है। इसे 40 छोरीय तैयार करने के लिए प्रतिकृति के रुप में रखी गई है।
- नाइलॉन जाल की सग्रहण प्रणाली सहित घूर्णन चंद्रिकाओं के उपयोग से श्रम लागत 50% तक कम हुई है और यह गुणवत्ता द्विप्रज कोसा उत्पादन करने में बहुत किफ़ायती पाया गया । यह वाणिज्यिक परीक्षण के अधीन है ।

4.4.2 जापानी विदेशी सहकारी स्वयंसेवक (जा वि स स्व)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड जा अं स अ के सहयोग से 6 समूहों में प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए रेशम उत्पादकों से जुड़े हुए स्वयं सहायक समूहों/सीबीओ गठित करने में एवं विस्तारण प्रणाली के क्षेत्र में दो साल की अवधि तक 07.01.2015 से जापानी विदेशी सहकारी स्वयंसेवक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। जा अं स अ के अधीन निम्नलिखित जापानी विदेशी सहकारी स्वयंसेवक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के साथ नीचे दर्शाए गए स्थानों में कार्य कर रहे हैं :

राज्य	जापानी विदेशी सहकारी स्वयंसेवक का नाम	प्रचालन के क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	श्री युकी यमनका	हिन्दुपुर एवं मडकसिरा
कर्नाटक	श्री नोजोमु अओकी	कनकपुरा एवं बनिकुप्पे
तमिलनाडु	श्री तडाहीरो असाई	बेरीगाई एवं बागलूर

वित्त व लेखा

5.1 वर्ष, 2014-2015 की प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा-9(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष **2014-15** के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान दिया गया ताकि अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन किया जा सके। वित्तीय वर्ष **2014-15** के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्मोचित सहायता अनुदान का ब्योरा निम्नवत् है:

I. गैर-योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान	27,917.00
	योग - गैर-योजना	**27,917.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/ मार्का संवर्धन तकनीकी उन्नयन		
03.00.31	1. सहायता अनुदान:सामान्य	0.00
03.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8.33
	उप-योग	8.33
	2. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
04.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	2401.00
04.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	819.00
	उप-योग	3220.00
	3. बीज संगठन	
05.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	1847.00
05.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	609.00
	उप-योग	2456.00
	4. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
06.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	660.00
06.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	182.00
	उप-योग	842.00
	5. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
07.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	19.00
07.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	22.00
	6-क. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उविका)	
01.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	333.00
01.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	220.00
	उप-योग	553.00
	6-ख. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उविका)	
01.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	2757.00
01.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8831.00
	उप-योग	11588.00
	7. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
59.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	275.00
59.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2225.00
	उप-योग	2500.00

	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
59.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	85.00
59.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	उप-योग	659.00
	योग - योजना	**21848.33**
	** निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन योजना के अंतर्गत 2013-14 से लिया गया	36.00

III. उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं सिक्किम के अंतर्गत परियोजना/योजना

(₹ लाख में)

	1. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
04.01.31	सहायता अनुदान:सामान्य	916.00
04.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	314.00
	उप-योग	1230.00
	2. बीज संगठन	
04.02.31	सहायता अनुदान:सामान्य	453.00
04.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	147.00
	उप-योग	600.00
	3. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
04.03.31	सहायता अनुदान:सामान्य	47.00
04.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13.00
	उप-योग	60.00
	4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
04.04.31	सहायता अनुदान:सामान्य	17.00
04.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	20.00
	5. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उविका)	
04.05.31	सहायता अनुदान:सामान्य	1355.00
04.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	4645.00
	उप-योग	6000.00
	योग - योजना [उ पू]	**7910.00**

IV. कुल योग (गैर-योजना + योजना + उ-पू)

(₹ लाख में)

	1. प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान	27,917.00
	उप-योग	27,917.00
	2. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/ मार्का संवर्धन/तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	0.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8.33
	उप-योग	8.33
	3. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान:सामान्य	3317.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1133.00
	उप-योग	4450.00

	4. बीज संगठन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	2300.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	756.00
	उप-योग	3056.00
	5. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	707.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	195.00
	उप-योग	902.00
	6. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान:सामान्य	36.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	6.00
	उप-योग	42.00
	7-क. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उविका)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	333.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	220.00
	उप-योग	553.00
	7- ख. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उविका)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	4112.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13476.00
	उप-योग	17588.00
	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	275.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2225.00
	उप-योग	2500.00
	9. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	85.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	उप-योग	659.00
	कुल योग	**57,675.33**
	** निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन योजना के अंतर्गत 2013-14 से लिया गया	36.00

5.2 वर्ष 2014-15 का व्यय

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड व इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा उपगत/दर्ज़ व्यय निम्नानुसार हैं:

I. गैर-योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासन व्यय पर अनुदान	27,917.00
	योग - गैर-योजना	**27,917.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

1. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन/तकनीकी उन्नयन		
03.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	0.0
03.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8.33
	उप-योग	8.33
	2. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
04.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	2401.00
04.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	819.00
	उप-योग	3220.00
	3. बीज संगठन	
05.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	1847.00
05.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	609.00
	उप-योग	2456.00
	4. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
06.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	660.00
06.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	182.00
	उप-योग	842.00
	5. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
07.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	19.00
07.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	22.00
	6. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उविका)	
01.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	333.00
01.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	220.00
	उप-योग	553.00
	6. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उविका)	
01.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	2757.00
01.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8831.00
	उप-योग	11,588.00
	7. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
59.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	275.00
59.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2225.00
	उप-योग	2500.00
	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
59.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	85.00
59.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	उप-योग	659.00
	योग - योजना	**21848.33**
	** निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन योजना के अंतर्गत 2013-14 से लिया गया और 2014-15 के दौरान उपयोग किया गया ।	**36.00**

III. उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं सिक्किम के अंतर्गत परियोजना / योजना

(₹ लाख में)

	1. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
04.01.31	सहायता अनुदान:सामान्य	916.00
04.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	314.00
	उप-योग	1230.00
	2. बीज संगठन	
04.02.31	सहायता अनुदान:सामान्य	453.00
04.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	147.00
	उप-योग	600.00
	3. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
04.03.31	सहायता अनुदान:सामान्य	47.00
04.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13.00
	उप-योग	60.00
	4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
04.04.31	सहायता अनुदान:सामान्य	17.00
04.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	20.00
	5. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उविका)	
04.05.31	सहायता अनुदान:सामान्य	1355.00
04.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	4645.00
	उप-योग	6000.00
	योग - योजना [उ पू]	**7910.00**

IV. कुल योग (गैर-योजना + योजना + उ पू)

(₹ लाख में)

	1. प्रशासन व्यय पर अनुदान	27,917.00
	उप-योग	27,917.00
	2. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन/तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	0.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	8.33
	उप-योग	8.33
	3. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान:सामान्य	3317.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1133.00
	उप-योग	4450.00
	4. बीज संगठन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	2300.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	756.00
	उप-योग	3056.00

	5. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	707.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	195.00
	उप-योग	902.00
	6. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान:सामान्य	36.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	6.00
	उप-योग	42.00
	7. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उ वि का)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	333.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	220.00
	उप-योग	553.00
*	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उ वि का)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	4112.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13476.00
	उप-योग	17588.00
*	9. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	275.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2225.00
	उप-योग	2500.00
*	10. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	85.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	574.00
	उप-योग	659.00
	कुल योग	**57,675.33**
**	निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन योजना के अंतर्गत 2013-14 से लिया गया और 2014 - 15 के दौरान उपयोग किया गया ।	36.00

- वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य/केरेबो के लिए उविका के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा मंजूर 21,300.00 लाख ₹ के परिव्यय/संशोधित आकलन पर मंत्रालय द्वारा सीधे राज्यों को 20,747.00 लाख ₹ की राशि निर्मोचित की गई और 553.00 लाख ₹ की राशि उविका कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन पर केरेबो-उविका को निर्मोचित की गई।

5.3 2014-15 के लिए ऋण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2014-15 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड को गृह निर्माण अग्रिम के लिए कोई ऋण राशि नहीं दी गई।

5.4 2014-15 के बजट आकलन के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रावधान निम्नानुसार हैं :

I. गैर-योजना

(₹ लाख में)

1	प्रशासन व्यय पर अनुदान	33,100.00
	योग - गैर-योजना	**33,100.00**

II. योजना

(₹ लाख में)

1. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/मार्का संवर्धन/तकनीकी उन्नयन		
09.01.31	1. सहायता अनुदान:सामान्य	20.00
09.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	10.00
	उप-योग	30.00
	2. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
09.02.31	सहायता अनुदान:सामान्य	1162.00
09.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	305.00
	उप-योग	1,467.00
	3. बीज संगठन	
09.03.31	सहायता अनुदान:सामान्य	650.00
09.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	250.00
	उप-योग	900.00
	4. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
09.04.31	सहायता अनुदान:सामान्य	200.00
09.04.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	67.00
	उप-योग	267.00
	5. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
09.05.31	सहायता अनुदान:सामान्य	10.00
09.05.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	13.00
	6-क. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उ वि का)	
57.01.31	सहायता अनुदान:सामान्य	-
57.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	-

	6-ख. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उ वि का)	
09.06.31	सहायता अनुदान:सामान्य	2600.00
09.06.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	7700.00
	उप-योग	10300.00
	7. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
24.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	500.00
24.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1500.00
	उप-योग	2000.00
	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
25.00.31	सहायता अनुदान:सामान्य	-
25.00.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	-
	योग-योजना	**14977.00**

III. उ-पू क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / योजना

(₹ लाख में)

	1. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान:सामान्य	-
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	-
	2. बीज संगठन	
05.01.31	सहायता अनुदान:सामान्य	53.00
05.01.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	47.00
	उप-योग	100.00
	3. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
05.02.31	सहायता अनुदान:सामान्य	20.00
05.02.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	13.00
	उप-योग	33.00
	4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान:सामान्य	-
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	-
	5. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उ वि का)	
05.03.31	सहायता अनुदान:सामान्य	675.00
05.03.35	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	2025.00
	उप-योग	2700.00
	योग-योजना [उ पू]	**2833.00**

IV. कुल योग (गैर योजना + योजना + उ पू)

(₹ लाख में)

	1. प्रशासन व्यय के प्रति अनुदान	33100.00
	2. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् व भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा निर्यात संवर्धन/ मार्का संवर्धन /तकनीकी उन्नयन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	20.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	10.00
	उप-योग	30.00
	3. अ व वि, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सू प्रौ पहल	
	सहायता अनुदान:सामान्य	1162.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	305.00
	उप-योग	1467.00
	4. बीज संगठन	
	सहायता अनुदान:सामान्य	703.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	297.00
	उप-योग	1000.00
	5. समन्वयन व विपणन विकास (मा सं वि)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	220.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	80.00
	उप-योग	300.00
	6. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली	
	सहायता अनुदान:सामान्य	10.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	3.00
	उप-योग	13.00
	7- क. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - केरेबो (उ वि का)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	-
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	-
	7 ख. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - (उ वि का)	
	सहायता अनुदान:सामान्य	3275.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	9725.00
	उप-योग	13000.00
	8. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	500.00
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	1500.00
	उप-योग	2000.00
	9. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम - अ ज जा	
	सहायता अनुदान:सामान्य	-
	पूँजी परिसंपत्ति सृजन पर अनुदान	-
	उप-योग	
	कुल योग	**50910.00**

5.5 आंतरिक लेखा परीक्षा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की आंतरिक लेखा-परीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड सचिवालय तथा पाँच आँचलिक लेखा-परीक्षा दल - क से ङ तक अर्थात् आँलेपद-क, केतअवप्रसं, राँची, आँलेपद-ख, केरेअवप्रसं, बहरमपुर, आँलेपद-ग, केरेअवप्रसं, मैसूरु, आँलेपद-घ, क्षेरेअके, जम्मू तथा आँलेपद-ङ, मूरेबीसं, गुवाहाटी से गठित किए गए हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों ने वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखा-परीक्षा संचालित कर अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार 31.03.2015 को यथाविद्यमान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसका ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	आंतरिक लेखा-परीक्षा दल का नाम	शामिल की गई वास्तविक इकाइयाँ		योग
		प्रत्यायोजित	अ-प्रत्यायोजित	
01	के .का. आंलेप दल	40	12	52
02	आंलेपद-क, केतअवप्रसं, राँची	21	02	23
03	आंलेपद-ख, केरेअवप्रसं, बहरमपुर	16	18	34
04	आंलेपद-ग, केरेअवप्रसं, मैसूरु	19	15	34
05	आंलेपद-घ, क्षेरेअके, जम्मू	18	16	34
06	आंलेपद-ङ मूरेबीसं, गुवाहाटी	04	11	15
	योग	**118**	**74**	**192**

2. इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा-परीक्षा अनुभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न सेवा मामलों तथा अन्य विषयों पर संदर्भित 38 विषय के संबंध में भी राय दी (31.03.2015 तक)।

3. इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न इकाइयों से संबंधित 15 महलेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष 2014-15 के दौरान उनके समुचित उत्तर संबंधित महालेखाकर/पीडीसी, एम ए बी को दिए गए।

4. प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा, पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद ने वर्ष 2013-14 के केन्द्रीय रेशम बोर्ड के समेकित वार्षिक लेखा पर लेखा-परीक्षा संचालित की है और आंतरिक लेखा-परीक्षा ने ध्यानपूर्वक समन्वित कर लेखा-परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए लेखा-परीक्षकों द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचनाएँ प्रस्तुत की। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को वर्ष 2013-14 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों से 'शून्य' रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

रेशम उत्पादन सांख्यिकी

6.1 कच्चा रेशम उत्पादन

भारत को पाँचों प्रकार के रेशम अर्थात् शहतूती, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी तथा मूगा का उत्पादन करने वाले एक मात्र देश का गौरव प्राप्त है, जिसमें स्वर्णिम पीला एवं चमकने वाला मूगा, भारत का अनुपम एवं विशिष्ट उत्पाद है। वर्ष 2014-15 के दौरान भारत में कच्चे रेशम का कुल वार्षिक उत्पादन 28,708 मी ट था, जिसमें शहतूती कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 21,390 मी ट (74.5%) रहा । शेष 7,318 मी ट (25.5%) का उत्पादन वन्य रेशम का था **(तालिका-1)।**

इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान वन्य रेशम का उत्पादन 2013-14 के 7,004 मी ट से 4.5% बढ़कर 7,318 मी ट पहुँच गया। 2014-15 के दौरान द्विप्रज, एरी एवं मूगा रेशम का क्रमश: 3870 मी ट, 4726 मी ट तथा 158 मी ट का रिकार्ड उत्पादन हुआ। फिर भी, 2014-15 के दौरान तसर रेशम उत्पादन 2013-14 के 2619 मी ट की तुलना में 7.1% (2434 मी ट) घट गया।

2013-14 तथा 2014-15 के दौरान राज्य-वार तथा प्रजाति-वार कच्चे रेशम का उत्पादन

तालिका 1 : भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन

#	विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि %
क	शहतूत के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	219819	203023	8.3
ख	शहतूती कच्चा रेशम (मी ट)			
	द्विप्रज	3870	2559	51.2
	संकर नस्ल	17520	16917	3.6
	उप-योग (ख)	21390	19476	9.8
ग	***वन्य रेशम (मी ट)***			
	तसर	2434	2619	-7.1
	एरी स्पन रेशम	4726	4237	11.5
	मूगा	158	148	7.1
	उप-योग (ग)	7318	7004	4.5
	योग (ख+ग)	**28708**	**26480**	**8.4**

स्रोत : राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त रिपोर्टों से संकलित

वर्ष 2014-15 में देश में कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 2013-14 के 26,480 मी ट की तुलना में सभी समय से बढ़कर 28,708 मी ट पहुँच गया। 2014-15 में शहतूत कच्चे रेशम का उत्पादन 2013-14 के 19,476 से 9.8% बढ़कर 21.390 मी ट हो गया।

अनुबंध V में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के शहतूत क्षेत्र-फल, शहतूती कच्चा रेशम उत्पादन एवं प्रजाति-वार वन्य रेशम उत्पादन तथा कुल कच्चा रेशम उत्पादन **लेखाचित्र - 1 क-घ** में दर्शाया गया है।

6.2 कोसों एवं कच्चे रेशम का मूल्य

शहतूती कोसा मूल्य : 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सरकारी कोसा बाज़ार, रामनगरम् में द्विप्रज संकर धागाकरण कोसा तथा सरकारी कोसा बाज़ार रामनगरम् तथा सिद्दलगट्टा में संकर नसल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य **तालिका-2** तथा **(लेखाचित्र-2-क-ग)** में दिया गया है।

तालिका 2: कर्नाटक के विभिन्न बाज़ारों में द्विप्रज संकर तथा संकर नस्ल धागाकरण कोसों का औसत मूल्य

(मूल्य: ₹ / कि ग्रा)

माह	द्विप्रज		संकर नस्ल			
	रामनगरम्		रामनगरम्		सिड्लगट्टा	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अप्रैल	353	377	302	333	312	368
मई	387	377	322	310	347	350
जून	396	376	319	294	362	340
जुलाई	354	312	308	279	326	297
अगस्त	365	307	315	271	334	296
सितम्बर	402	344	326	309	367	339
अक्टूबर	348	271	292	232	313	285
नवम्बर	386	298	334	277	356	301
दिसम्बर	400	290	353	271	370	277
जनवरी	423	324	357	297	373	304
फरवरी	428	320	360	279	376	304
मार्च	365	296	330	274	357	302
औसत	**384**	**324**	**327**	**286**	**349**	**314**

स्रोत : रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

शहतूती कच्चा रेशम मूल्य: वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए फिलेचर/कुटीर थाला, चरखा तथा दुपिया रेशम का औसत मूल्य **तालिका-3** तथा लेखाचित्र 3क, तथा 3ख में दिया गया है।

तालिका 3 : कर्नाटक के रेशम विनिमय केन्द्रों में कारोबार किए गए कच्चे रेशम का औसत मूल्य

(मूल्य: ₹/कि ग्रा)

माह	फिलेचर/कुटीर थाला		चरखा		दुपिया	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अप्रैल	2529	3047	2380	2709	941	1486
मई	2539	2938	2482	2580	988	1582
जून	2649	2913	2478	2258	907	1454
जुलाई	2654	2773	2520	2291	979	1496
अगस्त	2766	2711	2580	2283	1080	1476
सितम्बर	3071	2800	2902	2476	1147	1812
अक्टूबर	3030	2686	2806	2307	1482	1731
नवम्बर	3120	2584	3223	2270	1081	1583
दिसम्बर	3182	2519	2643	1801	1381	1450
जनवरी	3082	2428	2991	2031	1325	1390
फरवरी	3042	2336	2565	2006	1098	1422
मार्च	2879	2383	2471	2128	1490	1358
औसत	**2899**	**2605**	**2704**	**2249**	**1096**	**1518**

स्रोत: रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक

वन्य कोसा तथा रेशम मूल्य : वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में वन्य रेशम उत्पादक राज्यों के प्रमुख बाज़ारों में तसर, एरी तथा मूगा कोसे तथा रेशम का मूल्य **तालिका-4** में दिया गया है।

तालिका 4: वन्य कोसों एवं कच्चे रेशम का मूल्य (मात्रक: मूल्य: ₹/कि ग्रा)

प्रजाति	2013-14	2014-15
क) तसर मूल्य *		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं.) (श्रेणी-I)		
क) रैली	2700-3200	4500-6000
ख) डाबा	2100-2900	2675-4500
2. धागाकृत सूत	2415-3200	3500-5000
3. घीचा सूत	1400-1700	1200-3000
ख) एरी मूल्य **		
1. काटे गए कोसे	360-640	460-700
2. स्पन सूत	1200-1300	1500-2800
ग) मूगा मूल्य **		
1. धागाकरण कोसा (1000 सं)	1400-2000	1800-2250
2. कच्चा रेशम		
क) ताना सूत	10000-15000	14000-17500
ख) बाना सूत	8000-12000	12000-16000

टिप्पणी : * चाईबासा (झारखण्ड),चाँपा व रायगढ़ (छत्तीसगढ़) तथा भागलपुर (बिहार) बाज़ारों से संबंधित तसर मूल्य ** गुवाहाटी (असम) बाज़ार से संबंधित एरी एवं मूगा मूल्य। **स्रोत :** कच्चा माल बैंक,केरेबो, चाईबासा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, गुवाहाटी।

आयातित शहतूती कच्चे रेशम (चीनी) का मूल्य : वर्ष, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, 3 ए श्रेणी एवं अधिक की श्रेणी के आयातित चीनी शहतूती कच्चे रेशम के अवतरित मूल्य वाराणसी बाज़ार में इसके विक्रय मूल्य सहित **तालिका-5** में दिए गए हैं।

तालिका-5 : आयातित कच्चे रेशम का मूल्य

(मूल्य : अमेरिकी डालर/किग्रा)

	अवतरित मूल्य (3 ए श्रेणी एवं अधिक की श्रेणी) *				वाराणसी बाज़ार मूल्य **			
	2013-14		2014-15		2013-14		2014-15	
माह	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**न्यूनतम**	**अधिकतम**	**न्यूनतम**	**अधिकतम**
अप्रैल	54.00	55.00	55.00	56.00	57.93	61.60	60.47	62.96
मई	54.00	55.00	55.00	56.00	58.17	63.62	51.00	61.54
जून	55.00	56.00	54.00	55.00	57.36	63.36	56.92	59.43
जुलाई	55.00	56.00	54.00	55.00	53.20	63.57	49.95	64.77
अगस्त	55.00	56.00	51.00	55.00	60.51	66.45	56.91	57.48
सितम्बर	55.00	56.00	50.00	54.00	62.75	66.51	56.52	73.12
अक्टूबर	55.00	56.00	50.00	53.00	64.10	66.54	54.61	62.76
नवम्बर	55.00	56.00	50.00	53.00	63.31	63.87	54.29	55.27
दिसम्बर	55.00	56.00	50.00	53.00	64.04	64.61	53.39	56.18
जनवरी	55.00	56.00	50.00	53.00	63.88	64.44	54.64	59.78
फरवरी	55.00	56.00	50.00	53.00	63.69	64.26	54.48	54.80
मार्च	55.00	56.00	50.00	53.00	66.07	66.66	54.04	55.64

टिप्पणी : * **अवतरित मूल्य**

** वाराणसी बाज़ार में प्रचलित बिक्रय मूल्य जिसमें सीमा-शुल्क तथा अन्य शुल्क शामिल है।

स्रोत : * क्षेत्रीय कार्यालय, केरेबो, मुंबई द्वारा मेसर्स शाह ट्रेडिंग कंपनी, मुंबई से संग्रहित।

** प्रमाणन केन्द्र, केरेबो, वाराणसी

6.3 रेशम मालों का निर्यात

वस्त्र, बने-बनाए और सिले-सिलाए पोशाक भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएँ हैं, जो देश के कुल रेशम वस्तुओं के निर्यात का लगभग 95% आता है। वर्ष, 2013-14 में 2480.89 करोड़ ₹ (410.61 मिलियन अमेरीकी डॉलर) की तुलना में 2014-15 के दौरान रेशम वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय 2829.88 करोड़ ₹ (462.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जो रुपए में 14.07% तथा अमेरीकी डॉलर में 12.72% की वृद्धि दर्शाता है। **तालिका-6 तथा लेखाचित्र-4**। 2014-15 के दौरान, पिछले वर्ष से बने बनाए वस्त्र एवं रेशम अपशिष्ट से प्राप्त निर्यात आय में पर्याप्त वृद्धि हुई।

तालिका-6 : 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान रेशम एवं रेशम माल से प्राप्त निर्यात आय

(मूल्य : करोड ₹ : अमेरिकी डालर)

क्रम सं	मद	2014-15		2013-14		% वृद्धि /कमी	
		करोड़ ₹	अमेरिकी डालर	करोड़ ₹	अमेरिकी डालर	करोड़ ₹	अमेरिकी डालर
1	कच्चा रेशम	0.69	0.11	4.49	0.74	-84.63	-84.81
2	रेशम सूत	24.69	4.04	31.76	5.26	-22.26	-23.18
3	वस्त्र तथा बने बनाए परिधान	1465.40	239.68	1455.63	240.92	0.67	-0.51
4	सिले-सिलाए पोशाक	1214.01	198.56	874.00	144.65	38.90	37.27
5	रेशम क़ालीन	15.97	2.61	15.71	2.60	1.65	0.46
6	रेशम अपशिष्ट	109.12	17.85	99.30	16.43	9.89	8.60
	योग	**2829.88**	**462.85**	**2480.89**	**410.61**	**14.07**	**12.72**

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

वर्ष, 2014-15 के दौरान, सर्वोच्च दस आयातक देशों की निर्यात आय को एक साथ रखने पर कुल निर्यात आय का 67% है। 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सर्वोच्च 10 आयातक देशों में भारत की रेशम निर्यात आय **तालिका-7** में दी गई है। 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान भारत से संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सूडान तथा रुवाण्डा को रेशम निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई; जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जर्मनी तथा फ्रांस जैसे परंपरागत बाज़ार को निर्यात में कमी हुई।

तालिका- 7 : 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान रेशम मालों से प्राप्त देश-वार निर्यात आय

क्रम सं.	देश +	2014-15		2013-14		% वृद्धि /कमी	
		करोड़ ₹	मि. अमेगिकी डालर	करोड़ ₹	मि. अमेगिकी डालर	करोड़ ₹	मि. अमेगिकी डालर
1	संयुक्त अरब अमीरात	687.14	112.39	393.72	65.16	74.53	72.47
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	362.03	59.21	371.49	61.48	-2.55	-3.70
3	ब्रिटेन	190.37	31.14	188.64	31.22	-0.91	-0.26
4	चीन गणराज्य	102.11	16.70	76.18	12.61	34.05	32.46
5	मलेशिया	98.73	16.15	59.55	9.86	65.79	63.85
6	इटली	97.38	15.93	120.10	19.88	-18.92	-19.86
7	जर्मनी गणराज्य	95.40	15.60	144.88	19.01	-16.95	-17.95
8	सूडान	94.75	15.50	57.55	9.52	64.64	62.73
9	फ्रांस	91.36	14.94	121.51	20.11	-24.81	-25.71
10	रुवाण्डा	67.27	11.00	36.13	5.98	86.19	83.95
	अन्य	943.34	154.29	941.15	155.77	-0.23	-0.95
	योग	**2829.88**	**462.85**	**2480.89**	**410.61**	**14.07**	**12.72**

टिप्पणी : + सर्वोच्च 10 आयातक देशों को निर्दिष्ट करता है

स्रोत : डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित

6.4 रेशम माल का आयात

2013-14 तथा 2014-15 के दौरान रेशम मालों का आयात मूल्य **तालिका-8** में दिया गया है। आयातित कच्चे रेशम की कुल मात्रा **लेखाचित्र-5** में दर्शायी गयी है। कच्चा रेशम, वस्त्र और सिले-सिलाऐ पोशाक प्रमुख आयात की वस्तुएँ हैं, जिनका आयात कुल आयात का लगभग 98% है। वर्ष, 2013-14 के 1357.48 करोड़ ₹ (224.67 मिलियन अमेरिकी डालर) की तुलना में 2014-15 के दौरान रेशम वस्तुओं का आयात मूल्य 1356.73 करोड़ ₹ (221.91 मिलियन अमेरिकी डालर) है, जो रुपए में 0.06% तथा अमेरिकी डालर में 1.23% की कमी दर्शाता है। कच्चे रेशम के आयात की मात्रा वर्ष, 2013-14 के 3260 मी ट से 7.02% की न्यूनतम वृद्धि के साथ 2014-15 में 3489 मी टन हुई।

तालिका 8 : 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान रेशम एवं रेशम मालों का आयात मूल

(मूल्य : करोड ₹ : अमेरिकी डालर)

मद	2014-15		2013-14		% वृद्धि /कमी	
	करोड़ ₹	अमेरिकी डालर	करोड़ ₹	अमेरिकी डालर	करोड़ ₹	अमेरिकी डालर
कच्चा रेशम	970.82 (3489 मी ट)	158.79	896.44 (3260 मी ट)	148.37	8.30 (7.02)	7.02
रेशम सूत	103.78	16.97	100.07	16.56	3.70	2.48
वस्त्र तथा बने बनाए वस्त्र	239.16	39.12	315.32	52.19	-24.15	-25.05
सिले-सिलाए पोशाक	16.63	2.72	16.07	2.66	3.47	2.25
रेशम क़ालीन	0.43	0.07	0.62	0.10	-30.21	-31.03
रेशम अपशिष्ट	25.91	4.24	28.96	4.79	-10.54	-11.60
योग	**1356.73**	**221.91**	**1357.48**	**224.67**	**-0.06**	**-1.23**

टिप्पणी : कोष्ठक के आँकड़े आयातित कच्चे रेशम की मात्रा दर्शाती है। **स्रोत :** डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकी से संकलित